

समेकित वित्तीय विवरण  
**2015-16**

**CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
2015-16**

## स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

### नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों को

### समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड (इसके आगे कम्पनी कहा जाता है) और उसके दो (2) सहयोगियों के अनुषंगी समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2016 तक का समेकित वित्तीय स्थिति विवरण, अग्नि, समुद्री और विविध बीमा कारोबार का अनुलग्नक समेकित राजस्व लेखा (सामूहिक रूप से समेकित राजस्व लेखा कहे जाते हैं), स 11 समाप्त होने वाले वर्ष के लिए समेकित ला 1 और हानि खाता और समेकित भाप्ट एवं गुगतान खाता एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (इसके आगे समेकित वित्तीय विवरण कहे जाते हैं) का सारांश शामिल है। सहयोगी कम्पनियों का समेकन लेखा मानक 23 के अनुसार इक्विटी विधि के तहत सहयोगियों में निवेश का उपयोग करके किया गया है।

### समेकित वित्तीय विवरणों के लिए भ्रबंधन की जिम्मेदारी

कम्पनी का निदेशक मंडल कम्पनी अधिनियम, 2013 (इसके आगे अधिनियम कहा जाता है) की आवश्यकताओं के संदर्भ में इन समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए जिम्मेदार है जो कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़े गये, अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों सहित आम तौर पर भारत में स्वीकार किए गये लेखा सिद्धांतों के अनुसार अपने सहयोगियों के साथ कम्पनी के समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय भ्रदर्शन और समेकित नकदी भ्रवाह का एक सच्चा और निष्पक्ष चित्र देते हैं। कम्पनी और उसके सहयोगियों के संबंधित निदेशक मंडल कम्पनी और उसके सहयोगियों के संपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के भ्रवधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा आ लेखों के रख रखाव के लिए जिम्मेदार हैं; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुभ्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान बनाना; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रूपरेखा भ्रस्तुत करना, उसका कार्यान्वयन और रखरखाव, जो कि लेखा आ लेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए भ्रवाही ढंग से काम कर रहे थे, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं भ्रस्तुति से भ्रसंगिक हैं और एक सच्चा और निष्पक्ष चित्र देते हैं एवं

जो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, महत्वपूर्ण एवं आवश्यक गलत बयान से मुक्त हैं जिसका पूर्वोक्त अनुसार कम्पनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया गया है।

### लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है। लेखापरीक्षा करते समय, हमने अधिनियम के भ्रवधानों, अधिनियम के भ्रवधानों और उनके अधीन बनाये गये नियमों के तहत ऑडिट रिपोर्ट में शामिल किये जाने वाले आवश्यक लेखा और लेखा परीक्षा मानकों और मामलों, एवं बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक और विकास भ्रधिकरण अधिनियम, 1999 एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों का ध्यान रखा है।

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा पर मानकों के अनुसार हमारे लेखा परीक्षा का आयोजन किया। उन मानकों की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं के अनुवर्ती हों और समेकित वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण एवं आवश्यक गलत बयान से मुक्त होने के बारे में संतुलित आश्वासन भ्रप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना एवं भ्रदान करें।

लेखा परीक्षा में मात्रा के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य भ्रप्त करने के लिए की गई भ्रक्रियाएँ एवं समेकित वित्तीय विवरणों में उनका खुलासा शामिल है। चयनित भ्रक्रियाएँ लेखा परीक्षकों के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें समेकित वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण एवं आवश्यक गलत बयानों के जोखिमों का आकलन, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, भी शामिल हैं। उन जोखिमों का आकलन करने में, लेखा परीक्षक कम्पनी के एक सच्चे और निष्पक्ष चित्र देते समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी से भ्रसंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करते हैं ताकि परिस्थितियों में उपयुक्त लेखा परीक्षा की भ्रक्रियाओं की रूपरेखा भ्रस्तुत की जा सके। लेखा परीक्षा में इस्तेमाल किये गये लेखांकन नीतियों के औचित्य एवं कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों के औचित्य का मूल्यांकन करना, साथ ही समेकित वित्तीय विवरणों के समग्र भ्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल है।

## **INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

### **TO THE MEMBERS OF NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED**

#### **Report on the Consolidated Financial Statements**

We have audited the accompanying consolidated financial statements of NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED (hereinafter referred to as "the Company") and its two (2) associates, comprising of the Consolidated Balance Sheet as at 31st March, 2016, the annexed consolidated Revenue Accounts of Fire, Marine and Miscellaneous Insurance Business (collectively known as 'Consolidated Revenue Accounts'), Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Receipts and Payments Account for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "the consolidated financial statements"). The associate companies are consolidated by using the Investments in associates under the Equity method in accordance with the Accounting Standard 23.

#### **Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements**

The Company's Board of Directors is responsible for the preparation of these consolidated financial statements in terms of the requirements of the Companies Act, 2013 (hereinafter referred to as "the Act") that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Company including its associates in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. The respective Board of Directors of the Company and of its associates are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and its associates and for preventing and detecting frauds and other irregularities; the selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and the

design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of preparation of the consolidated financial statements by the Directors of the Company, as aforesaid.

#### **Auditors' Responsibility**

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. While conducting the audit, we have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made thereunder and Insurance Act, 1938, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 and the Rules and Regulations made there under.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal financial control relevant to the Company's preparation of the consolidated financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Board of Directors, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

हम मानते हैं कि अन्य मामलों पर दिये गये निम्न युक्त पैरे के उप पैरा (क) और (ख) में निर्दिष्ट उनके रिपोर्टों के सम्बन्ध में हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखा परीक्षा की राय के लिए आधार भदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है।

### विचार

हमारी राय में और हमारी जानकारी में एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण आवश्यक तरीके में अधिनियम द्वारा आवश्यक जानकारी देती है और आम तौर पर भारत में स्वीकार किए गये लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31वें मार्च, 2016 तक कम्पनी और उनके सहयोगियों के समेकित परिस्थिति, उस तारीख को खत्म हो रहे साल के लिए अग्नि और समुद्री में ला । और विविध व्यापार में हानि के समेकित राजस्व लेखा एवं उस तारीख को समाप्त हो रहे साल के लिए उनके समेकित ला । और समेकित भापितों और जुगतानों का एक सच्चा और निष्पक्ष चित्र भस्तुत करता है।

### मामले का महत्व

हम समेकित वित्तीय विवरणों के लिए निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकर्षित करते हैं:

#### क) आस्थगित राजस्व व्यय: (अनुसूची 15 एवं अनुसूची 17 नोट सं 28.2 से संदर्भ लें)

कंपनी ने 19.04.2016 दिनांकित आईआरडीए अनुमति पत्र से संदर्भ लेते हुए वित्तीय वर्ष 2015-16 से शुरू 3 साल की अवधि में परिशोधित किये जाने वाले वेतन संशोधन के कारण उत्पन्न होने वाली पेंशन दायित्व और उपदान दायित्व के लिए ₹3,044,052 हजार को विविध व्यय में शामिल किया है। इसके परिणामस्वरूप कम्पनी ने सॉल्वेंसी मार्जिन की गणना के लिए दायित्व के इस अनुकूल राशि पर विचार नहीं किया है।

#### ख) विषय: असमाप्त जोखिम निधि (यूआरआर): (अनुसूची 16 नोट सं 3.1 से संदर्भ लें)

इसके बावजूद कि इस तरह की नीतियाँ लेखा वर्ष के भीतर ही शुरू होती और चूक जाती हैं एवं लिखे गये भीमियम का कोई भी हिस्सा परवर्ती लेखांकन अवधि के लिए आरोप्य नहीं है, कम्पनी ने अल्पावधि नीतियों सहित दूसरी नीतियों के लिए निर्धारित दरों पर यूआरआर बनाया है।

#### ग) विषय: राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना (आरजीएवाई) स्कीम: (अनुसूची 16 नोट सं 3 से संदर्भ लें)

कम्पनी किस्त भापित के आधार पर RGJAY नीति योजना के भीमियम का लेखा जोखा देती है ।ले ही नीति और जोखिम समझौता ज्ञापन/ पॉलिसी कवर पर हस्ताक्षर करने की तारीख से शुरू होती हो।

#### घ) विषय: राजस्व खातों में निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के खर्चों का आबंटन: (अनुसूची 4 से संदर्भ लें)

₹44309 हजार की पूरी सीएसआर खर्च सीधे ला । और हानि खाते (शेयरधारकों का खाता) को चार्ज किये जाने के बजाय तीन राजस्व लेखा के लिए आबंटित किया गया है।

#### ङ) विषय: शेष पुष्टि/ मिलान (अनुसूची 17 नोट सं 23 से संदर्भ लें)

विनिम्न खाता शेष राशि (से/ के कारण) सुलह और पुष्टि के भक्रियाधीन हैं। सुलह से उत्पन्न समायोजन के भाव, यदि कोई हो, निश्चय नहीं है।

#### च) विषय: खंड परिसंपत्तियाँ और खंड देयता (अनुसूची 16 नोट सं 13 से संदर्भ लें)

कंपनी ने राजस्व और परिणामों का खुलासा निर्धारित खंड में किया है। हालांकि, खंड परिसंपत्तियाँ और खंड देयता इनके अनुकूल खंडों के लिए नहीं पहचाने जाते हैं।

#### छ) विषय: कर्मचारी विषय निधि(ईपीएफ) में अंशदान (अनुसूची 16 नोट सं 12(क) एवं अनुसूची 17 नोट सं 28.3 से संदर्भ लें)

कंपनी ने लगातार परिभाषित योगदान योजना को ईपीएफ में अंशदान के रूप में माना है। सरकार द्वारा घोषित दर पर ब्याज के जुगतान की दिशा में ईपीएफ ट्रस्ट फंड के घाटे को बनाने के लिए कंपनी के दायित्व को देखते हुए इसे परिभाषित ला । योजना के रूप में व्यवहार किया जाना चाहिए था और तदनुसार भकटीकरण की आवश्यकता लागू होती है।

#### ज) पॉलिसीधारकों के निधि और शेयरधारकों के निधि की संरचना (अनुसूची 16 नोट सं 8.8 से संदर्भ लें)

कंपनी द्वारा अपनाये गये संबंधित निधि की संरचनाएँ आईआरडीए परिपत्र के अनुसार नहीं हैं। तदनुसार, कहे गये

We believe that the audit evidence obtained by us and the audit evidence obtained by the other auditors in terms of their reports referred to in subparagraph (a) and (b) of the Other Matters paragraph below, are sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the consolidated financial statements.

### Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid consolidated financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the consolidated state of affairs of the Company and its associates as at 31st March, 2016, Consolidated Revenue accounts of the profit in Fire and in Marine and loss in Miscellaneous Business for the year ended as on that date, their consolidated profit and their consolidated receipts and payments for the year ended on that date.

### Emphasis of Matters

We draw attention to the following matters to the consolidated financial statements:

- a) Deferred Revenue Expenditure: (Refer Schedule 15 & Schedule 17–Note No. 28.2)

The Company has included in Miscellaneous Expenditure ₹3,044,052 thousand as Deferred Revenue expenditure for Pension liability and Gratuity liability arising on account of pay revision to be amortised over a period of 3 years starting from F/Y 2015-16 vide IRDA permission letter dated 19.04.2016. Consequent to that the Company has not considered the corresponding amount of liability for calculation of Solvency margin.

- b) Re: Unexpired Risk Reserve (URR): (Refer Schedule 16– Note no 3.1)

The Company has created URR at the prescribed rates including for the short term policies, in spite of the fact that such policies commence and lapse within the accounting year and no part of the premium written is attributable to the succeeding accounting period.

- c) Re: Rajiv Gandhi Jeevandayee Arogya Yojana

(RGJAY) Scheme: (Refer Schedule 16 - Note no. 3)

The Company account for the premium of RGJAY policy Scheme on receipt of installment basis even though the policy and the risk commences from the date of signing the MOU/Policy Cover.

- d) Re: Allocation of Corporate Social Responsibility (CSR) expenses to Revenue Accounts: (Refer Schedule 4)

Entire CSR expenses of ₹44309 thousand have been allocated to three Revenue Accounts instead of charging the same directly to Profit and Loss Account (Shareholders' Account).

- e) Re: Balance confirmation/Reconciliation: (Refer Schedule 17 - Note no. 23)

Various Account balances (Due from/Due to) are under process of reconciliation and confirmation. The impact of adjustments, if any, arising out of reconciliation is not ascertainable.

- f) Re: Segment Assets and Segment Liabilities: (Refer Schedule 16 - Note no. 13)

The Company has disclosed prescribed Segment wise revenue and results. However, the Segment Assets and the Segment liabilities are not identified for the corresponding Segments.

- g) Re: Contribution to Employees Provident Fund (EPF): (Refer Schedule 16 - Note no. 12 (a) & Schedule 17 – Note no. 28.3)

The Company has been consistently treating Contribution to EPF as Defined Contribution Plan. In view of Company's obligation for making up the deficit of EPF Trust fund towards payment of interest at the Government declared rate, it should have been treated as Defined Benefit Plan and disclosure requirement is applicable accordingly.

- h) Re: Composition of Policyholders' Funds and Shareholders' Funds: (Refer Schedule 16 - Note no. 8.8)

The compositions of the respective Funds as adopted by the Company are not strictly

पॉलिसीधारकों के निधि और शेयरधारकों के निधि के अनुपात में राजस्व लेखा और लाहानि खाता (शेयरधारकों खाता) के बीच निवेश आय और निवेश व्यय के आबंटन का आवित हो रहे हैं।

### झ) निवेश (अनुसूची 8 से संदर्भ लेें)

आईआरडीए के सुझाव के अनुसार निवेश अनुसूची अनुसूची 8 निवेश शेयरधारक और अनुसूची 8क निवेश पॉलिसीधारक के रूप में विभाजित नहीं किया गया है।

हमारी राय इन मामलों में संशोधित नहीं है।

### अन्य मामले

क) हम 31वीं मार्च, 2016 तक ₹29828819 हजार की कुल परिसंपत्तियाँ और उसी तारीख को खत्म हो रहे साल के लिए ₹119894385 हजार के कुल राजस्व को दर्शाती वित्तीय सूचना/ वित्तीय विवरण देने वाली कंपनी के वित्तीय विवरण में शामिल इकतीस (31) क्षेत्रीय कार्यालय, तीन सौ नब्बे (390) मंडल कार्यालय और दो (2) विदेशी कार्यालयों के वित्तीय विवरण का लेखा परीक्षा नहीं करते हैं। इन कार्यालयों के वित्तीय विवरण/ जानकारी का लेखा परीक्षा लेखा परीक्षकों के अन्य संगठनों (शाखा लेखा परीक्षकों) द्वारा किया गया है जिसकी रिपोर्ट हमारे समक्ष भस्तुत की गई है, और अब तक चूंकि यह इन कार्यालयों के मामले में राशि और खुलासे से संबंधित है, हमारी राय ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर पूरी तरह आधारित है।

ख) समेकित वित्तीय विवरण में 31वें मार्च, 2016 को खत्म हो रहे साल के लिए ₹299845 हजार के शुद्ध लाहानि के कंपनी का शेयर शामिल है जैसा दो सहयोगियों, जिनके वित्तीय विवरण का लेखा परीक्षा नहीं किया गया है, के वित्तीय विवरण में माना जाता है। इन वित्तीय विवरण का लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है जिनके रिपोर्ट भबंधन द्वारा हमारे समक्ष भस्तुत की गई है और अब तक चूंकि यह पूर्वोक्त सहयोगियों से संबंधित है समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी राय अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर पूरी तरह आधारित है।

समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी राय और अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर हमारी निम्नोक्त रिपोर्ट,

उपरोक्त मामलों के संबंध में पूरा किये गये कार्य पर हमारी निरिस्ता और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के संदर्भ में संशोधित नहीं है।

### अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. आईआरडीए वित्तीय विवरण विनियमों द्वारा अपेक्षित, हमने आईआरडीए वित्तीय विवरण विनियमों के अनुसूची 4 और 3 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में एक अलग भमाण पत्र जारी किया है केवल कंपनी से संबंधित इस रिपोर्ट के **अनुबंध क** से संदर्भ लेें, चूंकि सहयोगियों से यही भमाण पत्र लागू नहीं होता है।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3) और आईआरडीए वित्तीय विवरण विनियमों एवं भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास भाधिकरण द्वारा जारी आदेशों / निर्देशों / परिपत्रों द्वारा अपेक्षित, चूंकि यह कंपनी से संबंधित है और कुछ हद तक यह सहयोगियों के लिए भी लागू होता है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने हमारे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगी और प्राप्त की है जो हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार थे और उन्हें संतोषजनक पाया है।

ख) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानूनी रूप से जरूरी उचित लेखा पुस्तकों का रखरखाव किया गया है, जितना कि उन पुस्तकों के बारे में हमारी परीक्षा से भतीत होता है।

ग) हमारी राय में कंपनी के 31 क्षेत्रीय कार्यालय, 390 मंडल कार्यालय और 2 विदेशी कार्यालय जो लेखा परीक्षकों के अन्य संगठनों द्वारा अंकेक्षित है एवं जिनका दौरा हमने नहीं किया है, उनसे समुचित रिटर्न प्राप्त किया है और लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए पर्याप्त है।

घ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(8) के तहत कंपनी के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा 390 संभागीय

in accordance with the IRDA Circular. Accordingly, the allocations of investment income and investment expenditure in the ratio of the said Policyholders' Funds and Shareholders' Funds between the Revenue Accounts and Profit and Loss Account (Shareholders' Account) are affected.

i) Investments: (Refer Schedule 8)

The Investment Schedule has not been bifurcated into Schedule - 8 –Investment - Shareholders and Schedule – 8A - Investment – Policyholders, as suggested by IRDA.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

**Other Matter**

- (a) We did not audit the financial statements of thirty one (31) Regional offices, three hundred and ninety (390) Divisional offices, two (2) Foreign offices, included in the financial statements of the Company whose financial statements / financial information reflect total assets of ₹29828819 thousand as at 31<sup>st</sup> March, 2016 and total revenues of ₹119894385 thousand for the year ended on that date. The financial statements/ information of these offices have been audited by the other firm of auditors (branch auditors) whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these offices, is based solely on the report of such branch auditors.
- (b) The consolidated financial statements include the Company's share of net profit of ₹299845 thousand for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2016, as considered in the consolidated financial statements, in respect of two associates, whose financial statements have not been audited by us. These financial statements have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the Management and our opinion on the consolidated financial statements, insofar as it relates to the aforesaid associates, is based solely on the reports of the other auditors.

Our opinion on the consolidated financial statements, and our "Report on Other Legal and

Regulatory Requirements" below, is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors.

**Report on Other Legal and Regulatory Requirements**

1. As required by the IRDA Financial Statements Regulations, we have issued a separate certificate of even date in the matters specified in paragraph 3 and 4 of Schedule C to the IRDA Financial Statements Regulations – **Refer Annexure 'A'** to this report relating to the Company only, as the corresponding certificate from the associates are not applicable.
2. As required by Section 143(3) of the Companies Act, 2013 and IRDA Financial Statements Regulations and orders/ directions/circulars issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India, we report, as it is related to the Company and to the extent it is applicable to the associates, that:
  - a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.
  - b) In our opinion, proper books of account as required by law have been maintained by the Company, so far as it appears from our examination of those books.
  - c) In our opinion proper returns from 31 Regional offices, 390 Divisional offices and 2 Foreign branch offices of the Company audited by the other firm of auditors and not visited by us, have been received and are adequate for the purpose of audit.
  - d) The reports of the 31 Regional Auditors consolidating the 390 Divisional



- लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और 2 विदेशी शाखाओं के रिपोर्ट की की गई लेखा परीक्षा को समेकित करते हुए 31 क्षेत्रीय परीक्षकों की रिपोर्ट हमारे पास भेज दी गयी है और हमारे द्वारा आवश्यक माने गये ढंग में इस रिपोर्ट की तैयारी करते समय इसकी अच्छी तरह से कार्यवाही की गई है।
- ड) रिपोर्ट द्वारा कार्यवाही किये गये समेकित बैलेंस शीट, समेकित राजस्व लेखा, समेकित ला 1 और हानि खाता एवं समेकित भाप्ट और गुगतान खाता लेखा खातों और हमारे द्वारा दौरा नहीं किये गये कार्यालयों से भाप्ट रिटर्न के साथ समझौते में है।
- च) 31 वें मार्च, 2016 तक उपगत पर सूचित नहीं किये गये दावों (आईबीएनआर) एवं उपगत पर पर्याप्त सूचित नहीं किये गये दावों (आईबीएनईआर) के संबंध में दायित्व का बीमांकक मूल्यांकन कंपनी के पैनल बीमांकक द्वारा विधिवत् भ्रमाणित किया गया है एवं हमारे द्वारा विश्वास किया गया है। पैनल बीमांकक ने यह भी भ्रमाणित किया है कि 31.03.2016 तक कंपनी के आईबीएनआर (आईबीएनईआर समेत) संचय का बीमांकक मूल्यांकन दिनांकित 27.05.2008 के आईबीएनआर मैनुअल (नियम पुस्तिका) में आईआरडीए आई द्वारा इस तरह के मूल्यांकन के लिए दिशा निर्देशों और मान्यताओं पर आधारित है।
- छ) समेकित वित्तीय विवरण, लागू होने के हद तक एवं आवश्यक तरीके में बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4), बीमा विनियामक और विकास भ्रधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) और कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया गया है।
- ज) कंपनी का निवेश बीमा अधिनियम के भ्रवधानों, विनियमों और इस संबंध में आईआरडीए द्वारा जारी किए गए आदेशों/ निर्देशों/परिपत्रों के अनुसार मूल्यांकित किया गया है।
- झ) कंपनी द्वारा चयनित लेखांकन नीतियाँ उपयुक्त हैं और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़े गये कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अधिन निर्दिष्ट लागू लेखा मानकों एवं आईआरडीए वित्तीय विवरण विनियमों में निर्धारित लेखांकन सिद्धांतों एवं इस संबंध में आईआरडीए द्वारा जारी किए गए आदेश या दिशा के अनुपालन में है।
- ञ) हमारी राय में समेकित वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़े गये कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अधिन निर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन करता है।
- ट) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गये दिनांकित 5वीं जून, 2015 की अधिसूचना सं. जीएसआर 463(ड) के विचार से निदेशकों की नियुक्ति के लिए अयोग्य करार दिए जाने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के भ्रवधान भारत में संगठित कंपनी और उसके सहयोगी कंपनी के लिए लागू नहीं होते।
- ठ) भारत में संगठित कंपनी और उसके सहयोगी कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर अंतरिम वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता एवं इस तरह के नियंत्रण के संचालन के भ्रभाव के संबंध में, इस रिपोर्ट के अनुबंध ख में दिये गये हमारे पृथक रिपोर्ट से संदर्भ लें।
- ड) कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किये जाने वाले अन्य मामलों के संदर्भ में, हमारी राय में और हमारी जानकारी में एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार:
- i) भारत में संगठित कंपनी और उसके सहयोगी कंपनी ने अपने वित्तीय विवरण में अपने वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के भ्रभाव का खुलासा किया है अनुसूची 17 नोट सं. 41 से संदर्भ लें।

- Auditors reports and reports of 2 foreign branches audited under section 143(8) of the Companies Act, 2013 by the branch auditors of the Company have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report in the manner considered necessary by us.
- e) The Consolidated Balance Sheet, Consolidated Revenue accounts, Consolidated Profit and Loss account and the Consolidated Receipts and Payments Account dealt with by the report are in agreement with the books of account and returns received from offices not visited by us.
- f) The actuarial valuation of liability in respect of claims Incurred But Not Reported (IBNR) and claims Incurred But Not Enough Reported (IBNER) as at 31st March, 2016 have been duly certified by the Panel Actuary of the Company and relied upon by us. The Panel Actuary has also certified that the Actuarial valuation of IBNR (including IBNER) Reserve of the Company as on 31.03.2016 is based on the guidelines and assumptions for such valuation outlined by IRDAI in IBNR manual dated 27.05.2008.
- g) The consolidated financial statements have been prepared in accordance with the requirements of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) and the Companies Act, 2013 (18 of 2013) to the extent applicable and in the manner so required.
- h) The Investments of the Company have been valued in accordance with the provisions of the Insurance Act, the regulations and orders/ directions/ circulars issued by IRDAI in this regard.
- i) The accounting policies selected by the Company are appropriate and are in compliance with the applicable Accounting Standards specified under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and with the accounting principles, as prescribed in the IRDA Financial Statements Regulations and order or direction issued by the IRDAI in this behalf.
- j) In our opinion the consolidated financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.
- k) The provisions of Section 164(2) of the Companies Act, 2013 with regard to disqualification for appointment of directors are not applicable to the Company and its associate company incorporated in India, in view of Notification No. GSR 463(E) dated 5th June, 2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India.
- l) With respect to the adequacy of the Interim Financial Controls over financial reporting of the Company and its associate company incorporated in India and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in **Annexure-B** to this report.
- m) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
- i) The Company and its associate company incorporated in India have disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements – Refer Schedule 17 - Note no. 41.

- ii) भारत में संगठित कंपनी और उसके सहयोगी कंपनी के पास किसी भी महत्वपूर्ण एवं आवश्यक भत्याशा योग्य हानियों की अपेक्षा करने के लिए डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई भी दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था। अनुसूची 17 नोट सं 42 से संदर्भ लें।
- iii) भारत में संगठित कंपनी और उसके सहयोगी कंपनी द्वारा निवेशक की शिक्षा और संरक्षण कोष को स्थानान्तरण हेतु कोई आवश्यक राशि नहीं थी। अनुसूची 17 नोट सं 43 से संदर्भ लें।
- ढ) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) की आवश्यकता के अनुसार, हम इस रिपोर्ट के साथ कंपनी

और उसके एक उपयुक्त सहयोगी, भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए उपनिर्देशों सहित निर्देश, उस पर की गई कार्रवाई एवं कंपनी और उसके उपयुक्त सहयोगी के खातों और वित्तीय विवरण पर उसका वित्तीय प्रभाव, जो कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा दी गई और अनुमोदित की गई एवं मंडल कार्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों और उपयुक्त सहयोगी कंपनी के लेखा परीक्षक के लिए लागू होने की हद तक कंपनी के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किये गये रिपोर्ट के अनुसार सूचना पर आधारित होती है, से संबन्धित **अनुबंध ग** संलग्न करते हैं।

कृते **एस. घोष एंड कं. एलएलपी** के लिए  
 सनदी लेखाकार  
 पंजीकरण संख्या 302184ई/ई300007

(सीए. आनन्दी साह)  
 आगीदार  
 सदस्यता संख्या 068308

कृते **साहा गांगुली एवं सहयोगियों** के लिए  
 सनदी लेखाकार  
 पंजीकरण संख्या 302191ई

(सीए. समीर कुमार साहा)  
 आगीदार  
 सदस्यता संख्या 051392

कोलकाता, 26 जून 2016

- ii) The Company and associate company incorporated in India did not have any long term contracts including derivatives contracts for which the Company was expecting any material foreseeable losses – Refer Schedule 17 - Note no. 42.
- iii) There were no amounts, which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company and its associate company incorporated in India – Refer Schedule-17 - Note no. 43.
- n) As required under section 143(5) of the Companies Act, 2013, we enclose

**Annexure C** to this report, relating to the Company and one of its applicable associate, the directions including sub-directions issued by the Comptroller & Auditor General of India, action taken thereon and its financial impact on the accounts and financial statements of the Company and its applicable associate, which is based on the information given by and approved by the Board of Directors of the Company and as reported by the Branch auditors of Company to the extent applicable to Divisional offices and Regional offices and auditor of the applicable associate company.

**For S. Ghose & Co. LLP**  
Chartered Accountants  
FRN: 302184E/E300007

**(CA. Anandi Shaw)**  
Partner  
Membership No. 068308

**For Saha Ganguli & Associates**  
Chartered Accountants  
FRN : 302191E

**(CA. Samir Kumar Saha)**  
Partner  
Membership No. 051392

Place : Kolkata

Date : 26<sup>th</sup> June, 2016

## नेशनल इन्शुरेन्स कंपनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण पर तारीख 11 स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट हेतु अनुबंध-‘क’

(खंड ‘अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट’ के तहत पैरा 1 में निर्दिष्ट से संदर्भित)

### नेशनल इन्शुरेन्स कंपनी लिमिटेड (“कम्पनी”) के सदस्यों के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का भ्रमाण पत्र

यह भ्रमाण पत्र विनियम 3 के साथ पढ़े गये बीमा विनिमायक एवं विकास भ्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट की तैयारी) विनियम, 2002 के अनुसूची ग के अनुच्छेद 3 और 4 के भ्रावधानों का पालन करने के लिए जारी किया गया है एवं यह किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता।

कम्पनी के निदेशक मंडल बीमा अधिनियम, 1938 (बीमा अधिनियम) (बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित), बीमा विनिमायक एवं विकास भ्राधिकरण अधिनियम, 1999 (आईआरडीए अधिनियम), आईआरडीए वित्तीय विवरण विनियम के भ्रावधानों एवं भारतीय बीमा विनिमायक एवं विकास भ्राधिकरण द्वारा जारी आदेशों/ निर्देशों/ परिपत्रों का अनुपालन करने के लिए ज़िम्मेदार है जिसमें भ्रबंधन रिपोर्ट की तैयारी करना शामिल है। इसमें डेटा एकत्रित करना, उसका परितुलन एवं वैधिकरण करना एवं पूर्वाक्ति अनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण की निगरानी करना और उसको लागू करना शामिल है।

इस भ्रमाणपत्र के भ्रयोजन के लिए, हमारी ज़िम्मेदारी, आईआरडीए वित्तीय विवरण विनियम के अनुसूची ग के अनुच्छेद 3 और 4 में निहित मामलों को भ्रमाणित करने तक सीमित है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान(आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए विशेष भ्रयोजनों के लिए भ्रमाणपत्र एवं लेखा रिपोर्ट पर गाइडेंस नोट के अनुसार हमारी परीक्षा का आयोजन किया है।

**कृते एस. घोष एंड कं. एलएलपी के लिए**

सनदी लेखाकार

पंजीकरण संख्या 302184ई/ई300007

(सीए. आनन्दी साह)

ागीदार

सदस्यता संख्या 068308

कोलकाता, 26 जून 2016

हमें दिये गये जानकारी और स्पष्टीकरण एवं हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार और 31वीं मार्च, 2016 तक खत्म हो रहे साल के लिए कम्पनी द्वारा रखरखाव किये गये लेखा की किताबें एवं अन्य रिकॉर्ड के हमारे परीक्षा के आधार पर, हम यह भ्रमाणित करते हैं कि:

1. हमने 31वीं मार्च, 2016 तक खत्म हो रहे साल के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण के साथ संलग्न भ्रबंधन रिपोर्ट की समीक्षा की है, एवं हमारे स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ पढ़े गये हमारी समीक्षा पर आधार करते हुए, कंपनी के वित्तीय विवरण के साथ कोई स्पष्ट गलती या महत्वपूर्ण विसंगतियाँ नहीं है।
2. भ्रबंधन अ यावेदन और कम्पनी के अधिकारियों द्वारा बोर्ड को भ्रस्तुत किये गये एवं बोर्ड द्वारा उल्लेखित अनुपालन का आरोप लगाये गये अनुपालन भ्रमाणपत्र के आधार पर, ऐसा कुछ 11 हमारे ध्यान में नहीं आया है जो हमें यह विश्वास करने के लिए मजबूर करे कि कंपनी ने आईआरडीए द्वारा निर्धारित पंजीकरण की शर्तों एवं नियमों का अनुपालन नहीं किया है।
3. शाखा लेखा परीक्षकों ने नकदी शेष का सत्यापन किया है और हमने कंपनी के ऋण (कंपनी के कर्मचारियों को दिये गये ऋण के अलावा) एवं 31वीं मार्च, 2016 तक के निवेश से संबन्धित भ्रति वृत्तियों का सत्यापन वास्तविक निरीक्षण द्वारा अथवा कम्पनी द्वारा नियुक्त डिपॉज़िटरी भ्रति ागियों/आीरक्षक से भ्राप्त किये गये भ्रमाणपत्र/पुष्टियों, जैसी स्थिति हो, के आधार पर किया है।
4. किसी न्यास (ट्रस्ट) से संबन्धित कोई निवेश और लेनदेन, कंपनी द्वारा ट्रस्टी के रूप शुरू नहीं किये गये हैं। अनुसूची 17 नोट सं 26(ग) से संदर्भित हैं।
5. कंपनी ने अ 11 तक पॉलिसीधारकों के निधि से संबन्धित निवेशों की पहचान नहीं की है। हालांकि, समस्त पॉलिसीधारकों की निधि/शेयरधारकों की निधि के सम्पत्त के किसी 11 ाग को भ्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बीमा अधिनियम के भ्रावधानों के उल्लंघन में लागू नहीं किया गया है।

**कृते साहा गांगुली एवं सहयोगियों के लिए**

सनदी लेखाकार

पंजीकरण संख्या 302191ई

(सीए. समीर कुमार साहा)

ागीदार

सदस्यता संख्या 051392

**Annexure – 'A' to the Independent Auditors' Report of even date on the Consolidated Financial Statements of National Insurance Company Limited**

(Referred to in paragraph 1 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section)

**Independent Auditors' Certificate to the members of National Insurance Company Limited (the "Company")**

This certificate is issued to comply with the provisions of paragraphs 3 and 4 of Schedule C to the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 (the "IRDA Financial Statements Regulations") read with regulation 3 and may not be suitable for any other purpose.

The Company's Board of Directors is responsible for complying with the provisions of The Insurance Act, 1938 (the "Insurance Act") (amended by the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015), the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (the "IRDA Act"), the IRDA Financial Statements Regulations, orders/ directions/ circulars issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India (the "IRDAI") which includes the preparation of the Management Report. This includes collecting, collating and validating data and designing, implementing and monitoring of internal controls suitable for ensuring compliance as aforesaid.

Our responsibility, for the purpose of this certificate, is limited to certifying matters contained in paragraphs 3 and 4 of Schedule C to the IRDA Financial Statements Regulations. We have conducted our examination in accordance with the Guidance Note on Audit Reports and Certificates for Special Purposes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the 'ICAI').

In accordance with the information and explanations given to us and to the best of our

knowledge and belief and based on our examination of the books of account and other records maintained by the Company for the year ended 31st March, 2016, we certify that:

1. We have reviewed the Management Report attached to the financial statements of the Company for the year ended 31st March, 2016, and on the basis of our review read with our Independent Auditors' Report, there is no apparent mistake or material inconsistencies with the financial statements of the Company.
2. Based on management representations and the compliance certificate submitted to the Board by the officers of the Company charged with compliance and the same being noted by the Board, nothing has come to our attention which causes us to believe that the Company has not complied with the terms and conditions of registration stipulated by the IRDAI.
3. Branch auditors have verified the cash balances and we have verified the securities relating to the Company's loans (except for the loans given to Company's employees) and investments as at 31st March, 2016 by actual inspection or on the basis of certificate/confirmations received from the custodian and/or depository participants appointed by the Company as the case may be.
4. No investments and transactions relating to any trusts have been undertaken by the Company as trustee. – Refer Schedule 17 - Note no 26 (c).
5. The Company has not yet identified the investments pertaining to the policyholders' funds. However, no part of the assets of the overall policyholders' funds/shareholders' funds has been directly or indirectly applied in contravention of the provisions of the Insurance Act.

**For S. Ghose & Co. LLP**

Chartered Accountants  
FRN: 302184E/E300007

**(CA. Anandi Shaw)**

Partner  
Membership No. 068308

Place : Kolkata

Date : 26<sup>th</sup> June, 2016

**For Saha Ganguli & Associates**

Chartered Accountants  
FRN : 302191E

**(CA. Samir Kumar Saha)**

Partner  
Membership No. 051392

## नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण पर तारीख पर गी स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट हेतु अनुबंध- 'ख'

(खंड 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के तहत पैरा 2(न) में निर्दिष्ट से संदर्भित)

### कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 के उपधारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

31 मार्च 2016 तक एवं 31 मार्च, 2016 को समाप्त हो रहे साल के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी लेखा परीक्षा के साथ संयोजन के रूप में, हमने नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड (इसमें इसके बाद कंपनी के रूप में उल्लेख किया गया है) एवं भारत में संगठित उसके एक सहयोगी कंपनी के आज तक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखा परीक्षा किया है।

### आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु भ्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी एवं भारत में निगमित उसके एक सहयोगी कंपनी से संबन्धित निदेशक मंडल, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किये गये वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर निर्देशन नोट में दर्शाये गये आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना करने एवं उसे बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। इन जिम्मेदारियों में कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकतानुसार विश्वसनीय वित्तीय जानकारी का समय पर तैयारी, लेखा आलेखों की सटीकता एवं पूर्णता, धोखाधड़ी और त्रुटियों का पता लगाना एवं उनका रोकथाम, अपने संपत्तियों की सुरक्षा, कंपनी के संबन्धित नीतियों का पालन, सहित अपने कार्य का सुव्यवस्थित एवं कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए भारतीय ढंग से काम कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन एवं रखरखाव शामिल है।

### लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करना है। हमने (आईसीएआई) द्वारा जारी किये गये वित्तीय रिपोर्टिंग ("निर्देशन नोट") पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर निर्देशन नोट एवं आईसीएआई द्वारा जारी किये गये और कंपनी

अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित समझे गये लेखा परीक्षा के मानकों, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पे लागू होने की हद तक, दोनों ही भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किये गये, के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा का आयोजन किया। उन मानकों और निर्देशन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें एवं लेखा परीक्षा की योजना और उसका पालन इस प्रकार से करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना एवं रख रखाव की गई थी एवं वह नियंत्रण स गी महत्वपूर्ण मामलों में भारतीय ढंग से काम किया है।

हमारे लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए भ्रक्रियाओं का निष्पादन करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के हमारे लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, उस जोखिम का विचार करना कि एक महत्वपूर्ण कमी अस्तित्व में है, एवं निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा और परिचालन भारतीय ढंग से परीक्षण एवं मूल्यांकन शामिल है। चयनित भ्रक्रियाएँ वित्तीय विवरण के महत्वपूर्ण गलत बयानगी, धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण, के जोखिमों के निर्धारण को शामिल करते हुए लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करता है।

हम विश्वास करते हैं कि अन्य मामलों पर दिये गये निम्न युक्त पैरे में निर्दिष्ट उनके रिपोर्टों के सम्बन्ध में हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति के ऊपर हमारे लेखा परीक्षा की राय हेतु एक आधार भदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है।

### वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, एक भ्रक्रिया है जिसको आम तौर पर स्वीकारे गये लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी भ्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरण की तैयारी करने और वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबन्ध में उचित आश्वासन भदान करने के लिए बनाया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वो नीतियाँ और भ्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (1) आलेखों के रखरखाव से संबन्धित हैं जो, उचित व्यौरे में, कंपनी के सम्पत्तियों के लेनदेन एवं निपटारों का एक सटीक और निष्पक्ष दृश्य देते हैं; (2) यह उचित आश्वासन भदान

**ANNEXURE 'B' TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT OF EVEN DATE ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED**

(Referred to in paragraph 2(l) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section)

**Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")**

In conjunction with our audit of the consolidated financial statements of the Company as of March 31, 2016 and for the year ended March 31, 2016, We have audited the internal financial controls over financial reporting of NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED (hereinafter referred to as "the Company") and its one associate company incorporated in India, as of date.

**Management's Responsibility for Internal Financial Controls**

The respective Board of Directors of the Company and one of its associate company incorporated in India, are responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the respective company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

**Auditors' Responsibility**

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial

Reporting (the "Guidance Note") issued by the ICAI and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the other auditors in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

**Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting**

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect



करते हैं कि आम तौर पर स्वीकारे गये लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण की तैयारी की अनुमति के लिए आवश्यक रूप में लेन देनों को दर्ज किया जाता है एवं कंपनी की भक्तियाँ और व्यय केवल कंपनी के भबंधन और निदेशकों के अधिकरण के अनुसार ही किया जाता है; (3) वित्तीय विवरण पर महत्वपूर्ण भ ाव करने वाले कंपनी के सम्पत्तियों का उपयोग या निपटारा, अनधिकृत अधिग्रहण का समय पर पता लगाना या रोकथाम से संबन्धित उचित आश्वासन भदान करते हैं।

### वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएँ

दुरा ासंधि की सं ावना या नियंत्रण के अनुचित भबंधन अवहेलना समेत, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाओं के कारण त्रुटि या धोखाधड़ी हेतु महत्वपूर्ण अयथार्थ विवरणों का गठन हो सकता जिनका पता नहीं लगाया जा सकता। इसके अलावा, ाविष्य अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी ि मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि स्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं अथवा यह कि नीतियों या भक्रियाओं के साथ अनुपालन की मात्रा बिगड़ सकती है।

### विचार

हमारी राय में, कंपनी और ारत में निगमित उसका एक सहयोगी कंपनी, के पास, स ि महत्वपूर्ण मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति है एवं वित्तीय रिपोर्टिंग पर

वह आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मार्च 31, 2016 तक, ारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किये गये वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर निर्देशन नोट में दर्शाये गये आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर भ ावी ढंग से काम कर रहे थे।

### अन्य मामले

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की आवश्यकता है कि कंपनी द्वारा इस्तेमाल किये गये वि ान्न लेखांकन सॉफ्टवेर के डेटा का समाकलन/वैधीकरण एवं कंपनी के कार्यालयों में एवं टीपीए के साथ सूचित/उपगत दावों के रिकॉर्डिंग के क्षेत्र में सुधार होना चाहिए। कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षा पद्धति की आवश्यकता यह ि है कि लेखा परीक्षा कवरेज एवं अनुपालन के क्षेत्रों में सुधार लाया जाए।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, जब तक यह ारत में निगमित एक सहयोगी कंपनी से संबन्धित हो, की पर्याप्तता एवं संचालन भ ावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत हमारी उक्त रिपोर्ट, उस कंपनी के अनुकूल रिपोर्ट पर आधारित है एवं जब तक यह कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालयों और मंडल कार्यालयों से संबन्धित है, यह भबंधन भमाण पत्र पर आधारित है चूंकि कंपनी के क्षेत्रीय/मंडल कार्यालयों के शाखा लेखा परीक्षकों से अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत कोई ि रिपोर्ट भ्राप्त नहीं की गई है।

हमारी राय इन मामलों के संबन्ध में संशोधित नहीं की गई है।

कृते एस. घोष एंड कं. एलएलपी के लिए  
सनदी लेखाकार  
पंजीकरण संख्या 302184ई/ई300007

(सीए. आनन्दी साह)  
ागीदार  
सदस्यता संख्या 068308

कोलकाता, 26 जुन 2016

कृते साहा गांगुली एवं सहयोगियों के लिए  
सनदी लेखाकार  
पंजीकरण संख्या 302191ई

(सीए. समीर कुमार साहा)  
ागीदार  
सदस्यता संख्या 051392

the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

#### **Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting**

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

#### **Opinion**

In our opinion, the Company, one of its associate company incorporated in India, have, in all material respects, an adequate internal financial controls

system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31,2016, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

#### **Other Matters**

The Company's internal controls over financial reporting require improving in the area of data validation/integration of various accounting software used by the Company and recording of intimated/incurred claims at the offices of the Company and with TPAs. The internal audit system of the Company also requires improving in the areas of audit coverage and compliance.

Our aforesaid report u/s 143(3)(i) of the Act on the adequacy and operating effectiveness of the internal financial controls over financial reporting in so far as it relates to one associate company, incorporated in India, is based on the corresponding report of such company and in so far as it relates to the Regional offices and Divisional offices of the Company is based on the management certificate as no report u/s 143(3)(i) of the Act have been received from the Branch Auditors of Regional/Divisional offices of the Company.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

#### **For S. Ghose & Co. LLP**

Chartered Accountants  
FRN: 302184E/E300007

#### **(CA. Anandi Shaw)**

Partner  
Membership No. 068308

#### **For Saha Ganguli & Associates**

Chartered Accountants  
FRN : 302191E

#### **(CA. Samir Kumar Saha)**

Partner  
Membership No. 051392

Place : Kolkata

Date : 26<sup>th</sup> June, 2016

नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण पर तारीख पर गी स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट हेतु अनुबंध 'ग' (खंड अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के तहत पैरा 2(ह) में निर्दिष्ट से संदर्भित)

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षकों को जारी किये गये निर्देशकों के लिए जवाब

क्र.सं	सवाल	जवाब
1	क्या कंपनी ने उन्मुक्त मूयधिकार और पट्टाधृत मूमि के लिए क्रमशः अधिकारपत्र/पट्टाविलेख स्पष्ट किया है? यदि नहीं, कृपया उस उन्मुक्त मूयधिकार और पट्टाधृत मूमि का क्षेत्र स्पष्ट करें जिसके लिए अधिकारपत्र/पट्टाविलेख उपलब्ध नहीं है।	कंपनी ने एल्लिस ब्रिज, अहमदाबाद पर एक पट्टाधृत मूमि (4316 वर्ग मि.) जो भारतीय साधारण बीमा निगम के नाम पर चार पीएसयू बीमा कंपनियों के वास्ते 26.07.1989 को खरीदी गयी थी, के अलावा सगी उन्मुक्त मूयधिकार और पट्टाधृत मूमि के लिए अधिकारपत्र/पट्टाविलेख स्पष्ट किया है।
2	क्या छूट/ऋण को रद्द करना/ऋण/ब्याज, आदि के कोई मामले हैं? यदि हां, तो तत्संबन्धी कारण और शामिल राशि	कंपनी ने इस साल के दौरान अवमूल्यनात्मक निवेशों के विषय में ₹9861 हजार रद्द किया है।
3	क्या सरकार या अन्य भाधिकारियों से भाप्त उपहार/ अनुदान (अनुदानों) के रूप में परिसंपत्तियों एवं तृतीय पक्ष के पास जमा किये गये माल सूचियों के उचित रिकॉर्ड रखे जा रहे हैं ?	कंपनी के पास कोई माल सूची नहीं है। तृतीय पक्ष आरक्षक मेसर्स भारतीय अंशधारी निगम के पास जमा किये गये निवेशों के लिए माल सूचियों के उचित रिकॉर्ड रखे जाते हैं।

वर्ष 2015-16 के लिए अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लिए नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों को दिये गये उपनिर्देशकों के लिए जवाब

क्र.सं	सवाल	जवाब		
1	सीजीएस / एसजीएस / बॉन्ड / डिबेंचर आदि के संबन्ध में गौतिक / डीमैट फॉर्म में उपलब्ध स्वामित्व के खिताब की संख्या एवं इन मामलों में से जो कंपनी के लेखा खातों में दर्शाए गए संबन्धित राशि के साथ समझौते में नहीं हैं उनका सत्यापन किया जा सकता है और पाए गए विसंगति की उपयुक्त सूचना दी जा सकती है।	सुरक्षा वर्ग	कुल	
			स्वामित्व के खिताब की संख्या	बॉन्ड मूल्य (000 ₹ में)
		सीजीएस	40	37802547
		एसजीएस	160	31847996
		बॉन्ड एव डिबेंचर	376	45360493
		इक्विटी शेयर	1132	42685444
		अधिमान शेयर	167	40282

**Annexure – 'C' to the Independent Auditors' Report of even date on the Consolidated Financial Statements of National Insurance Company Limited**

(Referred to in paragraph 2(n) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section)

**Replies to the Directions issued to Statutory Auditors under Section 143(5) of the Companies Act, 2013 for the Financial Year 2015-16**

Sr.No	Query	Reply
1	Whether the Company has clear title / lease deeds for freehold and leasehold land respectively? If not please state the area of freehold and leasehold land for which title / lease deeds are not available?	The Company has clear title/lease deeds for freehold and leasehold land except for one leasehold land (4316 sq. meter) at Ellis Bridge, Ahmedabad which was purchased in the name of General Insurance Corporation of India on 26.7.1989 on behalf of four PSU insurance companies.
2	Whether there are any cases of waiver / write-off of debts / loans / interest etc. If yes, the reasons thereof and the amount involved.	The Company has during the year written off ₹9861 thousand in respect of depreciated Investments.
3	Whether proper records are maintained for inventories lying with third parties & assets received as gift / grant (s) from Govt. or other authorities.	The Company does not have any stock inventories. Proper records of inventories for investments lying with third party custodian M/S Stock Holding Corporation of India are maintained.

**Replies to Sub-directions to Statutory Auditors under section 143(5) of the Companies Act, 2013 appointed for audit of National Insurance Company Limited for the year 2015-16**

Sr.No	Query	Reply		
1	Number of titles of ownership in respect of CGS/SGS/Bonds/Debentures etc. available in physical/demat form and out of these number of cases which are not in agreement with the respective amounts shown in the Company's books of accounts may be verified and discrepancy found may be suitably reported.	SECURITY CLASS	Total	
			Number of titles of ownership	BV (₹ in '000.)
		CGS	40	37802547
		SGS	160	31847996
		BONDS & DEBENTURES	376	45360493
		EQUITY SHARES	1132	42685444
PREFERENCE SHARES	167	40282		

क्र.सं	सवाल	जवाब																																		
		<p>कंपनी और उसके अरि रक्षक के बही के बीच अंतर</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">सुरक्षा वर्ग</th> <th colspan="2">छोटे मामले</th> <th colspan="2">अतिरिक्त मामले</th> </tr> <tr> <th>स्वामित्व के खिताब की संख्या</th> <th>बॉन्ड मूल्य (000 ₹ में)</th> <th>स्वामित्व के खिताब की संख्या</th> <th>बॉन्ड मूल्य (000 ₹ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>सीजीएस</td> <td>शून्य</td> <td>0</td> <td>शून्य</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>एसजीएस</td> <td>शून्य</td> <td>0</td> <td>शून्य</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>बॉन्ड एव डिबेंचर</td> <td>23</td> <td>20088</td> <td>शून्य</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>इक्विटी शेयर</td> <td>45</td> <td>583</td> <td>12</td> <td>142</td> </tr> <tr> <td>अधिमान शेयर</td> <td>25</td> <td>0.025</td> <td>3</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>	सुरक्षा वर्ग	छोटे मामले		अतिरिक्त मामले		स्वामित्व के खिताब की संख्या	बॉन्ड मूल्य (000 ₹ में)	स्वामित्व के खिताब की संख्या	बॉन्ड मूल्य (000 ₹ में)	सीजीएस	शून्य	0	शून्य	0	एसजीएस	शून्य	0	शून्य	0	बॉन्ड एव डिबेंचर	23	20088	शून्य	0	इक्विटी शेयर	45	583	12	142	अधिमान शेयर	25	0.025	3	12
सुरक्षा वर्ग	छोटे मामले			अतिरिक्त मामले																																
	स्वामित्व के खिताब की संख्या	बॉन्ड मूल्य (000 ₹ में)	स्वामित्व के खिताब की संख्या	बॉन्ड मूल्य (000 ₹ में)																																
सीजीएस	शून्य	0	शून्य	0																																
एसजीएस	शून्य	0	शून्य	0																																
बॉन्ड एव डिबेंचर	23	20088	शून्य	0																																
इक्विटी शेयर	45	583	12	142																																
अधिमान शेयर	25	0.025	3	12																																
2(क)	सांविधिक लेखा परीक्षक इसका सत्यापन कर सकते हैं:																																			
i	कंपनी द्वारा भदान किये गये बकाया दावों की कुल संख्या	बकाया दावों की कुल संख्या 207661																																		
ii	अन्य बीमा कंपनियों से बकाया और उनके कारण भीमियम/दावों के संबन्ध में अपुष्ट सह बीमा शेष के मामलों की कुल संख्या	अपुष्ट सह बीमा शेष के मामलों की कुल संख्या 368																																		
iii	पुनर्बीमा कंपनियों को ठेजा गया अर्पित पुनर्बीमा कारोबार एवं कंपनी द्वारा प्राप्त किये गये आवक पुनर्बीमा स्वीकृतियों के संबन्ध में भारी नुकसान सलाह और दावा नुकसान सलाहों की कुल संख्या	<table border="1"> <thead> <tr> <th>कारोबार</th> <th>आवक कारोबार</th> <th>अर्पण</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>भारतीय नुकसान सलाह</td> <td>7</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>नुकसान सलाह</td> <td>45</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td><b>कुल</b></td> <td><b>52</b></td> <td><b>34</b></td> </tr> </tbody> </table>	कारोबार	आवक कारोबार	अर्पण	भारतीय नुकसान सलाह	7	6	नुकसान सलाह	45	28	<b>कुल</b>	<b>52</b>	<b>34</b>																						
कारोबार	आवक कारोबार	अर्पण																																		
भारतीय नुकसान सलाह	7	6																																		
नुकसान सलाह	45	28																																		
<b>कुल</b>	<b>52</b>	<b>34</b>																																		
2(ख)	उपर्युक्त भत्येक के संबन्ध में, अ.का में सांविधिक लेख परीक्षक द्वारा एवं क्षेत्र.का/मं.का/शा.का स्तर पर शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा, जहाँ लागू हो, जांच किये गये मामलों की संख्या दर्शाई जाए।	दावे क्षेत्र.का/मं.का/शा.का स्तर पर जांच के अधीन हैं। औसतन 10% दावों की जांच शाखा एवं मंडल कार्यालय के स्तर पर लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है।																																		
2(ग)	जिन मामलों में पर्याप्त भावधान नहीं बनाये गये हैं या विसंगतियाँ पाए गये हैं उनकी संख्या दर्शाई जाए।	मामलों की संख्या को कब्जा नहीं किया गया है। जहाँ भी परिचालन कार्यालयों द्वारा पर्याप्त भावधान नहीं बनाया गया है, भावधान भावधान कार्यालय में बनाया गया है।																																		
2(घ)	दावों के इतने कम भविष्यनिर्णय का भाव, राजस्व खाते पर विसंगति और चयनित नमूने की भतिशतता की सूचना दी जा सकती है।	शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा पहचाने गये कुल ₹568398 हजार के दावों के इतने कम भविष्यनिर्णय के भाव को राजस्व खातों में शामिल किया गया है।																																		

Sr.No	Query	Reply																																		
		<p>Difference between books of the Company and that of its custodian</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">SECURITY CLASS</th> <th colspan="2">SHORT CASES</th> <th colspan="2">EXCESS CASES</th> </tr> <tr> <th>Number of titles of ownership</th> <th>BV (₹ in '000)</th> <th>No of titles of ownership</th> <th>BV (₹ in '000)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CGS</td> <td>NIL</td> <td>0</td> <td>NIL</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>SGS</td> <td>NIL</td> <td>0</td> <td>NIL</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>BONDS &amp; DEBENTURES</td> <td>23</td> <td>20088</td> <td>NIL</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>EQUITY SHARES</td> <td>45</td> <td>583</td> <td>12</td> <td>142</td> </tr> <tr> <td>PREFERENCE SHARES</td> <td>25</td> <td>0.025</td> <td>3</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>	SECURITY CLASS	SHORT CASES		EXCESS CASES		Number of titles of ownership	BV (₹ in '000)	No of titles of ownership	BV (₹ in '000)	CGS	NIL	0	NIL	0	SGS	NIL	0	NIL	0	BONDS & DEBENTURES	23	20088	NIL	0	EQUITY SHARES	45	583	12	142	PREFERENCE SHARES	25	0.025	3	12
SECURITY CLASS	SHORT CASES			EXCESS CASES																																
	Number of titles of ownership	BV (₹ in '000)	No of titles of ownership	BV (₹ in '000)																																
CGS	NIL	0	NIL	0																																
SGS	NIL	0	NIL	0																																
BONDS & DEBENTURES	23	20088	NIL	0																																
EQUITY SHARES	45	583	12	142																																
PREFERENCE SHARES	25	0.025	3	12																																
2(a)	Statutory auditor may verify:																																			
i	Total number of outstanding claims provided by the Company.	Total number of outstanding claims - 207661																																		
ii	The total number of cases of unconfirmed co-insurance balances in respect of premia/claims due to and due from other insurance companies.	Total number of cases of unconfirmed co-insurance balances – 368.																																		
iii	Total number of preliminary loss advices and claim loss advices sent to the reinsurers in respect of reinsurance ceded business and received by the Company in respect of reinsurance inward acceptances.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Business</th> <th>Inward business</th> <th>Cession</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Preliminary Loss Advice</td> <td>7</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Loss Advice</td> <td>45</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>52</b></td> <td><b>34</b></td> </tr> </tbody> </table>	Business	Inward business	Cession	Preliminary Loss Advice	7	6	Loss Advice	45	28	<b>Total</b>	<b>52</b>	<b>34</b>																						
Business	Inward business	Cession																																		
Preliminary Loss Advice	7	6																																		
Loss Advice	45	28																																		
<b>Total</b>	<b>52</b>	<b>34</b>																																		
2(b)	In respect of each of the above, the number of cases test checked by statutory auditor at HO and by the branch auditor at RO/DO/BO level, wherever applicable, may be stated.	Claims are subject to check at R.O/D.O/B.O level. On an average 10% claims have been checked by auditors at branch and divisional office level.																																		
2(c)	The number of cases where adequate provisions have not been made or discrepancies observed may be stated.	The number of cases has not been captured. Wherever adequate provision has not been made by the operating offices, provision has been made at Head Office.																																		
2(d)	The impact of such short provisioning of claims, discrepancy on the revenue account and the percentage of sample selected may be reported.	The impact of such short provisioning of claims as identified by the Branch auditors totaling to ₹568398 thousand has been taken into revenue accounts.																																		

क्र.सं	सवाल	जवाब
3	<p>(क) क्या यह आश्वासन दिया जाता है कि कर्मचारियों के देयता के लिए पेंशन फंड, छुट्टी नकदीकरण, उपदान, आदि जैसे भावधान एवं आईबीएनआर और आईबीएनईआर दावों के लिए भावधान बीमांकक मूल्यांकन के अनुसार हैं? क्या पीएसयू द्वारा बीमांकक को सटीक और पूरा डाटा भदान किया गया था और क्या पूर्वधारणा के लिए बीमांकक द्वारा इस्तेमाल किये गये छूट की दर, मुद्रास्फीति, आदि जैसे बेंचमार्क उपयुक्त थे?</p> <p><b>सहयोगी</b></p> <p>(ख) स्वतंत्र सत्यापन उपदान, छुट्टी नकदीकरण, सेवानिवृत्त चिकित्सा ला I, आदि जैसे सेवानिवृत्त ला I के देयता के लिए भावधान तक पहुंचने के लिए बीमांकक द्वारा किये गये छूट की दर, विषय मूल्य वृद्धि, मृत्युदर, आदि से संबन्धित पूर्वधारणाएँ एवं बीमांकक को दिये गये कर्मचारियों की संख्या, औसत वेतन, सेवानिवृत्त की आयु जैसी सूचना/ निविष्टों से बनी हो सकती है।</p>	<p>कर्मचारियों के देयता के लिए पेंशन फंड, छुट्टी नकदीकरण, उपदान जैसे भावधान स्वतंत्र बीमांकक के मूल्यांकन के आधार पर किये जाते हैं। आईबीएनआर और आईबीएनईआर दावों के लिए भावधान कंपनी के नियुक्त पैनल बीमांकक द्वारा पूरा किये गये बीमांकक मूल्यांकन के अनुसार किये जाते हैं। हमने उपर्युक्त अनुसार बीमांककों के रिपोर्ट पर रोसा किया है। संबन्धित बीमांककों ने अपने रिपोर्ट में कंपनी द्वारा भदान किये गये डाटा और साथ-ही-साथ पूर्वधारणा के लिए बीमांककों द्वारा इस्तेमाल किये गये बेंचमार्क जो मानदंडों/दिशानिर्देशों/मैनुअल के अनुसार है की पूर्णता को दर्शाते हुए उसको भमाणित किया है।</p> <p><b>सहयोगी</b></p> <p>हमारी राय में और भबंधन द्वारा हमें भदान किये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, बीमांकक को भस्तुत की गई सूचना और निविष्टियाँ उपयुक्त हैं।</p>
4	<p>यदि यह कंपनी विशिष्ट बैंकों के साथ गठजोड़ करते मई 2015 में शुरू किये गये भधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) में ाग ले रही है, तो भीमियम और सूचित दावों के लेखाजोखा के तरीके समझौता/योजना की शर्तों के अनुसार हैं।</p>	<p>भधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के अधीन भीमियम और सूचित दावों के लेखाजोखा का तरीका कंपनी द्वारा समझौता/योजना की शर्तों के अनुसार ही माना गया है।</p>

कृते एस. घोष एंड कं. एलएलपी के लिए  
सनदी लेखाकार  
पंजीकरण संख्या 302184ई/ई300007

(सीए. आनन्दी साह)  
ागीदार  
सदस्यता संख्या 068308

कृते साहा गांगुली एवं सहयोगियों के लिए  
सनदी लेखाकार  
पंजीकरण संख्या 302191ई

(सीए. समीर कुमार साहा)  
ागीदार  
सदस्यता संख्या 051392

कोलकाता, 26 जून 2016

Sr.No	Query	Reply
3	<p>(a) Whether there is an assurance that provision for employees liabilities such as pension fund, leave encashment, gratuity etc. and provision for IBNR &amp; IBNER claims are as per actuarial valuation. Whether accurate &amp; complete data was provided by the PSU to the Actuary and the benchmark used by Actuary for assumptions such as discount rate, inflation etc. were appropriate.</p> <p><b>Associate</b></p> <p>(b) Independent verification may be made of information/inputs furnished to Actuary, viz number of employees, average salary, retirement age and assumptions made by the Actuary regarding discount rate, future cost increase, mortality rate, etc for arriving at the provision for liability of retirement benefits, viz gratuity, leave encashment, post-retirement medical benefits, etc</p>	<p>Provisions for employees' liabilities such as Pension fund, Leave encashment, Gratuity are made based on Independent Actuary's valuation. Provisions for IBNR and IBNER claims are made as per actuarial valuation carried out by Company's engaged panel Actuary. We have relied upon the report of the Actuaries as above.</p> <p>The respective Actuaries have certified in their report stating the completeness of data provided by the Company as well as the benchmark used by the Actuaries for assumptions which are as per the Norms/Guidelines/Manual.</p> <p><b>Associate</b></p> <p>In our opinion and as per the explanation provided to us by the Management, all the information inputs furnished to the Actuary are accurate.</p>
4	<p>In case the Company is taking part in Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) launched in May 2015 tying up with specific banks, the method of accounting of premium and reported claims are as per the conditions of the agreement / scheme.</p>	<p>The method of accounting of premium and reported claims under Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) has been followed by the Company as per the conditions of the Agreement/Scheme.</p>

**For S. Ghose & Co. LLP**

Chartered Accountants  
FRN: 302184E/E300007

**(CA. Anandi Shaw)**

Partner  
Membership No. 068308

**For Saha Ganguli & Associates**

Chartered Accountants  
FRN : 302191E

**(CA. Samir Kumar Saha)**

Partner  
Membership No. 051392

Place : Kolkata

Date : 26<sup>th</sup> June, 2016



**31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु नेशनल इन्शुरेन्स कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के तहत 129(4) के साथ पढ़ी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी।**

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग संरचना के अनुसार 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु नेशनल इन्शुरेन्स कंपनी लिमिटेड की समेकित वित्तीय विवरण तैयारी कंपनी भ्रंश क जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक/लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पढ़ी जानेवाली 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा पर मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पढ़ी जानेवाली धारा 143 के तहत वित्तीय विवरण पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। उनके लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांकित 26 जून, 2016 के माध्यम से उनके द्वारा करने के लिए कहा गया है।

मैने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु नेशनल इन्शुरेन्स कंपनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण को अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 143(6) के तहत एक अनुपूरक लेखा परीक्षा का आयोजन किया है। हम ने नेशनल इन्शुरेन्स कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरण के अनुपूरक लेखा परीक्षा का आयोजन किया है, किन्तु उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए सहयोगी कंपनियों के वित्तीय विवरण के अनुपूरक लेखा परीक्षा (जैसाकि अनुबंध में सूचीबद्ध है) का आयोजन नहीं किया है। आगे अधिनियम की धारा 139(5) तथा 146(6) (ख) सहयोगी कंपनी (जैसाकि अनुबंध में उल्लिखित है) हेतु लागू नहीं है जिसे उनकी सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए अनुपूरक लेखा परीक्षा के संचालन के लिए नहीं बल्कि उनकी सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति हेतु संबंधित कानून के तहत विदेशों में इकाई के रूप में शामिल किया जा रहा है। तदनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंपनी के अनुपूरक लेखा परीक्षा का आयोजन किया है और न ही सांविधिक लेखा परीक्षा को नियुक्त किया है। सांविधिक लेखा परीक्षकों के दस्तावेज के उपयोग के बिना स्वतंत्र रूप से इस अनुपूरक लेखा परीक्षा को किया गया है तथा लेखा अंतिम लेख के कुछ एक चयनात्मक परीक्षा और कंपनी के कमियों और सांविधिक लेखा परीक्षकों के जांच के लिए मुख्य रूप से सीमित है।

**क. ला भ्रंशता पर टिप्पणी**

**31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु ला भ्रंशता खाता**

**कर पश्चात ला भ्रंशता ₹178.77 करोड़**

उपरोक्त निम्नकारण से ₹32.44 करोड़ (शुद्ध) से कम है:

- अचल परिसंपत्तियों के अतिशयोक्तिपूर्ण कथन के साथ पूंजीगत व्यय के बजाय राजस्व व्यय के रूप में क्रय किए गए आई टी परिसंपत्तियों के व्यवहार से उत्पन्न ₹8.94 करोड़ (₹0.75 करोड़ के मूल्यहास का शुद्ध) से ला भ्रंशता का अंडरस्टेटमेंट है।
- मौजूदा देनदारियों के अतिशयोक्तिपूर्ण कथन के साथ उठाए गए आई टी सेवाओं की दिशा में कम भावधान के कारण ₹12.45 करोड़ से ला भ्रंशता का ओवरस्टेटमेंट है।
- अग्रिम व अन्य परिसंपत्तियों के अतिशयोक्तिपूर्ण कथन के साथ, नेपाल में आए कृष्ण के दावों से उत्पन्न होने वाली पुर्नबीमा कंपनियों से पुर्नबीमा वसूली की गैर लेखा जोखा के कारण ₹35.95 करोड़ से ला भ्रंशता का अंडरस्टेटमेंट है।

**COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) READ WITH SECTION 129(4) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31<sup>ST</sup> MARCH 2016**

The preparation of consolidated financial statements of National Insurance Company Limited for the year ended 31<sup>st</sup> March 2016 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) read with section 129(4) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 read with section 129(4) of the Act based on independent audit in accordance with standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 26<sup>th</sup> June 2016.

I, on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 143(6)(a) read with section 129(4) of the Act of the consolidated financial statements of National Insurance Company Limited for the year ended 31<sup>st</sup> March 2016. We conducted a supplementary audit of the financial statements of National Insurance Company Limited, but did not conduct supplementary audit of the financial statements of associate companies (as listed in Annexure-I) for the year ended on that date. Further, section 139 (5) and 146 (6) (b) of the Act are not applicable to associate company (as mentioned in Annexure-II) being entity incorporated in foreign country under the respective laws, for appointment of their Statutory Auditor nor for conduct of supplementary audit. Accordingly, C&AG has neither appointed the Statutory Auditors nor conducted the supplementary audit of this company. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report:

**A. Comments on Profitability**

**Consolidated Profit & Loss Account for the year ended 31<sup>st</sup> March 2016**

**Profit After Tax - ₹178.77 crore**

The above is understated by ₹32.44 crore (Net) due to:

- i. Understatement of Profit by ₹8.94 crore (net of depreciation of ₹0.75 crore) arising from treatment of IT assets purchased as revenue expenditure instead of capital expenditure, with corresponding understatement of Fixed Assets.
- ii. Overstatement of Profit by ₹12.45 crore owing to short provision towards IT services availed, with corresponding understatement of Current Liabilities.
- iii. Understatement of Profit by ₹35.95 crore owing to non-accountal of re-insurance recoverable from re-insurers arising from Nepal earthquake claims, with corresponding understatement of Advances and Other Assets.

## ख. ऋकटीकरण पर टिप्पणी

### खाता को हिस्सा बनाने का नोट

#### आकस्मिक देयता

राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना पॉलिसियों के सेवा के दौरान पैनल अस्पतालों के लिए नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा ₹37.65 करोड़ क्षति निवारण की राशि के पुगतान में हो रही विलंब के कारण महाराष्ट्र सरकार द्वारा मांग की गई है। जिसका खातो को हिस्सा बनाने के नोट के तहत आकस्मिक देयता के रूप में खुलासा नहीं किया गया है, परिणामस्वरूप वित्तीय विवरण में कमी आ रहा है।

कृते एवं ारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

(**ऋवीर कुमार**)

**ऋधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा तथा**

**पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-II**

**कोलकाता**

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 29 अगस्त, 2016

#### अनुबंध-I

नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड सहयोगी कंपनियों का नाम जहां ओ/यो पी आर डी सी ए एण्ड एम ए बी कोलकाता द्वारा अनुपूरक लेखा परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया था।

1. हैल्थ इन्श्योरेंस टीपीए अर्धे इंडिया लिमिटेड
2. इंडिया इंटरनेशनल इन्श्योरेंस पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर

#### अनुबंध-II

नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड की सहयोगी कंपनियों का नाम जिसे विदेशों में इकाई के रूप शामिल किया जा रहा है।

1. इंडिया इंटरनेशनल इन्श्योरेंस पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर

## **B. Comments of Disclosure**

### **Notes forming part of the Accounts**

#### **Contingent Liabilities**

Govt. of Maharashtra raised demand on account of Liquidated Damages amounting to ₹37.65 crore due to delay in payment of claims by National Insurance Company Limited to empanelled hospitals while servicing Rajiv Gandhi Jeevandayee Arogya Yojana (RGJAY) policies, which has not been disclosed as Contingent Liability under Notes forming part of the Accounts, resulting in financial statements being deficient to that extent.

For and on behalf of the  
Comptroller & Auditor General of India



**(Praveer Kumar)**

**Principal Director of Commercial Audit &  
Ex-officio Member, Audit Board - II**

**Kolkata**

Place: Kolkata

Dated: the 29<sup>th</sup> of August, 2016

#### **Annexure-I**

Names of Associate Companies of National Insurance Company Limited where supplementary audit was not conducted by O/o Pr. DCA & MAB-II Kolkata

1. Health Insurance TPA of India Limited
2. India International Insurance PTE Ltd. Singapore

#### **Annexure-II**

Names of Associate Company of National Insurance Company Limited being entity incorporated in foreign country.

1. India International Insurance PTE Ltd. Singapore

**31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित अग्नि बीमा आय लेखा**

विवरण	अनुसूची	2015-2016
		(₹ '000)
1 अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	1क	75,64,611
2 निवेशों की बिक्री/पुनर्विमोचन पर लाभ (शुद्ध)		17,77,311
3 अन्य :		-
4 ब्याज, लाभांश एवं किराया - सकल		10,53,607
<b>योग (क)</b>		<b>103,95,529</b>
1 उपगत दावे (शुद्ध)	2क	68,78,650
2 कमीशन	3क	7,31,786
3 बीमा व्यवसाय से संबंधित प्रचालन व्यय	4	20,53,867
4 अन्य :		
विनिमय हानि		21
निवेश मूल्य में कमी के लिए प्रावधान, निवेश पर प्रीमियम का परिशोधन और निवेश के मूल्यहास के संबंध में डाले गए बटटे खाते		13,026
<b>योग (ख)</b>		<b>96,77,350</b>
<b>अग्नि व्यवसाय से प्रचालन लाभ/हानि ग = (क-ख)</b>		<b>7,18,179</b>
<b>विनियोजन:</b>		
शेयरधारकों के लेखा में अंतरण		718,179
आपदा रिजर्व के लिए अंतरण		-
अन्य रिजर्व के लिए अंतरण		-
<b>योग (ग)</b>		<b>718,179</b>
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	16	
लेखा के नोट	17	
उपरोक्त लिखित फार्म वित्तीय विवरण के लिए अभिन्न अंग है		

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए यह समेकित अग्नि बीमा आय लेखा इस तिथि को हमारे प्रतिवेदन के अनुसार है

**कृते निदेशक मंडल**

कृते एस. घोष एवं कं. एलएलपी  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन: 302184E/E300007

(सीए. आनन्दी साव)  
भागीदार  
सदस्यता संख्या 068308

कृते साहा गांगुली एवं एशोसिएट  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन: 302191E

(सीए समीर कुमार साहा)  
भागीदार  
सदस्यता संख्या 051392

के. सनथ कुमार  
एम. वसन्त कृष्णा  
पी. वेंकटरमैया  
एम. शशिकला  
रीना माडिया

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक  
(DIN: 03444096)  
निदेशक (DIN: 06960731)  
निदेशक (DIN: 06701070)  
मुख्य वित्तीय अधिकारी  
कम्पनी सचिव

कोलकाता 26 जून, 2016

**Consolidated Fire Revenue Account for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2016**

Particulars	Schedule	2015-2016
		(₹ '000)
1. Premiums Earned (Net)	1A	75,64,611
2. Profit on sale/redemption of Investments		17,77,311
3. Others :		-
4. Interest, Dividend & Rent (Gross)		10,53,607
<b>Total (A)</b>		<b>103,95,529</b>
1. Claims Incurred (Net)	2A	68,78,650
2. Commission	3A	7,31,786
3. Operating Expenses related to Insurance Business	4	20,53,867
4. Others :		
Exchange Loss		21
Provision for diminution in the value of Investments, amortisation of Premium on investments, and amount written off in respect of depreciated investments		13,026
<b>Total (B)</b>		<b>96,77,350</b>
<b>Operating Profit/(Loss) from Fire Business C = (A - B)</b>		<b>7,18,179</b>
<b>Appropriations:</b>		
Transfer to Shareholders' Account		718,179
Transfer to Catastrophe Reserve		-
Transfer to Other Reserves		-
<b>Total (C)</b>		<b>718,179</b>
Principles of Consolidation and Significant Accounting Policies	16	
Notes to Accounts	17	

**The schedules referred to above form an integral part of the Financial Statements**

This is the Consolidated Fire Insurance Revenue Account for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2016 referred to in our report of even date.

For and on behalf of the Board of Directors

For S. Ghose & Co.LLP  
Chartered Accountants  
FRN 302184E/E300007

For Saha Ganguli & Associates  
Chartered Accountants  
FRN 302191E

K. Sanath Kumar  
Chairman-cum-Managing Director  
(DIN: 03444096)

M. Vasantha Krishna  
Director (DIN: 06960731)

P. Venkatramaiah  
Director (DIN: 06701070)

M. Sashikala  
Chief Financial Officer

Rina Madia  
Company Secretary

(CA. Anandi Shaw)  
Partner

(CA. Samir Kumar Saha)  
Partner

Membership No. 068308

Membership No. 051392

Kolkata, the 26<sup>th</sup> June 2016

फर्म B-RA  
आईआरडीए पंजीकरण सं.58 दिनांक 7 अप्रैल 2015  
CIN: U10200WB1906GOI001713

**31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित मरीन बीमा आय लेखा**

विवरण	अनुसूची	2015-2016 (₹ '000)
1 अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	1ख	2,057,194
2 निवेशों की बिक्री/पुनर्विमोचन पर लाभ (शुद्ध)		469,011
3 अन्य : विनिमय लाभ		-
4 ब्याज, लभांश एवं किराया (सकल)		278,034
<b>योग (क)</b>		<b>2,804,239</b>
1 उपगत दावे (शुद्ध)	2ख	1,047,970
2 कमीशन	3ख	127,021
3 बीमा व्यवसाय से संबंधित प्रचालन व्यय	4	363,611
4 अन्य : विनिमय हानि		9
निवेश मूल्य में कमी के लिए प्रावधान, निवेश पर प्रीमियम का परिशोधन और निवेश के मूल्यहास के संबंध में डाले गए बटटे खाते		3,437
<b>योग (ख)</b>		<b>1,542,048</b>
<b>मरीन व्यवसाय से प्रचालन लाभ/हानि ग = (क-ख)</b>		<b>1,262,191</b>
विनियोजन: शेयरधारकों के लेखा में अंतरण आपदा रिजर्व के लिए अंतरण अन्य रिजर्व के लिए अंतरण		1,262,191 - -
<b>योग (ग)</b>		<b>1,262,191</b>
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां लेखा के नोट	16 17	
उपरोक्त लिखित फार्म वित्तीय विवरण के लिए अभिन्न अंग है		

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए यह समेकित मरीन बीमा आय लेखा इस तिथि को हमारे प्रतिवेदन के अनुसार हैं

**कृते निदेशक मंडल**

कृते एस. घोष एवं कं. एलएलपी  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन: 302184E/E300007

(सीए. आनन्दी साव)  
भागीदार  
सदस्यता संख्या 068308

कृते साहा गांगुली एवं एशोसिएट  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन: 302191E

(सीए समीर कुमार साहा)  
भागीदार  
सदस्यता संख्या 051392

के. सनथ कुमार  
एम. वसन्त कृष्णा  
पी. वेंकटरामाइया  
एम. शशिकला  
रीना माडिया

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक  
(DIN: 03444096)  
निदेशक (DIN: 06960731)  
निदेशक (DIN: 06701070)  
मुख्य वित्तीय अधिकारी  
कम्पनी सचिव

कोलकाता 26 जून, 2016

**Consolidated Marine Revenue Account for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2016**

Particulars	Schedule	2015-2016
		(₹ '000)
1. Premiums Earned (Net)	1B	2,057,194
2. Profit/Loss on sale/redemption of Investments		469,011
3. Others :		-
Exchange Gain		-
4. Interest, Dividend & Rent - Gross		278,034
<b>Total (A)</b>		<b>2,804,239</b>
1. Claims Incurred (Net)	2B	1,047,970
2. Commission	3B	127,021
3. Operating Expenses related to Insurance Business	4	363,611
4. Others :		
Exchange Loss		9
Provision for diminution in the value of Investments, amortisation of Premium on investments, and amount written off in respect of depreciated investments		3,437
<b>Total (B)</b>		<b>1,542,048</b>
<b>Operating Profit/(Loss) from Marine Business C = (A - B)</b>		<b>1,262,191</b>
<b>Appropriations:</b>		
Transfer to Shareholders' Account		1,262,191
Transfer to Catastrophe Reserve		-
Transfer to Other Reserves		-
<b>Total (C)</b>		<b>1,262,191</b>
Principles of Consolidation and Significant Accounting Policies	16	
Notes to Accounts	17	

**The schedules referred to above form an integral part of the Financial Statements**

This is the Consolidated Marine Insurance Revenue Account for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2016 referred to in our report of even date.

For and on behalf of the Board of Directors

For S. Ghose & Co.LLP  
Chartered Accountants  
FRN 302184E/E300007

For Saha Ganguli & Associates  
Chartered Accountants  
FRN 302191E

K. Sanath Kumar  
Chairman-cum-Managing Director  
(DIN: 03444096)

M. Vasantha Krishna  
Director (DIN: 06960731)

P. Venkatramaiah  
Director (DIN: 06701070)

M. Sashikala  
Chief Financial Officer

Rina Madia  
Company Secretary

(CA. Anandi Shaw)  
Partner  
Membership No. 068308

(CA. Samir Kumar Saha)  
Partner  
Membership No. 051392

Kolkata, the 26<sup>th</sup> June 2016



फर्म B-RA  
 आईआरडीए पंजीकरण सं.58 दिनांक 7 अप्रैल 2015  
 CIN: U10200WB1906GOI001713

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित विविध बीमा आय लेखा

विवरण	अनुसूची	2015-2016 (₹ '000)
1 अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	1ग	98,292,017
2 निवेशों की बिक्री/पुनर्विमोचन पर लाभ (शुद्ध)		16,149,271
3 अन्य : विनिमय लाभ		-
4 ब्याज, लाभांश एवं किराया - सकल		9,573,446
<b>योग (क)</b>		<b>124,014,734</b>
1 उपगत दावे (शुद्ध)	2ग	94,897,365
2 कमीशन	3ग	5,339,771
3 बीमा व्यवसाय से संबंधित प्रचालन व्यय	4	32,714,444
4 अन्य : विनिमय हानि		91,619
निवेश मूल्य में कमी के लिए प्रावधान, निवेश पर प्रीमियम का परिशोधन और निवेश के मूल्यहास के संबंध में डाले गए बटटे खाते		118,358
<b>योग (ख)</b>		<b>133,161,557</b>
<b>अग्रिम व्यवसाय से प्रचालन लाभ/हानि - (क-ख)</b>		<b>-9,146,823</b>
<b>विनियोजन:</b>		
शेयरधारकों के लेखा में अंतरण		-9,146,823
आपदा रिजर्व के लिए अंतरण		-
अन्य रिजर्व के लिए अंतरण		-
<b>योग (ग)</b>		<b>-9,146,823</b>
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	16	
लेखा के नोट	17	
उपरोक्त लिखित फार्म वित्तीय विवरण के लिए अभिन्न अंग है		

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए यह समेकित विविध बीमा आय लेखा इस तिथि को हमारे प्रतिवेदन के अनुसार हैं

कृते निदेशक मंडल

कृते एस. घोष एवं कं. एलएलपी  
 सनदी लेखाकार  
 एफआरएन: 302184E/E300007

(सीए. आनन्दी साव)  
 भागीदार  
 सदस्यता संख्या 068308

कृते साहा गांगुली एवं एशोसिएट  
 सनदी लेखाकार  
 एफआरएन: 302191E

(सीए समीर कुमार साहा)  
 भागीदार  
 सदस्यता संख्या 051392

के. सनथ कुमार  
 एम. वसन्त कृष्णा  
 पी. वेंकटरमैया  
 एम. शशिकला  
 रीना माडिया

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक  
 (DIN: 03444096)  
 निदेशक (DIN: 06960731)  
 निदेशक (DIN: 06701070)  
 मुख्य वित्तीय अधिकारी  
 कम्पनी सचिव

कोलकाता 26 जून, 2016

**Consolidated Miscellaneous Revenue Account for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2016**

Particulars	Schedule	2015-2016
		(₹ '000)
1. Premiums Earned (Net)	1C	98,292,017
2. Profit/Loss on sale/redemption of Investments		16,149,271
3. Others :		-
Exchange Gain		-
4. Interest, Dividend & Rent - Gross		9,573,446
<b>Total (A)</b>		<b>124,014,734</b>
1. Claims Incurred (Net)	2C	94,897,365
2. Commission	3C	5,339,771
3. Operating Expenses related to Insurance Business	4	32,714,444
4. Others :		
Exchange Loss		91,619
Provision for diminution in the value of Investments, amortisation of Premium on investments, and amount written off in respect of depreciated investments		118,358
<b>Total (B)</b>		<b>133,161,557</b>
<b>Operating Profit/(Loss) from Miscellaneous Business C = (A - B)</b>		<b>-9,146,823</b>
<b>Appropriations:</b>		
Transfer to Shareholders' Account		-9,146,823
Transfer to Catastrophe Reserve		-
Transfer to Other Reserves		-
<b>Total (C)</b>		<b>-9,146,823</b>
Principles of Consolidation and Significant Accounting Policies	16	
Notes to Accounts	17	
<b>The schedules referred to above form an integral part of the Financial Statements</b>		

This is the Consolidated Miscellaneous Insurance Revenue Account for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2016 referred to in our report of even date.

For and on behalf of the Board of Directors

For S. Ghose & Co.LLP  
Chartered Accountants  
FRN 302184E/E300007

For Saha Ganguli & Associates  
Chartered Accountants  
FRN 302191E

K. Sanath Kumar  
Chairman-cum-Managing Director  
(DIN: 03444096)

M. Vasantha Krishna  
Director (DIN: 06960731)

P. Venkatramaiah  
Director (DIN: 06701070)

M. Sashikala  
Chief Financial Officer

Rina Madia  
Company Secretary

(CA. Anandi Shaw)  
Partner  
Membership No. 068308

(CA. Samir Kumar Saha)  
Partner  
Membership No. 051392

Kolkata, the 26<sup>th</sup> June 2016

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ तथा हानि लेखा

विवरण		2015 – 2016 (₹ '000)
1.	प्रचालन लाभ/हानि	-7,166,453
	(क) अग्नि बीमा	718,179
	(ख) मरीन बीमा	1,262,191
	(ग) विविध बीमा	-9,146,823
2.	निवेशों से आय	8,338,961
	(क) ब्याज, लाभांश एवं किराया - सकल	3,103,583
	(ख) विविध आय	5,235,399
	घटाएं: निवेशों के बिक्री से हानि	21
3.	अन्य आय	248,688
	(क) अन्य सम्पत्ति की बिक्री से लाभ	6,194
	(ख) विविध आय	242,494
	(ग) विनिमय लाभ	-
	(घ) अन्य	-
	योग (क)	1,421,196
4.	प्रावधान (कराधान के आलावा)	-117,320
	(क) निवेशों के मूल्य में कमी के लिए	23,311
	(ख) सदिग्ध ऋणों के लिए	-140,631
	(ग) अन्य	-
5.	अन्य व्यय	33,524
	(क) बीमा व्यवसाय से संबंधित व्ययों के अलावा व्यय	18,463
	(ख) बट्टे खाते अशोध्य ऋण	-
	(ग) अन्य:	
	निवेशों पर प्रीमियम का परिशोधन	12,874
	निवेश के मूल्यहास के संबंध में	2,185
	बट्टे खाते परिसम्पत्ति	-
	सम्पत्ति बिक्री में हानि	-
	प्रदत्त विदेशी आयकर	2
	योग (ख)	-83,796

**Consolidated Profit and Loss Account for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2016**

Particulars	Schedule	2015 – 2016 (₹ '000)
<b>1. OPERATING PROFIT/LOSS</b>		<b>-7,166,453</b>
(a) Fire Insurance		718,179
(b) Marine Insurance		1,262,191
(c) Miscellaneous Insurance		-9,146,823
<b>2. INCOME FROM INVESTMENTS</b>		<b>8,338,961</b>
(a) Interest, Dividend & Rent - Gross		3,103,583
(b) Profit on sale of investments		5,235,399
Less: Loss on sale of Investments		21
<b>3. OTHER INCOME</b>		<b>248,688</b>
(a) Profit on sale of other asset		6,194
(b) Miscellaneous Income		242,494
(c) Exchange Gain		-
(d) Others		-
<b>Total (A)</b>		<b>1,421,196</b>
<b>4. PROVISIONS (Other than taxation)</b>		<b>-117,320</b>
(a) For diminution in the value of Investments		23,311
(b) For doubtful debts		-140,631
(c) Others		-
<b>5. OTHER EXPENSES</b>		<b>33,524</b>
(a) Expenses other than those related to "Insurance Business"		18,463
(b) Bad debts written off		-
(c) Others:		
Amortisation of Premium on Investments		12,874
Amount written off in respect of "depreciated Investments"		2,185
Assets written off		-
Loss on Sale on Asset		-
Foreign Income tax paid		2
<b>Total (B)</b>		<b>-83,796</b>

विवरण	अनुसूची	2015 – 2016 (₹ '000)
कर पूर्व लाभ		1,504,992
कराधान के लिए प्रावधान		-
पूर्व वर्षों का कराधान समायोजन		12,702
कर के बाद, लेकिन एशोसिएट के लाभ/हानि की हिस्सेदारी पूर्व लाभ		1,492,290
जोड़े: एशोसिएट के शेयर का लाभ/हानि		295,452
कर के बाद, लाभ और एशोसिएट के शेयर का लाभ/हानि		17,87,742
विनियोजन:		17,87,742
(क) वर्ष के दौरान भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश		-
(ख) प्रस्तावित लाभांश		451,498
(ग) लाभांश संवितरण कर		90,273
(घ) सधारण रिजर्व का अंतरण (एसोसिएट कम्पनी के लाभ या हानि के साथ)		12,45,971
(ङ) भूमि और भवन निर्माण के लिए आकस्मिक रिजर्व का अंतरण		-
पिछले वर्ष के लाभ/हानि की शेष राशि का अग्रेषण		-
तूलन-पत्र का शेष का अग्रेषण		-
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	16	
लेखा का नोट	17	

उपरोक्त लिखित फार्म वित्तीय विवरण के लिए अभिन्न अंग है

**31 मार्च 2016** को समाप्त वर्ष के लिए यह समेकन लाभ/हानि आय लेखा इस तिथि को हमारे प्रतिवेदन के अनुसार है

कृते निदेशक मंडल

कृते एस. घोष एवं कं. एलएलपी  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन: 302184E/E300007

(सीए. आनन्दी साव)  
भागीदार  
सदस्यता संख्या 068308

कृते साहा गांगुली एवं एशोसिएट  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन: 302191E

(सीए समीर कुमार साहा)  
भागीदार  
सदस्यता संख्या 051392

के. सनथ कुमार  
एम. वसन्त कृष्णा  
पी. वेंकटरमैया  
एम. शशिकला  
रीना माडिया

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक  
(DIN: 03444096)  
निदेशक (DIN: 06960731)  
निदेशक (DIN: 06701070)  
मुख्य वित्तीय अधिकारी  
कम्पनी सचिव

कोलकाता 26 जून, 2016

Particulars	Schedule	2015 – 2016 (₹ '000)
<b>Profit before tax</b>		<b>1,504,992</b>
Provision for Taxation		-
Adjustment of taxation for Earlier Years		12,702
Profit after Tax but before share of Profit/Loss of Associates		1,492,290
Add: Share of Profit/Loss of Associates		295,452
Project after Tax and share of Profit/Loss of Associates		17,87,742
<b>Appropriations:</b>		<b>17,87,742</b>
(a) Interim dividends paid during the year		-
(b) Proposed Final Dividend		451,498
(c) Dividend Distribution tax		90,273
(d) Transfer to General Reserve (Includes Profit or Loss from associated companies)		12,45,971
(e) Transfer to Contingency Reserve for Land & Building		-
Balance of profit/loss brought forward from last year		-
Balance carried forward to Balance Sheet		-
Principles of Consolidation and Significant Accounting Policies	16	
Notes to Accounts	17	

**The schedules referred to above form an integral part of the Financial Statements**

**This is the Consolidated Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2016 referred to in our report of even date.**

For and on behalf of the Board of Directors

For S. Ghose & Co.LLP  
Chartered Accountants  
FRN 302184E/E300007

For Saha Ganguli & Associates  
Chartered Accountants  
FRN 302191E

K. Sanath Kumar

Chairman-cum-Managing Director  
(DIN: 03444096)

M. Vasantha Krishna

Director (DIN: 06960731)

P. Venkatramaiah

Director (DIN: 06701070)

M. Sashikala

Chief Financial Officer

Rina Madia

Company Secretary

(CA. Anandi Shaw)  
Partner

(CA. Samir Kumar Saha)  
Partner

Membership No. 068308

Membership No. 051392

Kolkata, the 26<sup>th</sup> June 2016

**31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष का समेकित तुलन-पत्र**

विवरण	Schedule	As at 31.03.2016 (₹ '000)
<b>निधियों को स्रोत</b>		
शेयर पूंजी	5	1,000,000
आरक्षित तथा आधिक्य	6	39,162,448
उचित मूल्य परिवर्तन लेखा		51,825,016
उधार	7	-
<b>योग</b>		<b>91,987,464</b>
<b>निधियों के अनुप्रयोग</b>		
निवेश	8	217,897,577
ऋण	9	2,048,477
स्थायी परिसम्पत्तियां	10	1,821,858
वर्तमान परिसम्पत्तियां:		
नगद तथा बैंक अतिशेष	11	13,805,689
अग्रिम तथा अन्य परिसम्पत्तियां	12	50,123,507
<b>उप-योग (क)</b>		<b>63,929,196</b>
वर्तमान देयताएं	13	138,460,592
प्रावधान	14	58,293,104
<b>उप-योग (ख)</b>		<b>196,753,696</b>
शुद्ध वर्तमान परिसम्पत्तियां (ग)=(क-ख)		<b>-132,824,500</b>
विविध खर्च		
(बट्टे खाते डाले गए अथवा समायोजित नहीं की सीमा तक)	15	3,044,052
लाभ और हानि खाते में नामे शेष		-
<b>योग</b>		<b>91,987,464</b>
समेकन के सिद्धांत और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	16	
लेखा के नोट	17	<b>28,87,41,160</b>

उपरोक्त लिखित फॉर्म वित्तीय विवरण के लिए अभिन्न अंग है

**Consolidated Balance Sheet as at 31<sup>st</sup> March, 2016**

Particulars	Schedule	As at 31.03.2016 (₹ '000)
<b>SOURCES OF FUNDS</b>		
SHARE CAPITAL	5	1,000,000
RESERVES AND SURPLUS	6	39,162,448
FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT		51,825,016
BORROWINGS	7	-
<b>TOTAL</b>		<b>91,987,464</b>
<b>APPLICATION OF FUNDS</b>		
INVESTMENTS	8	217,897,577
LOANS	9	2,048,477
FIXED ASSETS	10	1,821,858
CURRENT ASSETS		
Cash and Bank Balances	11	13,805,689
Advances and Other Assets	12	50,123,507
Sub-Total (A)		<b>63,929,196</b>
CURRENT LIABILITIES	13	138,460,592
PROVISIONS	14	58,293,104
<b>Sub-Total (B)</b>		<b>196,753,696</b>
NET CURRENT ASSETS (C) = (A-B)		<b>-132,824,500</b>
MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)	15	3,044,052
DEBIT BALANCE IN PROFIT AND LOSS ACCOUNT		-
<b>TOTAL</b>		<b>91,987,464</b>
Principles of Consolidation and Significant Accounting Policies	16	
Notes to Accounts	17	<b>28,87,41,160</b>

The schedules referred to above form an integral part of the Financial Statements



आकस्मिक देयताएं

विवरण		As at 31.03.2016 (₹ '000)
1.	आंशिक चुकता निवेश	4,181
2.	दावा, नीतियों के खिलाफ के अलावा कम्पनी द्वारा ऋण के रूप में स्वीकार नहीं है।	1,995,319
3.	शेष बीमालेखन प्रतिबद्धताएं (शेयर और प्रतिभूतियों के संबंध में)	-
4.	दिए गए गारंटी या कम्पनी की ओर से	950
5.	विवादित वैधानिक मांग देनदारियां, नहीं प्रदान करने के लिए	9,289,754
6.	पुर्नबीमा दायित्व लेखा में नहीं दिया जाना	-
7.	अन्य	-
	<b>कुल</b>	<b>1,12,90,204</b>

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए यह समेकन तुलन-पत्र आय लेखा इस तिथि को हमारे प्रतिवेदन के अनुसार है

कृते एस. घोष एवं कं. एलएलपी  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन: 302184E/E300007

(सीए. आनन्दी साव)  
भागीदार  
सदस्यता संख्या 068308

कृते साहा गांगुली एवं एशोसिएट  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन: 302191E

(सीए समीर कुमार साहा)  
भागीदार  
सदस्यता संख्या 051392

के. सनथ कुमार  
एम. वसन्त कृष्णा  
पी. वेंकटरमैया  
एम. शशिकला  
रीना माडिया

कृते निदेशक मंडल

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक  
(DIN: 03444096)  
निदेशक (DIN: 06960731)  
निदेशक (DIN: 06701070)  
मुख्य वित्तीय अधिकारी  
कम्पनी सचिव

कोलकाता 26 जून, 2016

## CONTINGENT LIABILITIES

Particulars	As at 31.03.2016 (₹ '000)
1. Partly paid-up Investments	4,181
2. Claims, other than against policies, not acknowledged as debts by the Company	1,995,319
3. Underwriting commitments outstanding (in respect of shares and securities)	-
4. Guarantees given by or on behalf of the Company	950
5. Statutory demands/liabilities in dispute, not provided for	9,289,754
6. Reinsurance obligations to the extent not provided for in Accounts	-
7. Others	-
<b>TOTAL</b>	<b>1,12,90,204</b>

**This is the Consolidated Balance Sheet as on 31st March, 2016 referred to in our report of even date.**

For and on behalf of the Board of Directors

For S. Ghose & Co.LLP  
Chartered Accountants  
FRN 302184E/E300007

For Saha Ganguli & Associates  
Chartered Accountants  
FRN 302191E

K. Sanath Kumar Chairman-cum-Managing Director  
(DIN: 03444096)  
M. Vasantha Krishna Director (DIN: 06960731)  
P. Venkatramaiah Director (DIN: 06701070)  
M. Sashikala Chief Financial Officer  
Rina Madia Company Secretary

(CA. Anandi Shaw)  
Partner  
Membership No. 068308

(CA. Samir Kumar Saha)  
Partner  
Membership No. 051392

Kolkata, the 26<sup>th</sup> June 2016

**31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित भापति और गुगतान खाता**

	<b>2015-16 (₹ '000)</b>
<b>क. ऑपरेंटिंग कार्रवाई से नकदी भवाह:</b>	
1 पॉलिसीधारक से भापति भीमियम, (अग्रिम रसीद सहित)	115,712,633
2 अन्य भापतियों	136,050,947
3 पुनः बीमा कंपनियों को गुगतान, आयुगों और दावों का कुल	-4,406,342
4 सह-बीमा कंपनियों को गुगतान, दावों वसूली का कुल	-2,716,746
5 दावों का गुगतान	-33,436,276
6 कमीशन और दलाली का गुगतान	-4,953,929
7 अन्य ऑपरेंटिंग खर्च का गुगतान	-15,886,196
8 भारी ाक और पूर्व भ्चालन खर्च	-
9 जमा, अग्रिम और कर्मचारियों ऋण ( ावन निर्माण ऋण सहित)	-618,538
10 आय करों का गुगतान किया (नेट) ( वेल्थ टैक्स सहित)	-2,980,572
11 गुगतान सेवा कर	-14,435,191
12 अन्य गुगतान	-197,650,236
13 असाधारण मदों से पहले नकदी भ्वाह	-25,320,446
14 असाधारण आपरेशन से नकद भ्वाह	-
15 ऑपरेंटिंग गतिविधियों से नेट नकद भ्वाह (क)	-25,320,446
<b>ख. निवेश गतिविधियों से नकदी भ्वाह:</b>	
1 अचल संपत्तियों की खरीद	-260,796
2 अचल संपत्तियों की बिक्री से भापति आय	35,455
3 निवेश की खरीद(मुद्रा बाजार के साधन और लिक्विड म्यूचुअल फंडों के अलावा)	-31,994,600
4 वितरित ऋण	-
5 निवेश की बिक्री	51,197,072
6 भापति पुनः गुगतान	57,552
7 भापति किराया / ब्याज / ला ांश	13,858,242
8 मुद्रा बाजार के उपकरणों में और लिक्विड म्यूचुअल फंड में निवेश	-4,701,380
9 निवेश से संबंधित खर्च	-78
10 निवेश गतिविधियों से नेट नकद भ्वाह (ख)	28,191,467

**Consolidated Receipts and payments Account for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2016**

	2015-16 (₹ '000)
<b>A. Cash flows from Operating Activities:</b>	
1 Premium received from policyholders, (including advance receipts)	115,712,633
2 Other receipts	136,050,947
3 Payments to the re-insurers, net of commissions and claims	-4,406,342
4 Payments to co-insurers, net of claims recovery	-2,716,746
5 Payments of claims	-33,436,276
6 Payments of commission and brokerage	-4,953,929
7 Payments of other operating expenses	-15,886,196
8 Preliminary and pre-operative expenses	-
9 Deposits, advances and staff loans (including House building Loan)	-618,538
10 Income taxes paid (Net) (Including Wealth Tax)	-2,980,572
11 Service tax paid	-14,435,191
12 Other payments	-197,650,236
13 Cash flows before extraordinary items	-25,320,446
14 Cash flow from extraordinary operations	-
15 Net cash flow from operating activities (A)	-25,320,446
<b>B. Cash flows from Investing Activities:</b>	
1 Purchase of fixed assets	-260,796
2 Proceeds from sale of fixed assets	35,455
3 Purchases of investments (Other than money market instruments & liquid mutual funds)	-31,994,600
4 Loans disbursed	-
5 Sales of investments	51,197,072
6 Repayments received	57,552
7 Rents/Interests/Dividends received	13,858,242
8 Investments in money market instruments and in liquid mutual funds	-4,701,380
9 Expenses related to investments	-78
10 Net cash flow from investing activities (B)	28,191,467

दिनांक 7 अगस्त, 2015 के नवीकरण के अनुसार पंजीकरण संख्या 58  
 सीआईएन: U10200WB1906GOI001713

**31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित भाप्टि और गुगतान खाता**

	2015-16 (₹ '000)
<b>ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी भवाह:</b>	
1 शेयर पूंजी जारी करने से भाप्टि आय	-
2 उधार से भाप्टि आय	-
3 उधार का पुनः गुगतान	-
4 ब्याज / लाभांश का गुगतान किया (डिविडेंड डिस्ट्रिब्यूशन टैक्स सहित)	-2,264,180
5 वित्तीय गतिविधियों से नेट नकद भवाह (ग)	-2,264,180
<b>घ. केश और केश समतुल्य में विदेशी विनिमय दरों का भाप्टि, नेट (संपत्ति और देनदारियों का भाप्टिपादन के कारण)</b>	<b>34,299</b>
<b>ङ. नकद व नकद समतुल्य में समान नेट वृद्धि: (क+ख+ग+घ)</b>	<b>641,140</b>
1 साल की शुरुआत में नकद और नकद समतुल्य	13,164,549
2 वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य	13,805,689

दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हमारे रिपोर्ट में उल्लिखित समेकित भाप्टि एवं गुगतान खाता है।

कृते एस. घोष एवं कं. एलएलपी  
 सनदी लेखाकार  
 एफआरएन: 302184E/E300007

(सीए. आनन्दी साव)  
 भागीदार  
 सदस्यता संख्या 068308

कृते साहा गांगुली एवं एशोसिएट  
 सनदी लेखाकार  
 एफआरएन: 302191E

(सीए समीर कुमार साहा)  
 भागीदार  
 सदस्यता संख्या 051392

के. सनथ कुमार  
 एम. वसन्त कृष्णा  
 पी. वेंकटरमैया  
 एम. शशिकला  
 रीना माडिया

कृते निदेशक मंडल

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक  
 (DIN: 03444096)  
 निदेशक (DIN: 06960731)  
 निदेशक (DIN: 06701070)  
 मुख्य वित्तीय अधिकारी  
 कम्पनी सचिव

कोलकाता 26 जून, 2016

**Consolidated Receipts and payments Account for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2016**

	<b>2015-16 (₹ '000)</b>
<b>C. Cash flows from Financing Activities:</b>	
1 Proceeds from issuance of share capital	-
2 Proceeds from borrowing	-
3 Repayments of borrowing	-
4 Interest / dividends (including dividend distribution tax) paid	-2,264,180
5 Net cash flow from financing activities (C)	-2,264,180
<b>D. Effect of Foreign Exchange rates on Cash &amp; Cash Equivalents, net (due to translation of assets and liabilities)</b>	<b>34,299</b>
<b>E. Net increase in Cash &amp; Cash Equivalents: (A+B+C+D)</b>	<b>641,140</b>
1 Cash and cash equivalents at the beginning of the year	<b>13,164,549</b>
2 Cash and cash equivalents at the end of the year	<b>13,805,689</b>

**This is the Consolidated Receipts and Payments A/c for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2016 referred to in our report of even date.**

For and on behalf of the Board of Directors

For S. Ghose & Co.LLP  
Chartered Accountants  
FRN 302184E/E300007

For Saha Ganguli & Associates  
Chartered Accountants  
FRN 302191E

K. Sanath Kumar	Chairman-cum-Managing Director (DIN: 03444096)
M. Vasantha Krishna	Director (DIN: 06960731)
P. Venkatramaiah	Director (DIN: 06701070)
M. Sashikala	Chief Financial Officer
Rina Madia	Company Secretary

(CA. Anandi Shaw)  
Partner

(CA. Samir Kumar Saha)  
Partner

Membership No. 068308

Membership No. 051392

Kolkata, the 26<sup>th</sup> June 2016

**वित्तीय विवरण की समेकित अंगीभूत अनुसूचियाँ**

**अनुसूची - 1क अग्नि**

**अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)**

विवरण	2015 - 2016 (₹ '000)
प्रत्यक्ष लिखित व्यवसाय से प्रीमियम	90,91,508
जोड़े: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	15,76,610
घटाएं: अर्पित पुनर्बीमा पर प्रीमियम	31,39,897
शुद्ध प्रीमियम	75,28,221
असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित में परिवर्तन के लिए समायोजन	36,390
<b>कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)</b>	<b>75,64,611</b>

**अनुसूची - 2क अग्नि**

**उपगत दावा (शुद्ध)**

विवरण	2015 - 2016 (₹ '000)
<b>प्रदत्त दावे</b>	
प्रत्यक्ष	62,75,280
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा	10,00,687
घटाएं : अर्पित पुनर्बीमा	30,07,853
<b>शुद्ध प्रदत्त दावे</b>	<b>42,68,114</b>
जोड़ें : वर्ष के अंत में बकाया दावे	116,78,243
घटाएं : वर्ष के शुरू में बकाया दावे	90,67,707
<b>कुल उपगत दावे</b>	<b>68,78,650</b>

**अनुसूची - 3क अग्नि**

**कमीशन**

विवरण	2015 - 2016 (₹ '000)
<b>प्रदत्त कमीशन</b>	
<b>प्रत्यक्ष कुल (क)</b>	<b>6,06,526</b>
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन	3,43,350
घटाएं : अर्पित पुनर्बीमा पर कमीशन	2,18,090
<b>शुद्ध कमीशन</b>	<b>7,31,786</b>

**SCHEDULES FORMING PART OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

**SCHEDULE – 1A FIRE**

**PREMIUM EARNED [NET]**

Particulars	2015 - 2016 (₹ '000)
Premium from direct business written	90,91,508
Add: Premium on reinsurance accepted	15,76,610
Less : Premium on reinsurance ceded	31,39,897
<b>Net Premium</b>	<b>75,28,221</b>
Adjustment for change in reserve for unexpired risks	36,390
<b>Total Premium Earned (Net)</b>	<b>75,64,611</b>

**SCHEDULE – 2A FIRE**

**CLAIMS INCURRED [NET]**

Particulars	2015 - 2016 (₹ '000)
<b>Claims paid</b>	
Direct	62,75,280
Add :Re-insurance accepted	10,00,687
Less :Re-insurance ceded	30,07,853
<b>Net Claims paid</b>	<b>42,68,114</b>
Add Claims Outstanding at the end of the year	116,78,243
Less Claims Outstanding at the beginning of the year	90,67,707
<b>Total Claims Incurred</b>	<b>68,78,650</b>

**SCHEDULE- 3A FIRE**

**COMMISSION**

Particulars	2015 - 2016 (₹ '000)
<b>Commission paid</b>	
<b>Direct-Total (A)</b>	<b>6,06,526</b>
Add: Commission on Re-insurance accepted	3,43,350
Less: Commission on Re-insurance ceded	2,18,090
<b>Net Commission</b>	<b>7,31,786</b>



व्यवसाय लाने के लिए खर्च गए ब्रेक-अप व्यय (सकल):

अभिकर्ता

ब्रोकर

कार्पोरेट अभिकर्ता

अन्य :

परामर्श

विविध अन्य

कुल (ख)

**2015 - 2016**

(₹ '000)

3,00,000

1,90,287

1,16,239

-

-

**6,06,526**

**Break-up of the expenses (Gross) incurred to procure business :**

	<b>2015 - 2016</b> <b>(₹ '000)</b>
Agents	3,00,000
Brokers	1,90,287
Corporate Agency	1,16,239
Others :	
Referral	-
Misc. Others	-
<b>Total (B)</b>	<b>6,06,526</b>

**वित्तीय विवरण की समेकित अंगीभूत अनुसूचियाँ**

**अनुसूची - 1ख समु ी**

**अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)**

विवरण	2015 - 2016 (₹ '000)
प्रत्यक्ष लिखित व्यवसाय से प्रीमियम	26,34,810
जोड़े : स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	1,43,479
घटाएं : अर्पित पुनर्बीमा पर प्रीमियम	9,86,731
शुद्ध प्रीमियम	17,91,558
असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित में परिवर्तन के लिए समायोजन	2,65,636
<b>कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)</b>	<b>20,57,194</b>

**अनुसूची - 2ख समु ी**

**उपगत दावा (शुद्ध)**

विवरण	2015 - 2016 (₹ '000)
<b>प्रदत्त दावे</b>	
प्रत्यक्ष	14,60,677
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा	1,13,802
घटाएं : अर्पित पुनर्बीमा	2,98,170
<b>शुद्ध प्रदत्त दावे</b>	<b>12,76,309</b>
जोड़ें : वर्ष के अंत में बकाया दावे	18,79,833
घटाएं : वर्ष के शुरु में बकाया दावे	21,08,172
<b>कुल उपगत दावा</b>	<b>10,47,970</b>

**अनुसूची - 3ख समु ी**

**कमीशन**

विवरण	2015 - 2016 (₹ '000)
<b>प्रदत्त कमीशन</b>	
<b>प्रत्यक्ष कुल (ख)</b>	<b>2,40,110</b>
जोड़े : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन	23,970
घटाएं : अर्पित पुनर्बीमा पर कमीशन	1,37,059
<b>शुद्ध कमीशन</b>	<b>1,27,021</b>

**SCHEDULES FORMING PART OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

**SCHEDULE – 1B MARINE**

**PREMIUM EARNED [NET]**

Particulars	2015 - 2016 (₹ '000)
Premium from direct business written	26,34,810
Add: Premium on reinsurance accepted	1,43,479
Less : Premium on reinsurance ceded	9,86,731
<b>Net Premium</b>	<b>17,91,558</b>
Adjustment for change in reserve for unexpired risks	2,65,636
<b>Total Premium Earned (Net)</b>	<b>20,57,194</b>

**SCHEDULE – 2B MARINE**

**CLAIMS INCURRED [NET]**

Particulars	2015 - 2016 (₹ '000)
Claims paid	
Direct	14,60,677
Add :Re-insurance accepted	1,13,802
Less :Re-insurance ceded	2,98,170
<b>Net Claims paid</b>	<b>12,76,309</b>
Add Claims Outstanding at the end of the year	18,79,833
Less Claims Outstanding at the beginning of the year	21,08,172
<b>Total Claims Incurred</b>	<b>10,47,970</b>

**SCHEDULE- 3B MARINE**

**COMMISSION**

Particulars	2015 - 2016 (₹ '000)
Commission paid	
<b>Direct - Total (A)</b>	<b>2,40,110</b>
Add: Commission on Re-insurance accepted	23,970
Less: Commission on Re-insurance ceded	1,37,059
<b>Net Commission</b>	<b>1,27,021</b>

व्यवसाय लाने के लिए खर्च गए ब्रेक-अप व्यय (सकल):

अभिकर्ता

ब्रोकर

कार्पोरेट अभिकर्ता

अन्य :

परामर्श

विविध अन्य

कुल (ख)

**2015 - 2016**

(₹ '000)

1,58,783

80,806

520

-

-

**2,40,109**

**Break-up of the expenses (Gross) incurred to procure business :**

	<b>2015 - 2016</b> <b>(₹ '000)</b>
Agents	1,58,783
Brokers	80,806
Corporate Agency	520
Others :	
Referral	-
Misc. Others	-
<b>Total (B)</b>	<b>2,40,109</b>

**वित्तीय विवरण की समेकित अंगीभूत अनुसूचियाँ**

**अनुसूची - 1ग विविध**

**अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)**

विवरण	2015 - 2016 (₹ '000)
प्रत्यक्ष लिखित व्यवसाय से प्रीमियम	1084,63,450
जोड़े : स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	21,44,700
घटाएं : अर्पित पुनर्बीमा पर प्रीमियम	81,96,396
शुद्ध प्रीमियम	1024,11,754
असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित में परिवर्तन के लिए समायोजन	-41,19,737
<b>कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)</b>	<b>982,92,017</b>

**अनुसूची - 2ग विविध**

**उपगत दावा (शुद्ध)**

विवरण	2015 - 2016 (₹ '000)
<b>प्रदत्त दावे</b>	<b>911,92,208</b>
प्रत्यक्ष	27,18,750
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा	89,86,027
घटाएं : अर्पित पुनर्बीमा	849,24,931
<b>शुद्ध प्रदत्त दावे</b>	<b>798,11,298</b>
जोड़ें : वर्ष के अंत में बकाया दावे	698,38,864
घटाएं : वर्ष के शुरु में बकाया दावे	948,97,365
<b>कुल उपगत दावा</b>	<b>948,97,365</b>

**अनुसूची - 3ग विविध**

**कमीशन**

विवरण	2015 - 2016 (₹ '000)
<b>प्रदत्त कमीशन</b>	<b>58,23,718</b>
<b>प्रत्यक्ष कुल (क)</b>	<b>58,23,718</b>
जोड़े : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन	2,71,928
घटाएं : अर्पित पुनर्बीमा पर कमीशन	7,55,875
<b>शुद्ध कमीशन</b>	<b>53,39,771</b>

**SCHEDULES FORMING PART OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

**SCHEDULE – 1C MISCELLANEOUS**

**PREMIUM EARNED [NET]**

Particulars	2015 - 2016 (₹ '000)
Premium from direct business written	1084,63,450
Add: Premium on reinsurance accepted	21,44,700
Less : Premium on reinsurance ceded	81,96,396
<b>Net Premium</b>	<b>1024,11,754</b>
Adjustment for change in reserve for unexpired risks	-41,19,737
<b>Total Premium Earned (Net)</b>	<b>982,92,017</b>

**SCHEDULE – 2C MISCELLANEOUS**

**CLAIMS INCURRED [NET]**

Particulars	2015 - 2016 (₹ '000)
Claims paid	
Direct	911,92,208
Add :Re-insurance accepted	27,18,750
Less :Re-insurance ceded	89,86,027
<b>Net Claims paid</b>	<b>849,24,931</b>
Add: Claims Outstanding at the end of the year	798,11,298
Less: Claims Outstanding at the beginning of the year	698,38,864
<b>Total Claims Incurred</b>	<b>948,97,365</b>

**SCHEDULE- 3C MISCELLANEOUS**

**COMMISSION**

Particulars	2015 - 2016 (₹ '000)
<b>Commission paid</b>	
<b>Direct-Total (A)</b>	<b>58,23,718</b>
Add: Commission on Re-insurance accepted	2,71,928
Less: Commission on Re-insurance ceded	7,55,875
<b>Net Commission</b>	<b>53,39,771</b>



व्यवसाय लाने के लिए खर्च गए ब्रेक-अप व्यय (सकल):

अभिकर्ता

ब्रोकर

कार्पोरेट अभिकर्ता

अन्य :

परामर्श

विविध अन्य

कुल (ख)

**2015 - 2016**

(₹ '000)

34,22,352

12,23,527

2,82,326

2,065

8,93,448

**58,23,718**

**Break-up of the expenses (Gross) incurred to procure business :**

**2015 - 2016**

	(₹ '000)
Agents	34,22,352
Brokers	12,23,527
Corporate Agency	2,82,326
Others :	
Referral	2,065
Misc. Others	8,93,448
<b>Total (B)</b>	<b>58,23,718</b>

वित्तीय विवरण की समेकित अंगीभूत अनुसूचियाँ

अनुसूची - 4

बीमा व्यवसाय से सम्बंधित प्रचालन व्यय

विवरण	2015 - 2016 (₹ '000)
1. कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं कल्याण सुविधाएं	22,378,831
2. यात्रा, परिवहन तथा वाहन चालन व्यय	515,505
3. प्रशिक्षण खर्च	61,150
4. किराया, दर एवं कर	788,868
5. मरम्मत	74,863
6. मुद्राण एवं लेखन सामग्री	258,387
7. सम्प्रेषण	201,333
8. विधिक एवं पेशेवर शुल्क	116,283
9. लेखा परीक्षकों का शुल्क, खर्च आदि	
(क) लेखा परीक्षक के रूप में	37,852
(ख) निम्नलिखित के सम्बंध में सलाहकार अथवा किसी अन्य रूप में	
(i) कराधान के मामलों में	
(ii) बीमा के मामलों में	
(iii) प्रबन्धन सेवा के मामलों में, एवं	
(ग) किसी अन्य रूप में	
10. विज्ञापन तथा प्रचार	193,573
11. ब्याज एवं बैंक प्रभार	68,960
12. अन्य:	
आईटी खर्च	1,232,124
मोटर व्यवसाय के संबंध में प्रशासकीय खर्च	4,547,573
पॉलिसी स्टाम्प	35,827
सीएसआर खर्च	44,309
विविध खर्च	2,907,420
13. मूल्यहास	651,196
14. सेवा कर लेखा	1,017,868
कुल	<b>35,131,922</b>
निम्न को आवंटित:	
अग्नि राजस्व खाते	2,053,867
मरीन राजस्व खाते	363,611
विविध राजस्व खाते	32,714,444
कुल	<b>35,131,922</b>

**SCHEDULES FORMING PART OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

**SCHEDULE – 4**

**OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS**

Particulars	2015 - 2016 (₹ '000)
1. Employees' remuneration & welfare benefits	22,378,831
2. Travel, conveyance and vehicle running expenses	515,505
3. Training expenses	61,150
4. Rents, rates & taxes	788,868
5. Repairs	74,863
6. Printing & stationery	258,387
7. Communication	201,333
8. Legal & professional charges	116,283
9. Auditors' fees, expenses etc	
(a) as auditor	37,852
(b) as adviser or in any other capacity, in respect of	
(i) Taxation matters	
(ii) Insurance matters	
(iii) Management services; and	
(c) in any other capacity	
10. Advertisement and publicity	193,573
11. Interest & Bank Charges	68,960
12. Others:	
IT expenses	1,232,124
Administrative expenses related to Motor Business	4,547,573
Policy Stamps	35,827
CSR Expenses	44,309
Misc expenses	2,907,420
13. Depreciation	651,196
14. Service Tax Account	1,017,868
<b>TOTAL</b>	<b>35,131,922</b>
<b>Allocated to:</b>	
Fire Revenue Account	2,053,867
Marine Revenue Account	363,611
Miscellaneous Revenue Account	32,714,444
<b>TOTAL</b>	<b>35,131,922</b>

**वित्तीय विवरण की समेकित अंगीभूत अनुसूचियाँ**  
**अनुसूची – 5**  
**शेयर पूंजी**

विवरण		31.03.2016 तक (₹ '000)
1	प्राधिकृत पूंजी ₹10 प्रत्येक के 20,00,00,000 इक्विटी शेयर	20,00,000
2	निर्गत पूंजी* ₹10 प्रत्येक के 10,00,00,000 इक्विटी शेयर	10,00,000
3.	अभिदत्त पूंजी * ₹10 प्रत्येक के 10,00,00,000 इक्विटी शेयर	1,000,000
4.	आमंत्रित पूंजी* ₹10 प्रत्येक के 10,00,00,000 इक्विटी शेयर घटाएं: भूगतान नहीं किए गे मांग जोड़े: जव्त इक्विटी शेयर (मूल रूप से भूगतान की गँ राशि) घटाए: इक्विटी शेयरों के बराबर मूल्य के वापसी खरीद घटाएं: प्राथमिक खर्च बीमा लेखन का शेयर के अंशदान या कमीशन का ब्रोकेज का खर्च सहित.	1,000,000 - - - -
	<b>कुल</b>	<b>1,000,000</b>

(\*₹10/- प्रति के सामान्य आरक्षित तथा शेयर प्रीमियम के पूंजीकरण द्वारा चुकता बोनस शेयर के रूप में 9,70,96,955 इक्विटी शेयर)

**अनुसूची - 5(क)**  
**शेयर पूंजी**

**शेयर धारण की परिपाटी**  
(प्रबंधन द्वारा प्रमाणित)

**शेयरधारक**

**प्रोत्साहक**

- भारत
- विदेशी

**अन्य**

**कुल**

31.03.2016 तक	
शेयरों की संख्या	% धारण
100,000,000	100%
-	-
-	-
<b>100,000,000</b>	<b>100%</b>

**SCHEDULES FORMING PART OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

**SCHEDULE – 5**

**SHARE CAPITAL**

Particulars	As at 31.03.2016 (₹ '000)
1 Authorised Capital 20,00,00,000 Equity Shares of ₹10 each	20,00,000
2 Issued Capital* 10,00,00,000 Equity Shares of ₹10 each	10,00,000
3. Subscribed Capital * 10,00,00,000 Equity shares of ₹10/- each	1,000,000
4. Called-up Capital * 10,00,00,000 Equity shares of ₹10/- each Less: Calls unpaid Add: Equity Shares forfeited (Amount originally paid up) Less: Par value of Equity shares bought back Less: Preliminary expenses Expenses including commission or brokerage on underwriting or subscription of shares	1,000,000 - - -
<b>TOTAL</b>	<b>1,000,000</b>

\*(includes 9,70,96,955 Equity shares of ₹10/- each as fully paid-up Bonus shares by capitalisation of General Reserve and Share Premium)

**SCHEDULE – 5A**

**SHARE CAPITAL**

**PATTERN OF SHAREHOLDING  
(As certified by the Management)**

**Shareholder**

	As at 31.03.2016	
	Number of Shares	% of Holding
Promoters		
● India	100,000,000	100%
● Foreign	-	-
Others	-	-
Total	<u>100,000,000</u>	100%

वित्तीय विवरण की समेकित अंगीभूत अनुसूचियाँ  
अनुसूची – 6  
आरक्षित तथा अधिशेष

विवरण	31.03.2016 तक (₹ '000)
1. पूंजी आरक्षित	-
2. पूंजी मोचन आरक्षित	-
3. शेयर प्रीमियम	-
4. सामान्य आरक्षित	37,856,050
जोड़े: पोस्ट अधिग्रहण के मुनाफे शेयर एसोसिएट्स का लाभ/हानि:	
क) ईण्डिया इंटरनेशनल ईश्युरेन्स पिटिई लिमिटेड	2,99,845
ख) हेल्थ ईश्युरेन्स टिपिए अर्छेफ इंडिया लिमिटेड	-4,393
घटाएं: लाभ और हानि खाते का शेष ऋण	-
घटाएं: वापस खरीद के लिए उपयोग की गई राशि	- 38,151,502
5. आपदा रिजर्व	16,611
6. अन्य रिजर्व:	
क) विदेशी विनिमय ट्रांसलेसन रिजर्व	-20,092
ख) निवेश आरक्षित	9,610
ग) विनिमय आरक्षित	4,817
घ) भू संपदा व भवन के लिए आकस्मिक आरक्षित	1,000,000
7. लाभ और हानि खाते में लाभ की शेष राशि	-
<b>कुल</b>	<b>39,162,448</b>
एएस-11 के तहत प्रकटीकरण पैरा 40 (ख) विदेशी विनिमय ट्रांसलेसन रिजर्व	
प्रारंभिक आरक्षित	-7,425
जोड़े: वर्ष के दौरान ट्रांसलेशन का प्रभाव	-12,667
अंतिम आरक्षित	<b>-20,092</b>

**SCHEDULES FORMING PART OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

**SCHEDULE – 6**

**RESERVES AND SURPLUS**

Particulars	As at 31.03.2016 (₹ '000)
1. Capital Reserve	-
2. Capital Redemption Reserve	-
3. Share Premium	-
4. General Reserves	37,856,050
Add: Share of Post Acquisition profits/losses of Associates:	
a) India International Insurance Pte Ltd	2,99,845
b) Health Insurance TPA of India Limited	-4,393
Less: Debit balance in Profit and Loss Account	-
Less: Amount utilized for Buy-Back	- 38,151,502
5. Catastrophe Reserve	16,611
6. Other Reserves:	
a) Foreign Exchange Translation Reserve	-20,092
b) Investment Reserve	9,610
c) Exchange Reserve	4,817
d) Contingency Reserve for Land & Building	1,000,000
7. Balance of profit in Profit & Loss Account	-
<b>TOTAL</b>	<b>39,162,448</b>
<b>Disclosure under AS-11, para 40(b)</b>	
<b>FOREIGN EXCHANGE TRANSLATION RESERVE</b>	
Opening Reserve	-7,425
Add: Effect of translation during the year	-12,667
<b>Closing Reserve</b>	<b>-20,092</b>



**वित्तीय विवरण की समेकित अंगीभूत अनुसूचियाँ**  
**अनुसूची - 7**  
**उधार**

		<b>31.03.2016</b>
		तक
		(₹ '000)
	<b>विवरण</b>	
1	ऋणपत्र/बंधपत्र	शून्य
2	बैंक	शून्य
3	वित्तीय संस्थाएं	शून्य
4	अन्य	शून्य
	<b>कुल</b>	<b>शून्य</b>

**वित्तीय विवरण की समेकित अंगीभूत अनुसूचियाँ**  
**अनुसूची - 8**  
**निवेश**

		<b>31.03.2016</b>
		तक
		(₹ '000)
	<b>विवरण</b>	
	<b>दीर्घकालिक निवेश</b>	
1.	ट्रेजरी बिल सहित सरकारी प्रतिभूतियां तथा सरकार द्वारा प्रत्याभूत बंधपत्र	67,840,286
2.	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	278,325
3.	अन्य निवेश	
	(क) शेयर	
	(कक) इक्विटी [नीचे नोट (1) देखें]	94,266,334
	(खख) अधिमान	40,282
	(ख) म्यूचुअल फण्ड	-
	(ग) कृत्रिम उपकरण	-
	(घ) ऋणपत्र/बंधपत्र [नीचे नोट (2क) देखें]	20,936,747
	(ड) अन्य प्रतिभूतियाः	
	स्व सहायक और वेंच्योर पूंजी	110,942
	(च) अनुषंगी	-
	(छ) निवेश संपत्तियां भूसंपत्ति	5,378
4.	दांचागत तथा समाजिक क्षेत्र में निवेश	16,348,892
5.	अनुमोदित निवेश के अलावा	916,510
6.	एसोसिएट्स में निवेश	
	क) हेल्थ इश्योरेंस टीपीए अफॉ इंडिया लिमिटेड	166,250
	ख) इण्डिया इंटरनेशनल इश्योरेंस पीटिड लिमिटेड, सिंगापुर	328,421

**SCHEDULES FORMING PART OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

**SCHEDULE - 7**

**BORROWINGS**

Particulars	As at 31.03.2016 (₹ '000)
1. Debentures/ Bonds	NIL
2. Banks	NIL
3. Financial Institutions	NIL
4. Others	NIL
<b>Total</b>	<b>NIL</b>

**SCHEDULES FORMING PART OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

**SCHEDULE – 8**

**INVESTMENTS**

Particulars	As at 31.03.2016 (₹ '000)
<b>LONG TERM INVESTMENTS</b>	
1. Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills	67,840,286
2. Other Approved Securities	278,325
3. Other Investments	
(a) Shares	
(aa) Equity [See note (1) below]	94,266,334
(bb) Preference	40,282
(b) Mutual Funds	-
(c) Derivative Instruments	-
(d) Debentures/ Bonds [See note (2a) below]	20,936,747
(e) Other Securities:	
Auto ancillary and Venture Capital	110,942
(f) Subsidiaries	-
(g) Investment Properties-Real Estate	5,378
4. Investments in Infrastructure and Social Sector	16,348,892
5. Other than Approved Investments	916,510
6. Investment in Associates	
a) Health Insurance TPA of India Limited	166,250
b) India International Insurance Pte Ltd. Singapore	328,421

वित्तीय विवरण की समेकित अंगीभूत अनुसूचियाँ  
अनुसूची – 8  
निवेश

विवरण		31.03.2016 तक (₹ '000)
अल्पकालिक निवेश		
1.	ट्रेजरी बिल सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा सरकार द्वारा प्रत्याभूत बंधपत्र	1,692,956
2.	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-
3.	अन्य निवेश	
	(क) शेयर	
	(कक) इक्विटी	-
	(खख) अधिमान	-
	(ख) म्यूचुअल फण्ड	7,817,910
	(ग) कृत्रिम उपकरण	-
	(घ) ऋणपत्र/बंधपत्र	3,821,545
	(ड) अन्य प्रतिभूतिया	-
	(च) अनुषंगी	-
	(छ) निवेश संपत्तियाँ भूसंपत्ति	-
4.	दांचागत तथा समाजिक क्षेत्र में निवेश	2,768,941
5.	अनुमोदित निवेश के अलावा	557,858
	<b>कुल</b>	<b>21,78,97,577</b>

नोट		31.03.2016 तक (₹ '000)
1.	कम्पनी निवेश सूचीबद्ध इक्विटी शेयर के अलावा और कृत्रिम उपकरण तथा बाजार मूल्य की कुल राशि:	
	बूक मूल्य	123,524,151
	बाजार मूल्य	128,076,697
2.	प्रावधान :	
	क) गैर निष्पादित डिबेंचर के विरुद्ध प्रावधान (अनुसूची-14 में गनर निष्पादित निवेश के लिए प्रावधान के तहत वर्गीकृत किया गया है)	256,075
	ख) छोटे कारोबार के इक्विटी शेयर और कम समय के इक्विटी शेयर के विरुद्ध प्रावधान (अनुसूची-14 में गैर निष्पादित निवेश के लिए प्रावधान के तहत वर्गीकृत किया गया है)	102,741
	ग) वेंचर पूंजी के विरुद्ध प्रावधान (अनुसूची-14 में गैर निष्पादित निवेश के लिए प्रावधान के तहत वर्गीकृत किया गया है)	53,610
	घ) मानक निवेश के विरुद्ध प्रावधान (अनुसूची-14 मानक अस्तियों के प्रावधान के तहत वर्गीकृत किया गया है)	179,187

**SCHEDULES FORMING PART OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

**SCHEDULE – 8  
INVESTMENTS**

Particulars	As at 31.03.2016 (₹ '000)
<b>SHORT TERM INVESTMENTS</b>	
1. Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills	1,692,956
2. Other Approved Securities	-
3. Other Investments	
(a) Shares	
(aa) Equity	-
(bb) Preference	-
(b) Mutual Funds	7,817,910
(c) Derivative Instruments	-
(d) Debentures/ Bonds	3,821,545
(e) Other securities	-
(f) Subsidiaries	-
(g) Investment Properties-Real Estate	-
4. Investments in Infrastructure and Social Sector	2,768,941
5. Other than Approved Investments	557,858
<b>TOTAL</b>	<b>21,78,97,577</b>

Notes	As at 31.03.2016 (₹ '000)
<b>1. Aggregate amount of Company's Investments other than listed Equity Securities and derivative instruments and also the Market Value thereof:</b>	
Book value	123,524,151
Market Value	128,076,697
<b>2. Provisions:</b>	
a) Provision against non-performing debentures (grouped under Provision for Non-performing Investments in Schedule 14)	256,075
b) Provision against thinly traded Equity Shares and short holding of Equity Shares (grouped under Provision for Non-performing Investments in Schedule 14)	102,741
c) Provision against Venture Capital (grouped under Provision for Non-performing Investments in Schedule 14)	53,610
d) Provision against Standard Investments (grouped under Provision for Standard Assets in Schedule 14)	179,187

वित्तीय विवरण की समेकित अंगीभूत अनुसूचियाँ  
अनुसूची - 9

ऋण

विवरण		31.03.2016 को (₹ '000)
<b>1</b>	<b>प्रतिभूति-वार वर्गीकरण</b>	
	सुरक्षित	1,800,351
	(क) सम्पत्ति के बधक पर	
	(कक) भारत में	452,046
	(खख) भारत से बाहर	-
	(ख) शेयरों, बंधपत्रों, सरकारी प्रतिभूतियों पर	-
	(ग) अन्य:	
	कर्मचारियों को गृह निर्माण ऋण	1,348,305
	असुरक्षित	<b>248,126</b>
	<b>कुल</b>	<b>2,048,477</b>
<b>2.</b>	<b>ऋणी-वार वर्गीकरण</b>	
	(क) केन्द्र तथा राज्य सरकार	182,196
	(ख) बैंक तथा वित्तीय संस्थान	-
	(ग) अनुबंधगियां	-
	(घ) औद्योगिक उपक्रम	507,337
	(ङ) अन्य	1,358,944
	<b>कुल</b>	<b>2,048,477</b>
	<b>निष्पादन-वार वर्गीकरण</b>	
	(क) मानक के रूप में वर्गीकृत ऋण*	
	(कक) भारत में	1,741,557
	(खख) भारत से बाहर	-
	(ख) गैर निष्पादित ऋण*	
	(कक) भारत में	306,920
	(खख) भारत से बाहर	-
	<b>कुल</b>	<b>2,048,477</b>
	<b>परिपक्वता-वार विवरण</b>	
	(क) अल्पकालिक	1,840
	(ख) दीर्घकालिक	2,046,637
	<b>कुल</b>	<b>2,048,477</b>
	<b>*नोट</b>	
	गैर निष्पादित ऋण के विरुद्ध प्रावधान (अनुसूची-14) के अंतर्गत अन्य में वर्गीकृत	309,486
	मानक ऋण के विरुद्ध प्रावधान (अनुसूची-14 में) मानक परिसंपत्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत)	8,241

**SCHEDULES FORMING PART OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

**SCHEDULE - 9**

**LOANS**

Particulars	As at 31.03.2016 (₹ '000)
<b>1. SECURITY-WISE CLASSIFICATION</b>	
Secured	1,800,351
(a) On mortgage of property	
(aa) In India	452,046
(bb) Outside India	-
(b) On Shares, Bonds, Govt. Securities	-
(c) Others:	
House Building Loan to Employees	1,348,305
<b>Unsecured</b>	<b>248,126</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2,048,477</b>
<b>2. BORROWER-WISE CLASSIFICATION</b>	
(a) Central and State Governments	182,196
(b) Banks and Financial Institutions	-
(c) Subsidiaries	-
(d) Industrial Undertakings	507,337
(e) Others	1,358,944
<b>TOTAL</b>	<b>2,048,477</b>
<b>PERFORMANCE-WISE CLASSIFICATION</b>	
(a) Loans classified as standard*	
(aa) In India	1,741,557
(bb) Outside India	-
(b) Non-performing loans*	
(aa) In India	306,920
(bb) Outside India	-
<b>TOTAL</b>	<b>2,048,477</b>
<b>MATURITY-WISE CLASSIFICATION</b>	
(a) Short Term	1,840
(b) Long Term	2,046,637
<b>TOTAL</b>	<b>2,048,477</b>

**\*Notes**

Provision against non-performing loans (Grouped under Others in Schedule 14)	309,486
Provision against Standard loans (Grouped under Provision for Standard Assets in Schedule 14)	8,241

वित्तीय विवरण की समेकित अंगीभूत अनुसूचियाँ  
अनुसूची-10

31 मार्च 2016 को स्थायी सम्पत्ति

(₹ '000)

विवरण	लागत/सकल ब्लाक				मूल्यहास				शुद्ध ब्लाक	
	01.04.2015 को आरम्भ	वर्ष के दौरान अतिरिक्त	वर्ष के दौरान कमी	को समाप्त 31.03.2016	31.03.15 तक	वर्ष के लिए	विक्री/ समायोजन पर	31.03.16 तक	31.03.16 को	31.03.15 को
साख	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अदृश्य (सॉफ्टवेयर)	9,23,663	-	-	923,663	579,520	116,580	-	696,100	227,563	344,143
जमीन मुक्त	6,452	-	-	6,452	-	-	-	-	6,452	6,452
पत धारित सम्पत्ति	317,573	-	-	317,573	9,001	3,208	-	12,209	305,364	308,572
भवन - आरसीसी*	508,493	31,018	-	539,511	293,277	11,811	-	305,088	234,423	215,216
फर्नीचर व फिटिंग	374,982	51,212	2,355	423,839	302,134	25,690	-55	327,769	96,070	72,848
कम्प्यूटर एवं अन्य उपयोगी उपकरण	2,304,132	49,034	75,593	2,277,573	1,899,950	246,332	-58,898	2,087,384	190,189	404,182
सर्वर एवं नेटवर्क	1,951,844	87,289	11,721	2,027,412	1,797,667	72,144	-9,501	1,860,310	167,102	154,177
मोटर कार	811,185	264,759	259,058	816,886	421,470	132,175	-85,673	467,972	348,914	389,715
कार्यालय उपकरण	285,587	10,421	6,198	289,810	230,978	24,014	-4,584	250,408	39,402	54,609
विद्युत उपकरण	285,307	44,398	2,956	326,749	233,545	18,214	-1,736	250,023	76,726	51,762
संयंत्र एवं मशीनरी (निरंतर प्रक्रिया संयंत्र के अलावा)**	14,239	-	-	14,239	8,347	1,028	-	9,375	4,864	5,892
<b>कुल</b>	<b>7,783,457</b>	<b>538,131</b>	<b>357,881</b>	<b>7,963,707</b>	<b>5,775,889</b>	<b>651,196</b>	<b>-160,447</b>	<b>6,266,638</b>	<b>1,697,069</b>	<b>2,007,568</b>
मुख्य कार्य में प्रगति	8,889	124,788	8,889	124,788	-	-	-	-	124,788	8,889
<b>कुल योग</b>	<b>7,792,346</b>	<b>662,919</b>	<b>366,770</b>	<b>8,088,495</b>	<b>5,775,889</b>	<b>651,196</b>	<b>-160,447</b>	<b>6,266,638</b>	<b>1,821,857</b>	<b>2,016,457</b>
विगत वर्ष	7,043,685	1,163,109	414,448	7,792,346	5,213,535	683,959	-121,605	5,775,889	2,016,457	-

\*तत्कालीन आरसीसी भवन इकाइयों के लिए भूमि का मूल्य भी शामिल है।

\*\*लिफ्टों, जल उपचार संयंत्र आदि सहित।

**SCHEDULES FORMING PART OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

**SCHEDULE – 10**

**FIXED ASSETS AS AT 31<sup>ST</sup> MARCH, 2016**

(₹ '000)

Particulars	Cost/ Gross Block				Depreciation			Net Block		
	Opening as at 01.04.2015	Additions during the year	Deductions for the year	Closing as at 31.03.2016	Upto 31.03.2015	For the Year	On Sales/ Adjust-ments	As on 31.03.2016	As at 31.03.2016	As at 31.03.2015
Goodwill	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intangibles (software)	9,23,663	-	-	923,663	579,520	116,580	-	696,100	227,563	344,143
Land - Freehold	6,452	-	-	6,452	-	-	-	-	6,452	6,452
Leasehold Property	317,573	-	-	317,573	9,001	3,208	-	12,209	305,364	308,572
Buildings - RCC*	508,493	31,018	-	539,511	293,277	11,811	-	305,088	234,423	215,216
Furniture & Fittings	374,982	51,212	2,355	423,839	302,134	25,690	-55	327,769	96,070	72,848
Computer and other end use devices	2,304,132	49,034	75,593	2,277,573	1,899,950	246,332	-58,898	2,087,384	190,189	404,182
Servers & Network	1,951,844	87,289	11,721	2,027,412	1,797,667	72,144	-9,501	1,860,310	167,102	154,177
Motor Cars	811,185	264,759	259,058	816,886	421,470	132,175	-85,673	467,972	348,914	389,715
Office Equipment	285,587	10,421	6,198	289,810	230,978	24,014	-4,584	250,408	39,402	54,609
Electrical Equipments	285,307	44,398	2,956	326,749	233,545	18,214	-1,736	250,023	76,726	51,762
Plant & Machinery (Other than Continuous Process Plant)**	14,239	-	-	14,239	8,347	1,028	-	9,375	4,864	5,892
<b>TOTAL</b>	<b>7,783,457</b>	<b>538,131</b>	<b>357,881</b>	<b>7,963,707</b>	<b>5,775,889</b>	<b>651,196</b>	<b>-160,447</b>	<b>6,266,638</b>	<b>1,697,069</b>	<b>2,007,568</b>
Capital Work in progress	8,889	124,788	8,889	124,788	-	-	-	-	124,788	8,889
<b>Grand Total</b>	<b>7,792,346</b>	<b>662,919</b>	<b>366,770</b>	<b>8,088,495</b>	<b>5,775,889</b>	<b>651,196</b>	<b>-160,447</b>	<b>6,266,638</b>	<b>1,821,857</b>	<b>2,016,457</b>
PREVIOUS YEAR	7,043,685	1,163,109	414,448	7,792,346	5,213,535	683,959	-121,605	5,775,889	2,016,457	-

\*Buildings RCC includes value of land for erstwhile units which cannot be segregated.

\*\*Includes lifts, Water treatment plant, etc.



**वित्तीय विवरण की समेकित अंगीभूत अनुसूचियाँ**

**अनुसूची - 11**

**नकद तथा बैंक अतिशेष**

<b>विवरण</b>		<b>31.03.2016</b>
		<b>को</b>
		<b>(₹ '000)</b>
1	नकद (चैक, ड्राफ्ट तथा स्टाम्प सहित)	<b>587,263</b>
2	बैंक अतिशेष	
	(क) जमा लेखा	
	(कक) अल्पकालिक (12 महीनों के अंदर देय) [नीचे के नोट पर ध्यान दें]	<b>6,583,821</b>
	(खख) अन्य	<b>970,000</b>
	(ख) चालू खाता	<b>5,649,000</b>
	(ग) अन्य	-
3	मांग पर तथा अल्प सूचना पर धन	-
	(क) बैंक में	-
	(ख) अन्य संस्थानों में	-
4	अन्य	
	पारवहन में जमा	<b>15,605</b>
	<b>कुल</b>	<b>13,805,689</b>
	<b>गैर अनुसूचित बैंकों में अतिशेष उपर्युक्त 2 तथा 3 में शामिल हैं</b>	<b>68,227</b>

**नोट :**

सेबी के परिपत्र संख्या एमआरडी/डीओपी/एसई/परि.-07/2005 दिनांक 23 फरवरी, 2005 के अनुसार एनएसई/बीएसई इक्विटी ट्रांजेक्सन के लिए मार्जिन मनी के रूप में ₹120000 हजार रखा गया।

**SCHEDULES FORMING PART OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS****SCHEDULE- 11****CASH AND BANK BALANCES**

<b>Particulars</b>	<b>As at 31.03.2016 (₹ '000)</b>
1. Cash (including cheques, drafts and stamps)	<b>587,263</b>
2. Bank Balances	
(a) Deposit Accounts	
(aa) Short-term (due within 12 months) [note below]	<b>6,583,821</b>
(bb) Others	<b>970,000</b>
(b) Current Accounts	<b>5,649,000</b>
(c) Others	-
3. Money at Call and Short Notice	
(a) With Banks	-
(b) With other Institutions	-
4. Others:	
Remittances in transit	<b>15,605</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13,805,689</b>
<b>Balances with Non-Scheduled banks included in 2 and 3 above</b>	<b>68,227</b>

**Notes:**

Includes ₹120000 thousand kept as margin money for NSE/BSE equity transactions as per SEBI Circular No. MRD/DoP/SE/Cir-07/2005 dated 23rd February, 2005

**वित्तीय विवरण की समेकित अंगीभूत अनुसूचियाँ**

**अनुसूची – 12**

**अग्रिम तथा अन्य संपत्तियाँ**

विवरण		31.03.2016 को (₹ '000)
<b>अग्रिम</b>		
1	अर्पित कम्पनियों में आरक्षित जमा	82,131
2	निवेश के लिए आवेदन राशि	-
3	पूर्वभुगतान	-
4	निदेशक/अधिकारियों को अग्रिम	-
5	अग्रिम प्रदत्त कर तथा स्रोत पर काटे गए कर (कराधान के लिए शुद्ध प्रावधान)	3,995,157
6	अन्य: अग्रिम, जमा तथा पूर्व प्रदत्त खर्च	2,141,906
<b>कुल (क)</b>		<b>6,219,194</b>
<b>अन्य सम्पत्तियाँ</b>		
1	निवेशों पर प्रोद्भूत आय	3,738,417
2	बकाया प्रीमियम	13,671
3	एजेंटों का अतिशेष	73,488
4	विदेशी एजेंसियों के शेष राशि	-
5	बीमा व्यवसाय कर रहे अन्य संस्थानों से (पुनर्बीमाकर्ताओं सहित) प्राप्य	30,550,753
6	अनुषंगियो/होलिडिंग से देय	-
7	भारतीय रिजर्व बैंक में जमा (बीमा अधिनियम 1938 की धारा 7 के अनुरूप)	-
8	अन्य: विविध देनदार अप्रयुक्त जमा सर्विस टैक्स विविध अन्य	8,105,390 818,807 603,787
<b>कुल (ख)</b>		<b>43,904,313</b>
<b>कुल (क) +(ख)</b>		<b>50,123,507</b>

**SCHEDULES FORMING PART OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

**SCHEDULE- 12**

**ADVANCES AND OTHER ASSETS**

Particulars	As at 31.03.2016 (₹ '000)
<b>ADVANCES</b>	
1. Reserve deposits with ceding companies	82,131
2. Application money for investments	-
3. Prepayments	-
4. Advances to Directors / Officers	-
5. Advance tax paid and taxes deducted at source (Net of provision for taxation)	3,995,157
6. Others:	
Advance, deposits and prepaid expenses	2,141,906
<b>TOTAL (A)</b>	<b>6,219,194</b>
<b>OTHER ASSETS</b>	
1. Income accrued on investments	3,738,417
2. Outstanding Premiums	13,671
3. Agents' Balances	73,488
4. Foreign agencies balances	-
5. Due from other entities carrying on insurance business (including reinsurers)	30,550,753
6. Due from Subsidiaries / Holding	-
7. Deposit with Reserve Bank of India [Pursuant to section 7 of Insurance Act,1938]	-
8. Others:	
Sundry Debtors	8,105,390
Service tax unutilised credit	818,807
Misc others	603,787
<b>TOTAL (B)</b>	<b>43,904,313</b>
<b>TOTAL (A+B)</b>	<b>50,123,507</b>

**वित्तीय विवरण की समेकित अंगीभूत अनुसूचियाँ**

**अनुसूची - 13**

वर्तमान देयताएं

विवरण		31.03.2016 को (₹ '000)
1	एजेंटों के अतिशेष	768,985
2	अन्य बीमा कंपनियों को देय अतिशेष	14,817,650
3	अर्पित पुनर्बीमा पर धारित जमा	-
4	अग्रिम प्राप्त प्रीमियम	1,110,684
5	अबांटित प्रीमियम	4,158,317
6	विविध लेनदार	23,053,068
7	अनुषंगियों / होल्डिंग कम्पनी के देय	-
8	बकाया दावा (आईबीएनआर / आईबीएनईआर सहित)	93,369,373
9	अधिकारियों / निदेशकों को देय	-
10	अन्य:	
	सेवा कर देयताएं	435,181
	पुराने शेयरधारकों को देय	292
	पॉलिसी होलर्डस के अदावी राशि	747,042
	<b>कुल</b>	<b>138,460,592</b>

**अनुसूची - 14**

प्रावधान

विवरण		As at 31.03.2016 (₹ '000)
1	असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित	55,991,940
2	कराधान के लिए (अग्रिम कर भुगतान में कमी और कर स्रोत पर कटौती)	-
3	प्रस्तावित लाभांश के लिए	451,498
4	लाभांश संवितरण कर के लिए	90,273
5	अन्य:	
	संदिग्ध ऋणों के लिए	850,053
	गैर निष्पादित निवेश के लिए	412,426
	गैर निष्पादित ऋण के लिए	309,486
	मानक अस्तियों के लिए	187,428
	<b>कुल</b>	<b>58,293,104</b>

**SCHEDULES FORMING PART OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

**SCHEDULE- 13**

**CURRENT LIABILITIES**

<b>Particulars</b>	<b>As at 31.03.2016 (₹ '000)</b>
1. Agents' Balances	768,985
2. Balances due to other insurance companies	14,817,650
3. Deposits held on re-insurance ceded	-
4. Premiums received in advance	1,110,684
5. Unallocated Premium	4,158,317
6. Sundry creditors	23,053,068
7. Due to Subsidiaries / holding Company	-
8. Claims Outstanding (including IBNR/IBNER)	93,369,373
9. Due to Officers / Directors	-
10. Others:	
Service tax liability	435,181
Due to former shareholders	292
Unclaimed Amount of Policyholders	747,042
<b>TOTAL</b>	<b>138,460,592</b>

**SCHEDULE- 14**

**PROVISIONS**

<b>Particulars</b>	<b>As at 31.03.2016 (₹ '000)</b>
1. Reserve for Unexpired Risk	55,991,940
2. For taxation (less Advance tax paid and Taxes deducted at source)	-
3. For proposed dividends	451,498
4. For dividend distribution tax	90,273
5. Others:	
For doubtful debts	850,053
For Non-performing Investments	412,426
For Non-performing Loans	309,486
For Standard Assets	187,428
<b>TOTAL</b>	<b>58,293,104</b>

**वित्तीय विवरण की समेकित अंगीभूत अनुसूचियाँ**

**अनुसूची – 15**

**विविध खर्च**

(जो बट्टे खाते या समायोजित न किए गए हों)

विवरण		As at 31.03.2016 (₹ '000)
1	जारी किए गए शेयर/ऋणपत्र पर अनुमत छूट	-
2	अन्य:	
	आस्थगित राजस्व खर्च-पेंशन	2,538,552
	आस्थगित राजस्व खर्च-ग्रेच्युटी	5,05,500
	<b>कुल</b>	<b>30,44,052</b>

**SCHEDULES FORMING PART OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

**SCHEDULE- 15**

**MISCELLANEOUS EXPENDITURE**

(To the extent not written off or adjusted)

<b>Particulars</b>	<b>As at 31.03.2016 (₹ '000)</b>
1. Discount Allowed in issue of shares / debentures	-
2. Others:	
Deferred Revenue expenditure - Pension	2,538,552
Deferred Revenue expenditure - Gratuity	505,500
<b>TOTAL</b>	<b>3,044,052</b>



## अनुसूची 16

### समेकन के सिद्धांत व महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

#### क) समेकन के सिद्धांत

- समेकित वित्तीय विवरण नेशनल इन्शुरेन्स कंपनी लिमिटेड (कंपनी) व दो सहयोगी कंपनियों नामतः (i) हेल्थ इन्शुरेन्स टी पी ए ऑफ इण्डिया लिमिटेड और ii) इण्डिया इंटरनेशनल इन्शुरेन्स पीटीई लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर विचार कर तैयार किया गया है। लेखा मानक 23 समेकित वित्तीय विवरण में एसोसिएट्स में किये गये निवेश हेतु लेखांकन के अनुसार न्यायसम्य/इक्विटी विधि के तहत सह ागी/एसोसिएट्स में निवेश का उपयोग कर सहयोगी कंपनियों को समेकित किया गया है।
- इण्डिया इंटरनेशनल इन्शुरेन्स पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर के पिछले अंकेक्षित वित्तीय विवरण, जिसकी अवधि 1 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2015 तक है, को समेकन उद्देश्य हेतु उपयोग किया गया था।
- एसोसिएट कंपनियों द्वारा तैयार रसीदों व गुगतान लेखा के अ ाव में, समेकित रसीदों व गुगतान लेखा में केवल कंपनी के आंकड़े ही निहित होते हैं।
- कंपनी व इसकी सहयोगी कंपनियों के मध्य किसी ाी तरह के वस्तुगत/ ाैतिक लेन देन के अ ाव में और न्यायसम्य/इक्विटी विधि के तहत एसोसिएट्स में निवेश के लेखांकन के दृष्टिकोण से, समेकित वित्तीय विवरणों में वर्णित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ कंपनी की ही हैं।
- कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण को ऋस्तुत करने का यह ऋथम अवसर है। तदनुसार पिछले वर्ष के तुलनात्मक आंकड़े नहीं दिए गये।
- समेकित संख्या की सुची और उनके शुद्ध संपत्ति व लाभ/हानि का भाग-

संस्था का नाम	शुद्ध संपत्ति उदाहरण, कुल संपत्ति में से कुल देनदारियां निकालने के बाद		ला ा या हानि में ाग	
	समेकित शुद्ध सम्पत्ति के % के रूप में	राशि (₹ हज़ार में)	समेकित ला ा या हानि के % के रूप में	राशि (₹ हज़ार में)
	2015 - 16		2015 - 16	
<b>मूल कंपनी:</b>				
नेशनल इन्शुरेन्स कंपनी लिमिटेड	98.64%	3,56,17,171	83.47%	14,92,290
<b>सहायक कंपनी:</b>				
<b>ारतीय</b>	-	-	-	-
<b>एसोसिएट्स (न्यायसम्य/इक्विटी विधि के अनुसार निवेश)</b>				
<b>ारतीय</b>				
1. हेल्थ इन्शुरेन्स टी पी ए ऑफ इण्डिया लिमिटेड	0.45%	1,61,857	-0.25%	-4,393
<b>विदेशी</b>				
1. इण्डिया इंटरनेशनल इन्शुरेन्स पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर	0.91%	3,28,421	16.78%	2,99,845
<b>कुल</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,61,07,449</b>	<b>100%</b>	<b>17,87,742</b>

वर्ष के लिए समेकित ला ा

(₹ हज़ार में)

ला ा के कारण :	2015-16
कंपनी के स्वामी	17,87,742
अल्पसंख्यकों के हित	कुछ नहीं

**Schedule 16**

**PRINCIPLE OF CONSOLIDATION & SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**

**A. PRINCIPLE OF CONSOLIDATION**

1. The Consolidated Financial Statements have been prepared considering the Financial Statements of National Insurance Company Limited (the Company) and two Associate Companies viz. (i) Health Insurance TPA of India Limited and (ii) India International Insurance Pte Limited. Associate Companies are consolidated by using the investments in associates under the equity method in accordance with Accounting Standard-23 – “Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements.”
2. The last audited Financial Statements of India International Insurance Pte Limited, Singapore used for consolidation purposes, is for the period from 1<sup>st</sup> January, 2015 to 31<sup>st</sup> December, 2015.
3. In the absence of Receipts and Payments Account prepared by the Associate Companies, the consolidated Receipts and Payments Account contains the Company's figures only.
4. In the absence of any material transactions between the Company and it's Associates and in view of accounting for investments in Associates under the Equity method, the significant accounting policies stated in the Consolidated Financial Statements are that of the Company.
5. This is the first occasion of presentation of Consolidated Financial Statements of the Company. Accordingly, comparative figures for the previous year are not given.
6. List of Entities consolidated and their respective share of Net Assets and Profit/ Loss -

Name of the entity	Net Assets i.e., total assets minus total liabilities		Share in profit or loss	
	As % of consolidated net assets	Amount (₹ In thousands)	As % of consolidated profit or loss	Amount (₹ In thousands)
	<b>2015 - 16</b>		<b>2015 - 16</b>	
<b>Parent:</b>				
National Insurance Company Limited	98.64%	3,56,17,171	83.47%	14,92,290
<b>Subsidiary:</b>				
<b>Indian</b>	-	-	-	-
<b>Associates (Investment as per the equity method)</b>				
<b>Indian</b>				
1. Health Insurance TPA of India Limited	0.45%	1,61,857	-0.25%	-4,393
<b>Foreign</b>				
1. India International Insurance PTE Ltd. Singapore	0.91%	3,28,421	16.78%	2,99,845
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,61,07,449</b>	<b>100%</b>	<b>17,87,742</b>

**Consolidated Profit for the year**

(₹ in thousands)

<b>Profit attributable to:</b>	<b>2015-16</b>
Owners of the Company	17,87,742
Minority Interests	<b>NIL</b>

## ख. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

### 1. लेखांकन परम्परा

वित्तीय विवरण भारत में आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन के सिद्धांतों के आधार पर जो ऐतिहासिक लागत परम्परा और लेखांकन के उपार्जन आधार और बीमा अधिनियम 1938 के संवैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार, बीमा विनियामक और विकास भाधिकरण अधिनियम 1999, बीमा विनियामक और विकास भाधिकरण (बीमा कम्पनियों के वित्तीय विवरण तथा लेखा परीक्षकों का भतिवेदन तैयार करने) विनियम, 2002, और इसी सम्बन्ध में आई आर डी ए द्वारा जारी आदेश व निर्देशों, कंपनी एक्ट 2013 की सीमा तक व कंपनी एक्ट की धारा 133 में निहित लेखांकन मानकों के अनुपालन, यथासंभव कंपनी नियमों (लेखा), 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ें, और बीमा उद्योग में प्रचलित वर्तमान तरीकों के अनुसार तैयार व प्रस्तुत किये गये हैं।

### 2. अनुमान का उपयोग

आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन के सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए पूर्वानुमान और मान्यताओं के प्रबंधन जो परिसंपत्ति के मूल्य, देनदारियाँ, राजस्व और व्यय व वित्तीय विवरण की तिथि पर आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण को प्रभावित करता हो, की आवश्यकता है। वास्तविक परिणाम पूर्वानुमान और मान्यताओं से भिन्न हो सकते हैं। वित्तीय विवरणों से जुड़े पूर्वानुमान व मान्यताएं प्रबंधनों के भासंगिक तथ्यों व परिस्थितियों, वित्तीय विवरणों की तिथि पर, के मूल्यांकनों पर आधारित होते हैं। लेखांकन अनुमान के किसी भी संशोधन को वर्तमान और भविष्य के सापेक्ष में लिया गया।

### 3. भीमियम

भीमियम आय बीमे की शुद्ध पुनर्बीमा मान्यता प्राप्त है, संबंधित राजस्व खाते में जोखिम की धारणा पर आधारित होती है। अगर पॉलिसियों में गुगतान किस्त में प्राप्त होती है तो राजस्व की मान्यता किस्त प्राप्त होने के समय होगी।

#### 3.1 असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित

असमाप्त जोखिम के लिए रिजर्व का निर्धारण उस राशि का प्रतिनिधित्व करता है जोकि शुद्ध भीमियम का भाग है व जिसका भावी लेखांकन अवधि में आबंटन व योगदान होता है, इसमें अल्पावधि पॉलिसियों का, जो शुद्ध भीमियम का 50% है, शामिल है। यहाँ मरीन हल व्यापार को शामिल नहीं किया जाता क्योंकि यह शुद्ध भीमियम का 100% होता है।

#### 3.2 भीमियम की कमी

भीमियम की कमी के लिए रिजर्व राशि की गणना, जहाँ संभावित शुद्ध दावों की लागत, संबंधित खर्च और रखरखाव के खर्च की राशि जो संबंधित असमाप्त जोखिम रिजर्व राशि से अधिक है व एकचुरी द्वारा वार्षिक आधार पर प्रमाणित है, की जाती है।

#### 3.3 अग्रिम में प्राप्त भीमियम

अग्रिम में प्राप्त भीमियम उन पॉलिसियों के भीमियम का प्रतिनिधित्व करता है जो वर्ष के दौरान जारी की गयी हों व जहाँ जोखिम तुलन पत्र की तारीख को बाद में उत्पन्न होता है।

### 4. अधिग्रहण लागत

बीमा अनुबंध के नए/नवीकरण के अधिग्रहण से संबंधित अधिग्रहण लागत, जिस वर्ष में भीमियम लिया गया हो, आरोपित/लागू होगी।

### 5. दावे

5.1 दावा निम्न प्रकार से स्थापित किए जाते हैं:

## **B. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**

### **1. ACCOUNTING CONVENTION :**

The financial statements are prepared and presented in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles followed in India under the historical cost convention and accrual basis of accounting and in accordance with the statutory requirements of the Insurance Act, 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, the Insurance Regulatory and Development Authority IRDA (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulations, 2002, and orders and directions issued by the IRDAI in this behalf, the Companies Act, 2013 to the extent applicable and in compliance with the Accounting Standards specified under section 133 of the Companies Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 to the extent applicable and current practices prevailing in the Insurance industry.

### **2. USE OF ESTIMATES**

The preparation of the financial statements in conformity with generally accepted accounting principles requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, revenues and expenses and disclosure of contingent liabilities on the date of financial statement. Actual results may differ from those estimates and assumptions. The estimates and assumptions used in the accompanying financial statements are based upon management's evaluation of the relevant facts and circumstances as on the date of financial statements. Any revision to the accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

### **3. PREMIUM**

Premium income is recognized net of re-insurance, based on assumption of risk in related revenue account. In case of policies where payments are received in instalment, the revenue is recognized at the time of receipt of instalment.

#### **3.1 RESERVES FOR UNEXPIRED RISK**

Reserves for unexpired risk is created on the amount representing that part of the net premium written which is attributable to, and allocated to the succeeding accounting periods including short term policies at 50% of net premium except in the case of Marine Hull business, where it is made at 100% of net premium.

#### **3.2 PREMIUM DEFICIENCY**

Reserve for premium deficiency is recognized and disclosed where the sum of expected net claims costs, related expenses and maintenance costs exceeds the related unexpired risk reserve on an annual basis as certified by the actuary.

#### **3.3 PREMIUM RECEIVED IN ADVANCE**

Premium received in advance represents premium received in respect of policies issued during the year, where the risk commences subsequent to the balance sheet date.

### **4. ACQUISITION COST**

The acquisition cost relating to acquisition of new/renewal of insurance contracts is charged in the year in which the premium is recognized.

### **5. CLAIMS**

5.1 Claims are considered in the following manner:

- क) ारत में ऋत्यक्ष व्यवसाय के संबंध में वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक ऋप्त सूचना के आधार पर,  
ख) बीमा कम्पनियों/ऐजेण्टों द्वारा पुर्नबीमा व्यवसाय के संबंध में लेखा तैयार होने के निर्धारित तिथि तक दी गई सूचना के आधार पर,

जिन सूचित दावों से संबंधित सूचनायें उपलब्ध होती है वहां दावा देयता का निर्धारण आंकलन के आधार पर किया जाता है जहां संबंधित सूचनाएं उपलब्ध नहीं होती वहां वर्तमान और विगत बीमा के आधार पर ऋवाधान लेखन अनु ाव किया जाता है।

- 5.2 बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर उपगत किन्तु सूचित नहीं (आईबीएनआर) का ऋवाधान किया जाता है।  
5.3 जहां कम्पनी की देयता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त पॉलिसी विवरणों के बिना कम्पनी को न्यायलय के सम्मन ेजे गये हैं, उन मोटर तृतीय पक्ष दावों के संबंध में विवरण रहित दावों के अनुमालित मूल्य की एक तिहाई सीमा तक का ऋवाधान तथा एक वर्ष से अधिक समय से लम्बित पड़े दावों के लिए, वर्तमान पद्धति के अनुसार, पूरा ऋवाधान किया जाता है।  
5.4 ऐसा ऋवाधान है कि कम्पनी द्वारा निरस्त किए गए दावों जो दोवेदारों द्वारा कोर्ट/लोकपाल/मध्यस्था में दिए गये हैं, ऋबंधन की यह राय है कि अंतिम निर्णय कम्पनी के विरुद्ध होंगे।  
5.5 मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) में अपील केसेज, दावा जिनका ँगतान न्यायलय में जमा किये गए राशि के साथ किया गया हो।  
5.6 निस्तारण वसूली होने पर वह दावे खाते में जमा कर दिए जायें।

## 6. पुर्नबीमा

- 6.1 विदेशी बीमा कंपनियों से पुर्नबीमा स्वीकृतियां के मामले में, खाते को अंतिम रूप ऋदान करने की तिथि तक ऋप्त रिटर्न और ारतीय कंपनियों के वर्तमान वर्ष के 3 तिमाही तक और पिछले वर्ष के 4 तिमाही के ऋप्त रिटर्न को खातों में शामिल किया गया है। ारतीय कंपनियों के 4 तिमाही के रिटर्न जहाँ ँी ऋप्त हो, इसमें शामिल किये जायेंगे।  
6.2 पुर्नबीमा अर्पण के मामले में जहाँ पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं है, पुर्नबीमा वि ाग के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर और/या अधिकतम हानि के उचित आंकलन के आधार पर ही अर्पण निर्धारित किया जाता है।  
6.3 अस्वीकृत जोखिम पूल ँगतान और बकाया दावों के आंकड़े, ऋमियम और अनिवार्य अर्पण ऋतिशत के बदलती के लिए दावों के आंकड़े खातों को अंतिम रूप देने तक पूल ऋबंधक से ऋप्त जानकारी के आधार पर शामिल किया जाता है।  
6.4 निवेश आय और आतंकवाद पूल रेट्रो सम्बंधित व्यय जीआईसी (पूल ऋशासक) से ऋप्त विवरणों के आधार पर खातों को अंतिम रूप देने तक माने जाते हैं।

## 7. अनुवाद/विदेशी मुद्राओं का रूपांतरण:

### 7.1 पुर्नबीमा संचालन:

पुर्नबीमा के राजस्व लेनदेन, जोकि विदेशी मुद्राओं में होते हैं, को ऋत्येक तिमाही के विनिमय दर की औसत के आधार पर रूपांतरित किया जाता है।

मौद्रिक संपत्ति और पुर्नबीमा की देनदारियों, जोकि विदेशी मुद्राओं में होती हैं, समापन दर पर रूपांतरित किया जाता है।

### 7.2 विदेशी संचालन:

लेखा मानक एएस-11 के अनुसार "विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के ऋ ाव के कारण", विदेशी शाखाओं को गैर अं िन्न विदेशी संचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

- (a) in respect of direct business in India on the basis of claim intimations received upto the year end,
- (b) in respect of re-insurance business as intimated by insurance companies/agents upto cut-off date of finalization of accounts.

In case of claims reported wherever supporting information are available, liabilities for claims are estimated on the basis of such information. Wherever supporting are not available, provisions are estimated on current trends and past underwriting experience.

- 5.2 Provisions for claims 'Incurred but Not Reported' (IBNR) and 'Incurred but not enough Reported (IBNER) are made on the basis of actuarial valuation.
- 5.3 In respect of motor third party claims, where court summons have been served on the company without adequate policy particulars, provisions are made to the extent of 1/3rd of the estimated value of such unidentified claims and for claims remaining unidentified over one year, full provision is made, in accordance with the existing practice.
- 5.4 In cases of claims repudiated by the Company but contested by the claimants in courts/ ombudsman/arbitration etc. provisions have been made where the management is of the opinion that the final awards are likely to go against the company.
- 5.5 Claims paid include Court Deposits in Motor Accident Claims Tribunal (MACT) appeal cases.
- 5.6 Salvage recoveries are accounted for on realization and credited to claims account.

## **6. RE-INSURANCE**

- 6.1 In case of reinsurance acceptances from foreign insurance companies, returns received upto the date of finalization of accounts and returns from Indian companies received upto 3rd quarter of the current year and the 4th quarter of the previous year are incorporated in the accounts. Returns of 4th quarter from Indian companies wherever received are also considered.
- 6.2 In case of reinsurance cessions where full particulars are not available, cessions are done on the basis of information available with the re-insurance department and/or on the basis of reasonable estimation of probable maximum loss wherever applicable.
- 6.3 Figures of Declined Risk Pool claims paid and outstanding, bifurcation of premium and claims for varying obligatory cession percentage are considered on the basis of information received from Pool Manager upto finalization of accounts.
- 6.4 Investment income and expenses in respect of Terrorism pool retro are accounted as per the statements received from GIC (Pool Administrator) upto finalization of accounts.

## **7. TRANSLATION/CONVERSION OF FOREIGN CURRENCIES:**

### **7.1 Reinsurance operations:**

Revenue transactions of reinsurance in foreign currencies are converted at the average of rates of exchange of each quarter in which they are accounted.

Monetary assets and liabilities of reinsurance in foreign currencies are converted at the closing rate.

### **7.2 Foreign operations:**

As per the Accounting Standard AS-11 "the effects of changes in foreign exchange rates", foreign branches are classified as 'non-integral foreign operations'.

गैर अर्गिन्स संचालनों के ाग की संपत्ति और देनदारियों, मौद्रिक और गैर मौद्रिक दोनों को, समापन दर पर परिवर्तित किया जाता है।

गैर अर्गिन्स संचालनों की आय व व्यय उस वर्ष की औसतन विनिमय दर पर परिवर्तित किये जाते हैं।

### 7.3 गैर अर्गिन्स विदेशी शाखा में विनिमय अंतर :

एएस-11 के भावधान के अनुसार विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन, विदेशी शाखा (गैर अर्गिन्स नेपाल शाखा) से सम्बंधित लेनदेन के कारण बचे शेष का विनिमय अंतर विदेशी मुद्रा अंतरण रिज़र्व में शाखा के ऑपरेशन बंद होने तक जमा होता है।

7.4 हांगकांग शाखा के लेनदेन के कारण उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर ला 1 और हानि खाते में आरोपित होते हैं।

7.5 जी आई सी द्वारा निर्धारित विदेशी विनिमय दरें मान्य हैं।

## 8. निवेश और ऋण

### 8.1 अचल संपत्ति-संपत्ति निवेश:

निवेश सम्पत्तिूसम्पत्ति का मूल्यांकन ऐतिहासिक लागत मूल्यहास घटाकर किया जाता है।

8.2 (क) **ऋण ऋति तूति:** सरकारी ऋति तूतियां और पुनर्विमोचन योग्य अधिमान शेयर सहित ऋण ऋति तूतियों को परिपक्वता के लिए धारित ऋति तूति के रूप में माना जाता है और ऐतिहासिक लागत पर इन्हें मापा जाता है तथा भदत्त भीमियम को परिपक्वता की बाकी अवधि में किस्त बद्ध किया जाता है।

ऋण ऋति तूतियों के लिए ऋण परिशोधन का आधार, जहां फेस वैल्यू (फ-व), बुक वैल्यू (ब-व) से कम है, हानि को शेष बची अवधि में समान रूप से विस्तारित किया जाता है।

(ख) **इक्विटी ऋति तूतियां जिनका सक्रिय बाजार:** सूचीबद्ध इक्विटी ऋति तूतियां, जिनका व्यापार सक्रिय बाजारों में होता है, तुलन पत्र के तारीख को उचित मूल्य पर मापी जाती हैं। उचित मूल्य की गणना करने के ऋयोजन में राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) या बम्बई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में अंतिम उद्धृत न्यूनतम क्लोजिंग मूल्य पर किया जाता है। सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों के उचित मूल्य परिवर्तन के कारण अभाप्त ला 1/हानि को उचित मूल्य परिवर्तन लेखा शीर्षक के अधीन इक्विटी में लिया गया है।

सूचीबद्ध एवं एक्टिवली ट्रेडेड इक्विटी शेयर के ऋकरण में पूंजी का हास तब माना जाता है जब किसी ऋति तूति विशेष का विघटित मूल्य उपलब्ध मूल्य इसके अंकित मूल्य से कम हो या वर्तमान विघटित उपलब्ध न हो। इस उद्देश्य के लिए विघटित मूल्य का निर्धारण नवीनतम तुलनपत्र, जो मूल्यांकन तिथि से एक वर्ष पूर्व से अधिक नहीं होना चाहिए, किया जाता है।

(ग) **गैर सूचीबद्ध और सक्रिय व्यवसाय ऋति तूतियां:** इनकी आंकलन मूल्यहास के अधीन ऐतिहासिक लागत पर मापा जाता है।

गैर सूचीबद्ध और इक्विटी ट्रेडेड इक्विटी को छोड़कर पूंजी में हास तब माना जाता है जब लगातार तीन वर्षों तक हानि का इतिहास रहा हो या तीन वर्ष का वार्षिक लेखा उपलब्ध न हो, वहां इक्विटी शेयर का धनात्मक विघटन मूल्य तक अपलिखित किया जाता है। अन्यथा नाम मात्र ₹1/- ऋति कम्पनी पर लिखा जाता है।

पूंजी में हास हुआ तब माना जाता है जब शेयर का ब्रेकअप वैल्यू इसके फेस वैल्यू से कम हो या जहां वर्तमान ब्रेकअप वैल्यू

The assets and liabilities both monetary and non-monetary of the non-integral part of operations are translated at the closing rate.

Income and expenses of the non integral foreign operations are translated at the average exchange rate of the year.

### 7.3 Exchange difference in non-integral foreign branch:

As per provision of AS-11, the effect of changes in Foreign Exchange Rates, exchange difference on account of transactions of the balances relating to foreign branch (non-integral-Nepal Branch) is accumulated in Foreign Currency Translation Reserve until the closure of the operation in the said branch. The cumulative amount of balance lying in aforesaid reserve would be recognized as income or as expenses in the year of closure of the branch.

7.4 Exchange difference arises on account of transactions of Hong Kong branch is charged to Profit & Loss Account.

7.5 The foreign exchange rates as advised by GIC, has been considered.

## 8. INVESTMENTS AND LOANS

### 8.1 Real Estate-Investment Property:

Investment Properties-Real Estates are valued at historical cost less accumulated depreciation and impairment loss.

8.2 (a) **Debt Securities:** Debt securities including Government securities considered as "held to maturity" securities and are measured at historical cost and the premium paid is amortized over the residual period of maturity.

The premium arises where book value (BV) of the securities is greater than its face value (FV) and the same (BV-FV) is amortized uniformly over residual life of the security.

(b) **Equity Securities traded in active markets:** Listed equity shares which are traded in active markets are measured at Fair Value as at the Balance Sheet date. For the purpose of calculation of fair value, the market price of the actively traded securities is taken at the lower of the last quoted closing price at the National Stock Exchange (NSE) or Bombay Stock Exchange (BSE). Unrealised gain/loss arising due to changes in the fair value of listed and actively traded equity shares is taken to equity under the head "Fair Value Change Account".

In the case of listed and actively traded equity shares, capital is considered to be impaired if the break-up value of a particular security is less than its face value or where the current break-up value is not available. For this purpose the break-up value is arrived at as per the latest Balance Sheet, which should not be more than 1 (one) year prior to the date of valuation. When capital is impaired and there is three years' history of continuous loss or if the published annual accounts are not available for the last three years, equity shares are valued at lower of cost or market value.

(c) **Unlisted and other than actively traded Equity Securities:** These are measured at historical cost subject to impairment.

In the case of unlisted and other than actively traded equity shares when capital is impaired and there is three years' history of continuous loss or if the annual accounts are not available for last three years, such equity share are written down to the break-up value where it is positive otherwise to a nominal value of ₹1/- per company.

Capital is considered to be impaired if the break-up value of share is less than its face value or



उपलब्ध नहीं है। इस उद्देश्य के लिए चालू बैलेन्सशीट के आधार पर ब्रेकअप वैल्यू निकाली जाती है, जो वैल्यूअन के एक वर्ष पूर्व से अधिक समय की नहीं होनी चाहिए।

अन्य मामलों में जहां विघटन मूल्य अधिग्रहणता से कम है वहां तत्कालिक बैलेन्सशीट से एक वर्ष से अधिक के वैल्यूएशन तिथि का नहीं है लेकिन यह लगातार हानि का ऐसा कोई इतिहास नहीं है, वहां अधिग्रहण लागत विघटन मूल्य में अंतर की राशि के बराबर का भावधान किया गया है। जहां विघटन मूल्य ऋणात्मक है वहां अधिग्रहण मूल्य और सामान्य मूल्य ₹1 प्रति कम्पनी बीच के अन्तर का भावधान होगा।

(घ) **अधिमान शेयर:** ऐसी कम्पनी के अधिमान शेयर में निवेश का मूल्यांकन भूमियम परिशोधन के अधीन, यदि कोई हो, होता है। अधिमान शेयर में हास उस समय होता है जब कंपनियां पूर्ववर्ती तीन लगातार वर्षों में हानि उठा रही हो या जिनकी पूंजी आंशिक/पूर्णतया हास में हो या जिनका पूर्ववर्ती तीन वर्षों का वार्षिक लेखा उपलब्ध नहीं हो। हास के भ्रकरण में मूल्यांकन निम्नवत है-

- यदि किसी कम्पनी के इक्विटी शेयर का सक्रिय कारोबार है तो इसके अधिमान शेयर के अवमूल्यन इक्विटी शेयर के अंकित मूल्य र बाजार मूल्य के अनुपात में होता है।
- यदि किसी कम्पनी का इक्विटी शेयर सूचीबद्ध नहीं है या इसका कम कारोबार है, इसके अधिमान शेयर का अवमूल्यन इक्विटी शेयर के अंकित मूल्य और विघटित मूल्य के अनुपात होता है। जहां इक्विटी शेयरों का विघटन मूल्य ऋणात्मक है या जहां मूल्यांकन की तिथि के 1 वर्ष पूर्व की नवीनतम तुलनपत्र पर उपलब्ध नहीं है वहां अधिमान शेयर नाममात्र मूल्य ₹1 प्रति कम्पनी पर लिखा जाता है।

ड.) **ऋण व ऋण-पत्र-**ऋण (ऋण पत्र सहित) मूल्यहास भावधान के अधीन ऐतिहासिक लागत पर मापे गए हैं। मूल्यहास भावधान आईआरडीए द्वारा वित्तीय संस्थानों के लिए लागू समय-समय पर जारी तय दिशा निर्देशों के अनुसार किए गए हैं। स्टैंडर्ड सरकारी बांड निवेशों के लिए कोई भावधान नहीं है।

आय मान्यता, निष्क्रिय सम्पत्तियों के लिए भावधान आदि के संबंध में आईआरडीए द्वारा निर्धारित ऋणों और ऋणपत्रों के लिए विवेकपूर्ण नियमों का कम्पनी द्वारा पालन होता है। तथापि भावधान करने के भयोजन से प्रति तूति का मूल्य कैपिटलाइन के पास उपलब्ध नवीनतम तुलनपत्र के अनुसार परिसम्पत्ति संरक्षण अनुपात के आधार पर ज्ञात किया जाता है। जहां परिसम्पत्ति संरक्षण अनुपात एक से कम है वहां और असंरक्षित ाग के लिए संरक्षण दिया जाता है।

(च) **अल्पकालिक मुद्रा बाजार साधन-** अल्पकालिक मुद्रा बाजार साधन जैसे जमा भ्रमाणपत्र और व्यपारिक दस्तावेज, जिन्हें सहमत दर पर संविदा के समय घटाया जाता है, के लेखांकन उनके घटाए गए मूल्य होता है।

(छ) निवेश हास का आंकलन तुलनपत्र की तिथि पर किया जाता है तथा ला 1 एवं हानि को लेखा में व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है।

(ज) वेन्चर कैपिटल फण्ड ( पीसीएफ)/अल्टरनेटिव निवेश फण्ड(एआईएफ) में निवेश का मूल्यांकन वित्तीय वर्ष समाप्त होने के भ्रथम तीन वर्ष के लागत के भारी ाक संवितरण पर किया जाता है। इसके बाद उस निवेश मूल्य में कमी का भावधान बैलेन्सशीट के तिथि में एनएवी लागत से कम हो। निवेशी कंपनियों का लेखा परीक्षा तुलनपत्र/वित्तीय विवरण एनए पी अंक मूल्यांकन के तिथि तक भाप्त नहीं होते है तो निवेशों का मूल्य प्रति पीसीएफ/एआईएफ 1 रूपये होगा।

निवेश की लागत में दलाली, शेयर हस्तांतरण, शुल्क, कर आदि शामिल है। भाप्त भोत्साहन को लागत से घटा दिया जाता है।

where the current break-up value is not available. For this purpose the break-up value is arrived at as per the latest balance sheet, which should not be more than one year prior to the date of valuation.

In other cases where break-up value is less than acquisition cost or unavailable (as per latest balance sheet not more than one year prior to date of valuation) but there is no such history of continuous losses, provision is made equivalent to the difference in acquisition cost and the break-up value of the share. When the break-up value is negative, provision shall be difference between the acquisition cost and a nominal value of ₹1/- per company.

- (d) **Preference Shares:** Preference Shares is valued at cost subject to amortization of premium, Impairment in Preference Shares is recognized where the company is making losses continuously for the three immediately preceding years and whose capital is eroded or where the annual accounts for three immediately preceding years are not available. In case of impairment it is valued as under:
- If the equity shares of the company are actively traded, its preference shares are written down to a value, which is in the same proportion that the market value of the equity share bears to its face value.
  - If the equity shares of the company are unlisted/thinly traded, its preference shares are written down to a value, which is in the same proportion that the break up value of equity share bears to its face value. Where the break up value of equity shares is negative or where the latest published annual accounts is not available one year prior to the date of valuation, the preference shares are written down to a nominal value of ₹1/- per company.
- (e) **Loans and Debentures:** Loans (including Bonds/Debentures) are measured at historical cost subject to impairment provision. The impairment provision is done on the basis of guidelines prescribed by IRDA. No provision is made against investments in Standard Government Bonds.
- Prudential norms as prescribed by IRDA regarding recognition of income, provisioning for non-performing assets etc., are followed by the Company. Further the value of security is also ascertained based on asset coverage ratio as per latest available published annual accounts with 'Capitaline'. Where asset coverage ratio is less than one, additional coverage is provided for the uncovered portion.
- (f) **Short Term Money Market Instruments:** Short Term Money Market Instruments such as Certificates of Deposit and Commercial Papers, which are discounted at the time of contract at the agreed rate, are accounted for at their discounted value.
- (g) Impairment in value of investments is assessed as at the Balance Sheet date and is recognized as an expense in the Profit and Loss Account.
- (h) Investment in Venture Capital Fund (VCF)/Alternative Investment Fund (AIF) are valued at cost for the first three years from the end of the financial year in which the initial disbursement are made. Thereafter, provision is made for diminution in value of such investments where NAV as at the Balance Sheet date is lower than the cost. If the audited Balance Sheet/Financial Statements of the investee companies showing NAV figures are not available continuously for more than 18 months as on the date of valuation, the investments are valued at Rupee 1 per VCF/AIF.

Cost of investments includes brokerage, share transfer stamps, fees, taxes etc. Incentives received are deducted from cost.

- 8.3 (क) ला ांश घोषित होने वाले वर्ष में ही लेखांकित किये जाते हैं चाहे उसी वर्ष में भ्रष्ट न किए गए हो।  
 (ख) जो शेयर कम्पनी के नाम में अंतरित नहीं हुआ है उनका ल ांश वसूली होने पर लेखांकित होता है।
- 8.4 जहां शेयरों/ऋण पत्रों की खरीद की संविदा बनायी जाय किन्तु शेयर/ऋणपत्र, भ्रमाणपत्रों की सुपुर्दगी नहीं हुई हो तो उसका लेखांकन निवेश के रूप में होता है। यदि शेयरों के खरीद के तत्काल बाद सुपुर्दगी लम्बित रहने को दौरान ल ांश घोषित होता है तो शेयर के मूल्य से ला ांश की राशि घट जाती है।
- 8.5 जहां बोनस शेयर भ्रष्ट हुए हो वहां बही मूल्य को भ्र ावित किए बिना शेयरों की संख्या दर्ज है।
- 8.6 म्यूचुयल फंड की यूनितों में निवेश में निवेश का मूल्यांकन शुद्ध संपत्ति मूल्य पर है और अभ्रष्ट ला ा/हानि को उचित मूल्य परिवर्तन लेखा में मान्यता है।
- 8.7 ब्याज, ला ांश और किराए पर आय, बिक्री/निवेश होने पर ला ा/हानि और निवेश पर किये गये खर्च, राजस्व खाते (पॉलिसी धारकों के खाते) और ला ा व हानि खाते (शेयरहोल्डर्स खाते) के बीच वर्ष के आरं ा में पॉलिसीधारक और शेयरहोल्डर फण्ड के शेष निधि के अनुपात में वि ाजित होते हैं।
- 8.8 शेयरधारकों की निधि/फण्ड में शेयर पूंजी और सामान्य रिजर्व शामिल हैं। पॉलिसीधारक निधि/फण्ड में असमाप्त जोखिम के रिजर्व और बकाया दावों के भ्रवधान शामिल हैं।

## 9. भ्रबंधन के खर्च / भ्रचालन खर्च

परिचालन व्यय, ला ा और हानि खाते में भ्र ारित व्ययों और जो संबंधित राजस्व लेखा में सीधे योगदान दे रहे हैं, के अलावा, शुद्ध भ्रमियम के आधार पर मरीन व्यापार के लिए 75% और अग्नि व् विविध व्यापार के लिए 100% ारांक देने के उपरांत राजस्व लेखा को वि ाजित किया गया है।

## 10. स्थायी परिसंभ्रपत्तिया एवं मूल्य हास/हानि

- स्थायी परिसंभ्रपत्तियों की लागत संचयी मूल्यहास को घटाकर की जाती है।
- कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ाग सी को आधार पर जीवन परिसंभ्रपत्तियों के मूल्यहास नीचे लिखे मूल्य विधि (डब्ल्यूडी ा) के अनुसार भ्रदान की जाती है। संपत्ति मूल्य के 95% मूल्यहास और शेष 5% मूल्य को मूल्य हास रहित के रूप में लिया जाता है।
- पट्टाधीरत संपत्ति का लागत परिशोधन पट्टा अवधि के अनुसार किया जाता है।
- अमूर्त आस्थियों (साफ्टवेयर) अनुमानित उपयोगी जीवन पर परिशोधित 5 वर्ष से अधिक नहीं हो।

## 11. परिसंभ्रपत्तियों का मूल्यहास

यदि मूल्यहास के कारण हानि के स्थिति में उस संपत्ति के ब्लॉक के वसूली योग्य राशि को अनुमानित किया जाता है तथा मूल्यहास हानि को दर्ज किया जाता है, यदि उस संपत्ति का वर्तमान मूल्य उनके वसूली योग्य मूल्य से बढ़ जाता है।

## 12. कर्मचारी ला ा/सुविधा

कर्मचारी ला ा में परि ाषित योगदान और परि ाषित ला ा योजना दोनों शामिल हैं।

- (क) ाविष्य निधि एक परि ाषित योगदान योजना है जिसके अंतर्गत कंपनी का एक अलग ट्रस्ट में निर्धारित मासिक अंशदान देने का दायितत्व होता है।
- (ख) पेंशन, आनुतोषिक और अवकाश नकदीकरण देनदारियां ला ा दायित्वों को परि ाषित करती हैं और लेखा मानक (एएस) 15 कर्मचारी ला ा के अनुसार वित्तीय वर्ष के अंत में किए गए एक बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर भ्रदान की जाती हैं।

- 8.3 (a) Dividend is accounted for in the year in which right to receive is established.  
(b) Dividend, on shares which are not transferred in the company's name, is accounted for on realization.
- 8.4 Where contracts of purchase of shares/debentures are made but delivery/registration of certificates is pending, the same are accounted for as investments. If dividend is declared on such shares during the pendency of delivery immediately after purchase, the cost of shares is reduced by the amount of such dividend.
- 8.5 Where bonus shares are received, the number of shares is recorded as an increase without affecting the book value.
- 8.6 Investment in units of Mutual Fund is valued on Net Assets Value (NAV) basis and unrealized gain/loss is recognized in 'Fair Value Change Account'.
- 8.7 Interest, dividend and rent income, profit/loss on sale/realisation of investments and expenses related to investments, are apportioned between respective Revenue Accounts (Policyholders' Account) and Profit and Loss Account (Shareholders' account) in the ratio of policyholders' fund and shareholders' fund balances at the beginning of the year.
- 8.8 Shareholders' fund comprises of share capital and general reserve. The policyholders' fund comprises of reserve for unexpired risk and provision for outstanding claims.

## **9. EXPENSES OF MANAGEMENT/OPERATING EXPENSES**

Operating expenses, other than those charged to Profit and Loss Account and which are directly attributable to the respective Revenue Accounts, are apportioned between the Revenue Accounts on the basis of Net Premium after giving weightage of 75% for Marine business and 100% for Fire and Miscellaneous business.

## **10. FIXED ASSETS AND DEPRECIATION/IMPAIRMENT**

- i) Fixed assets are carried at cost less accumulated depreciation.
- ii) Depreciation is provided as per written down value method (WDV) on the basis of useful life of assets as set out in Schedule II - Part C of the Companies Act, 2013. 95% of the value of asset is considered depreciable and balance 5% is retained as un-depreciable amount.
- iii) Cost of Leasehold properties is amortized over the period of lease.
- iv) Intangible assets (software) are amortized over the estimated useful life not exceeding 5 years.

## **11. IMPAIRMENT OF ASSETS:**

Impairment loss is recognized when any indication about realizable value of block of assets is observed to be less than its carrying cost.

## **12. EMPLOYEES' BENEFITS**

Employee benefits comprise of both defined contributions and defined benefit plans.

- (a) Provident fund is a defined contribution plan as the company's obligation is to pay fixed monthly contribution to a separate trust.
- (b) Pension, Gratuity and Leave Encashment liabilities are defined benefits obligations and are provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year in accordance with Accounting Standard (AS) 15 Employee Benefits.

### 13. सेगमेंट रिपोर्टिंग

अनु ाग/सेगमेंट को बीमा विनियामक और विकास ऋधिकरण (बीमा कम्पनियों की वित्तीय विवरण एवं लेखा परीक्षण रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002 एवम् इसके बाद के परिपत्रों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार वि ाक्त किया गया है।

### 14. अनिश्चित देयताएं एवं अनिश्चित परिसम्पत्तियां

पिछले अवसरों के परिणाम के आधार पर अनिश्चित देयताओं को स्वीकार करने का ऋवाधान किया जाता है तथा आब्लिगेशन को सेटल करने में संसाधनों के आउटप्लो की सं ाव्यता आवश्यक होगी। अनिश्चित परिसंपत्तियों को लेखा में नहीं रखा गया है।

### 15. आयकर

(क) आयकर के लिए ऋवाधान कर कानूनों के अनुसार किया जाता है।

आस्थगित कर समय िन्नता के आधार पर मान्य है, कर योग्य और लेखा आय / व्यय के बीच की िन्नता, जोकि एक अवधि में ऋरम् ा होती है तथा एक या अधिक अवधि में उत्क्रमण में सक्षम होती है। आस्थगित कर को स्वीकार नहीं किया जाता जब तक कि यह निश्चित न हो कि पर्याप्त ावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके ऋतिकूल आस्थगित करों को स्वीकार किया जायेगा।

(ख) कर वापसी पर ब्याज के लेखांकन आयकर ऋधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के आधार पर किया जाता है।

#### कृते निदेशक मंडल

कृते एस. घोष व कं. एलएलपी  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन: 302184E/E300007

(सीए. आनन्दी साव)  
भागीदार  
सदस्यता संख्या 068308

कृते साहा गांगुली व सहायक  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन: 302191E

(सीए समीर कुमार साहा)  
भागीदार  
सदस्यता संख्या 051392

के. सनथ कुमार

एम. वसन्त कृष्ण

पी. वेंकटरामैया

एम. शशीकला

रीना माडिया

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक  
(DIN: 03444096)

निदेशक (DIN: 06960731)

निदेशक (DIN: 06701070)

मुख्य वित्तीय अधिकारी

कम्पनी सचिव

कोलकाता 26 जून, 2016

### 13. SEGMENT REPORTING

Segments have been classified as per directives given in The Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 and subsequent circulars.

### 14. CONTINGENT LIABILITIES & CONTINGENT ASSETS

Provision against contingent liabilities is recognized when there is a present obligation as a result of past events and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation. Contingent assets are not recognized in the accounts.

### 15. TAXATION

(a) Provision for income tax is made in accordance with the tax laws.

Deferred tax is recognized on timing differences, being the differences between taxable and accounting income / expenditure that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent period(s). Deferred tax asset is not recognized unless there is virtual certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realized.

(b) Interest on tax refunds is accounted for on the basis of orders passed by the Tax authorities.

For and on behalf of the Board of Directors

For S. Ghose & Co.LLP  
Chartered Accountants  
FRN 302184E/E300007

For Saha Ganguli & Associates  
Chartered Accountants  
FRN 302191E

K. Sanath Kumar  
Chairman-cum-Managing Director  
(DIN: 03444096)

M. Vasantha Krishna  
Director (DIN: 06960731)

P. Venkatramaiah  
Director (DIN: 06701070)

M. Sashikala  
Chief Financial Officer

Rina Madia  
Company Secretary

(CA. Anandi Shaw)  
Partner

(CA. Samir Kumar Saha)  
Partner

Membership No. 068308

Membership No. 051392

Kolkata, the 26<sup>th</sup> June 2016

## अनुसूची – 17

### लेखा की अंगी तूट टिप्पणियाँ

#### 1. भासंगिक देयता :

विवरण	2015-16
निवेश के लिए आंशिक रूप से किये गये गुगतान	4181
बीमांकन भतिबद्धताएं	0
ऐसे दावे, पॉलिसी के अंतर्गत दावे के अलावा, जो ऋण के रूप में स्वीकृत न हो	1995319
कंपनी द्वारा या कंपनी की ओर से दी गयी गारंटी	*950
संवैधानिक मांगों/विवादों की देनदारियां, निम्न के लिए उपलब्ध नहीं	
(क) आय कर	3996824
(ख) सेवा कर	5292930
पुनर्बीमा दायित्व, उस सीमा तक जो लेखा/खाते में उपलब्ध नहीं करायी गयी	0

\* सहयोगी कंपनियों के आंकड़े सम्मिलित हैं।

- भारत में स्थित कंपनी की परिसंपत्तियों के ऋण भारत से बाहर स्थित कंपनी की परिसंपत्तियों के ऋण शून्य.
- भतिबद्धताएं और ऋणों, निवेश और अचल संपत्तियों की बकाया राशि.

विवरण	2015-16
ऋण व निवेश	133955
अचल संपत्तियां	*4721107
आईटी समर्थ बिजनेस भोसेस रिइंजीनियरिंग डाटा माइग्रेशन भी शामिल है	1680800

\* सहयोगी कंपनियों के आंकड़े सम्मिलित हैं.

#### 4. दावेदारों, भारत में या भारत से बाहर, को गुगतान किये गये दावे, पुनर्बीमा को घटाकर :

व्यापार	भारत में		भारत से बाहर		कुल
	2015-16	2015-16	2015-16	2015-16	
अग्नि	4057554	210561	4268115		
समुद्री	1251913	24396	1276309		
विविध	84710021	214910	84924931		
<b>कुल</b>	<b>90019488</b>	<b>449867</b>	<b>90469355</b>		

- ऐसे दावों के लिए, जहाँ दावा गुगतान अवधि चार वर्षों से अधिक है, दावा दायित्वों के निर्धारण हेतु एक्चुरियल मान्यताएं : कंपनी द्वारा कोई भी ऐसी पॉलिसी जारी नहीं की गयी जहाँ गुगतान की अवधि चार साल से अधिक है।

**Schedule – 17**

**NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS**

1. Contingent Liabilities:

₹ in thousand

Particulars	2015-16
Partly-paid up Investments	4181
Underwriting commitments	0
Claims, other than those under policies, not acknowledged as debts	1995319
Guarantees given by or on behalf of the company	*950
Statutory demands/liabilities in dispute, not provided for	
(a) Income Tax	3996824
(b) Service Tax	5292930
Reinsurance obligations to the extent not provide for in the accounts	0
Others (to be specified)	0

\* includes figures of associate companies.

2. Encumbrance to assets of the company in India - Fixed Deposit ₹162800 thousand.  
Encumbrance to assets of the company outside India - Nil.

3. Commitments made and outstanding for Loans, Investments and Fixed Assets.

₹ in thousand

Particulars	2015-16
Loans and Investments	133955
Fixed Assets	*4721107
IT enabled Business Process Re-engineering (EASI) including Data Migration	1680800

\* includes figures of associate companies.

4. Claims, less reinsurance, paid to claimants In/outside India:

₹ in thousand

Business	In India	Outside India	Total
	2015-16	2015-16	2015-16
Fire	4057554	210561	4268115
Marine	1251913	24396	1276309
Miscellaneous	84710021	214910	84924931
<b>Total</b>	<b>90019488</b>	<b>449867</b>	<b>90469355</b>

5. Actuarial assumptions for determination of claim liabilities in the case of claims where the claims payment period exceed four years:

The company has not issued any policy where the claim payment period exceeds four years.



6. (क) भारतीय सकल व्यापार के बकाया दावों की अवधि :

₹ हजार में

व्यापार	अन्य	छः महिनो से अधिक	कुल
	<b>2015-16</b>	<b>2015-16</b>	<b>2015-16</b>
अग्नि	7796553	8048926	15845479
समुद्री	832758	2309044	3141802
विविध	22579340	36668627	59247967

(ख) तुलन पत्र की तिथि पर दावों का निपटान और छह महीने से ज्यादा की अवधि के लिए शेष बकाया: कोई भी दावा गुगतान तुलन पत्र की तिथि पर बकाया नहीं।

7. पुनर्बीमा को घटाकर भीमियम, भारत में या भारत से बाहर :

₹ हजार में

व्यापार	भारत में	भारत से बाहर	कुल
	<b>2015-16</b>	<b>2015-16</b>	<b>2015-16</b>
अग्नि	7416953	111268	7528221
समुद्री	1740205	51353	1791558
विविध	102198971	212783	102411754
<b>कुल</b>	<b>111356129</b>	<b>375404</b>	<b>111731533</b>

8. भीमियम आय का विस्तार क्षेत्र, जोखिम के बदलते भित्तिरूप, श्रेणी वार, बाह्य भ्रमाण पर विश्वास सम्मिलित है या नहीं, औचित्य पर आधारित है।

भीमियम, शुद्ध पुनर्बीमा, जोखिम मान्यताओं से सम्बंधित राजस्व लेखा और असमाप्त जोखिम के रिज़र्व भतिशत पर आधारित होते हैं जिसकी अग्नि, समुद्री कार्गो और विविध व्यापार में 50%, और समुद्री हल व्यापार में 100%

9. निवेश के सम्बन्ध में अनुबंध का मूल्य :

(क) वे क्रय जहाँ वितरण लंबित है ₹1926534 हजार.

(ख) वे बिक्रियां जहाँ गुगतान अ भी देय हैं ₹2362953 हजार.

10. (क) आईआरडीए द्वारा निर्धारित लेखांकन विनियमों का पालन करने के क्रम में विदेशी विनियम और व्युत्पन्न साधनों को छोड़कर सूचीबद्ध इक्विटी शेयर और म्यूचुअल फण्ड के उचित मूल्य परिवर्तन के कारण हुए ₹51825016 हजार के गैर वसूल ला I (शुद्ध) को उचित मूल्य परिवर्तन लेखा शीर्षक में लिया गया है। उन निवेशों की ऐतिहासिक लागत ₹49816301 हजार है। उचित मूल्य लेखा परिवर्तन के जमा शेष की लंबित वसूली वितरण के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

मूल्य के धार पर मूल्यांकित बाजार मूल्य एवं ऐतिहासिक लागत का विवरण निम्नवत है :

6. (a) Ageing of claims outstanding of Indian gross business:

₹ in thousand

<b>Business</b>	<b>Others</b>	<b>More than six months</b>	<b>Total</b>
	<b>2015-16</b>	<b>2015-16</b>	<b>2015-16</b>
Fire	7796553	8048926	15845479
Marine	832758	2309044	3141802
Miscellaneous	22579340	36668627	59247967

(b) Claims settled and remaining unpaid for a period of more than six months as on the balance sheet date: No claim remained unpaid as on balance sheet date.

7. Premiums less reinsurance from business in and outside India:

₹ in thousand

<b>Business</b>	<b>In India</b>	<b>Outside India</b>	<b>Total</b>
	<b>2015-16</b>	<b>2015-16</b>	<b>2015-16</b>
Fire	7416953	111268	7528221
Marine	1740205	51353	1791558
Miscellaneous	102198971	212783	102411754
<b>Total</b>	<b>111356129</b>	<b>375404</b>	<b>111731533</b>

8. Extent of premium income recognized, based on varying risk pattern, category-wise, with basis and justification therefor, including whether reliance has been placed on external evidence.

Premiums are recognized, net of reinsurance, based on assumption of risks in related Revenue account and Reserve for Unexpired Risks is based on a percentage thereof, being 50% in case of Fire, Marine Cargo and Miscellaneous business and 100% in case of Marine Hull business.

9. Value of contracts in relation to investments, for:

- (a) Purchases where deliveries are pending – ₹1926534 thousand.
- (b) Sales where payments are due – ₹2362953 thousand.

10. (a) In accordance with the regulations prescribed by IRDA, unrealized gains (net) amounting to ₹51825016 thousand, arising due to changes in the Fair Value of listed equity shares and mutual funds (excepting equities listed in stock exchanges outside India, thinly traded equity shares and venture capital), are taken to 'Fair Value Change Account'. The historical cost of such investments amounted to ₹49816301 thousand. Pending realization, the credit balance in the Fair Value Change Account is not available for distribution.

Break-up of Market Value and Historical Cost which have been valued on fair value basis is as follows:

₹ हजार में

विवरण	बाजार मूल्य	ऐतिहासिक लागत	उचित मूल्य परिवर्तन लेखा (अपुष्ट ला 1/हानि)
	2015-16	2015-16	2015-16
पीएसयू का इक्विटी शेयर	14898802	16502103	-1603301
पीएसयू के आलावा भारतीय कम्पनियों का इक्विटी शेयर	79224450	25843545	53380905
म्यूचुअल फण्ड	7638125	7611000	27125
इक्विटी ईटीएफ	179785	159498	20287
<b>कुल</b>	<b>101641317</b>	<b>49816301</b>	<b>51825016</b>

(ख) भारत के बाहर स्टॉक एकमसचेंज में सूचीबद्ध इक्विटी शेयर जिनकी बुक वैल्यू ₹43615 हजार है तथा जिनके लिए समुचित रूप से मार्केट वैल्यू उपलब्ध नहीं है। उन्हें फेयर वैल्यू चेंज एकाउन्ट के उद्देश्य से लेखा में नहीं लिया गया है।

11. सुरक्षित ऋणों के संपत्तियों में भ्रष्टाचार की शक्तियों की शक्ति निम्नलिखित है (अनुसूची 9 का संदर्भ लें):

(क) कर्जदार की संपत्तियों, वर्तमान और भविष्य दोनों, का कंपनी के पक्ष में प्रथम बंधक और प्रथम, तथा

(ख) वही ही ऋण सहित कर्जदार की संपत्ति, संपत्ति चल सामग्री और ऐसे अन्य तल समान जिनके बारे में दूसरे ऋण दाता/वित्तीय संस्थान सहमत हो का कंपनी के पक्ष में गिरवी रखते हुए प्रथम ऋण प्रथम।

हालांकि भ्रष्टाचार की राय में संदर्भित भ्रष्टाचार की शक्ति का मूल्य ऋण के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय ऋण राशि के 1.25 गुना से कम नहीं होगा।

बंधक और प्रथम संपत्ति दाता/वित्तीय संस्थानों के पक्ष में बंधक तथा निर्धारित होनेवाले प्रथम बराबर होंगे।

मूल भ्रष्टाचार की शक्ति दस्तावेज लीड संस्थान स्तर पर रखे जाते हैं तथा संरक्षण की सीमा सावधि ऋण के बारे में तथा ऋण पत्रों के मामले में ऋण पत्र न्यासी स्तर से ज्ञात किया जा सकता है।

12. संवैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार किये गये निवेश:

₹ हजार में

	2015-16
भारतीय रिजर्व बैंक में किया गया जमा (बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 7 के अनुसरण में)	0
सेबी परिपत्र दिनांक 23.02.2005 के अनुसार मार्जिन मनी के रूप में अल्पावधि जमा एनएसई/बीएसई इक्विटी लेनदेन के लिए	120000

13. (क) पिछले वर्षों के विपरीत कुछ अचल संपत्तियों में सस्वामित्व के रूप में कम्पनी द्वारा धारित ₹1888 हजार के इक्विटी शेयरों में निवेश को निवेश संपत्ति (अनुसूची-8) के अधीन दिखाया गया है।

(ख) स्वतंत्र मूल्यांकन कर्ता की उपलब्ध मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार कुल फेयर वैल्यू ₹235336 हजार का कम्पनी द्वारा गाड़े पर दिये गये भाग की प्रसम्पदा का उचित मूल्य ₹117897 हजार है। इस प्रकार के प्रसम्पदा की अनुपातिक लागत निवेश भागों के (अनुसूची-8) में दर्शाए गए हैं।

₹ in thousand

Particulars	Market value	Historical cost	Fair value change amount (Unrealized gain/loss)
	2015-16	2015-16	2015-16
Equity Shares of PSU	14898802	16502103	-1603301
Equity Shares of Indian Companies other than PSUs	79224450	25843545	53380905
Mutual Fund	7638125	7611000	27125
Equity ETF	179785	159498	20287
<b>Total</b>	<b>101641317</b>	<b>49816301</b>	<b>51825016</b>

(b) Equity shares listed in Stock Exchange outside India having book value of ₹43615 thousand for which market value is not readily available have not been taken into account for the purpose of "Fair Value Change Account" and have been taken at book value.

11. The nature of securities (referred to Schedule 9) in all cases of long term secured loans (more than one year) are:

- a first charge of the borrowers' all immovable properties both present and future, and
- a first charge by way of hypothecation of the borrowers' all movables including book debts, all movable articles and such other movables as may be agreed to by other lending/financial institutions.

However in the opinion of management the value of securities referred to herein above at any time during the pendency of the loan should not be less than 1.25 times of the loan amount outstanding.

The mortgages and charges referred to above ranks pari-passu with the mortgages and charges created and/or to be created in favour of all lending/financial Institutions.

Original security documents and extent of coverage on any particular date are ascertainable at the lead institutions level in case of term loan and debenture trustee level in case of debentures

12. Investments made in accordance with statutory requirements:

₹ in thousand

	2015-16
Deposit with Reserve Bank of India (Pursuant to Section 7 of Insurance Act, 1938)	0
Short Term deposits with banks as margin money for NSE/BSE equity transactions as per SEBI circular dated 23.02.2005	120000

13. (a) Investments in Equity Shares of ₹1888 thousand held by the Company against ownership of certain immovable properties have been included under 'Investment Properties – Real Estate' in Schedule 8.

(b) As per available valuation report of independent approved valuer out of aggregate fair value of ₹235336 thousand proportionate fair value of real estate occupied by tenants is ₹117897 thousand. Proportionate cost of such real estate is shown under Investment Properties (Schedule-8).

14. कम्पनी होल्डिंग और भारतीय स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन लिमिटेड (एसएचसीआईएल) के बीच भ्रमाणपत्र के अंतर लेखा में दिए गए हैं।

₹ हजार में

विवरण	2015-16	
	कमी	आधिक्य
इक्विटी शेयर (बुक वेल्यू) (शेयरों की संख्या)	583 (79631)	142 (20607)
भेफरेंस शेयर (बुक वेल्यू) (शेयरों की संख्या)	.025 (1170100)	12 (300)
ऋणपत्र (बुक वेल्यू)	20088	0
<b>कुल</b>	<b>20671</b>	<b>154</b>

15. (क) पुनर्गठन के अधीन कुल ऋण राशि/अन्य परिसंपत्तियां नीचे दी गई है :

₹ हजार में

विवरण	31.03.2016
क) मानक संपत्ति	224530
ख) उप मानक संपत्ति	कोई नहीं
ग) संदिग्ध संपत्ति	कोई नहीं
<b>Total</b>	<b>224530</b>

(ख) सक्रिय और निष्क्रिय के रूप में ऋण, बॉण्ड और डिबेन्चर का पृथक्करण निम्नवत है :

i) सक्रिय	₹ 45199994 हजार.
ii) निष्क्रिय	₹ 870672 हजार.
<b>कुल बही मूल्य</b>	<b>₹ 46070665 हजार.</b>

16. (क) वर्ष के दौरान निवेश पर भीमियम का परिशोधन ₹ 58073 हजार है .

(ख) सक्रिय और निष्क्रिय के रूप में ऋण, बॉण्ड और डिबेन्चर का पृथक्करण निम्नवत है.

17. भबंधकीय पारिश्रमिक की संगणना:

सरकारी कंपनी होने के कारण भबंधकीय पारिश्रमिक की संगणना को जीएसआर 463 (ई), दिनांक 5 जून, 2015 के तहत छूट दी गयी है.

18. व्यापार का क्षेत्रवार भतिशत :

14. Differences between the Company's holding and certificate of holding from Stock Holding Corporation of India Limited (SHCIL) has been provided in the accounts.

₹ in thousand

Particulars	2015-16	
	Short	Excess
Equity Share (Book Value)	583	142
(No. of Shares)	(79631)	(20607)
Preference Share (Book Value)	.025	12
(No. of Shares)	(1170100)	(300)
Debentures (Book Value)	20088	0
<b>Total</b>	<b>20671</b>	<b>154</b>

15. (a) Total amount of Loan/ other Assets subjected to restructuring is given below:

₹ in thousand

Particulars	31.03.2016
a) Standard Assets	224530
b) Substandard Assets	nil
c) Doubtful Assets	nil
<b>Total</b>	<b>224530</b>

- (b) Segregation of loans, bonds and debentures into performing and non-performing asset is given below:

i) Performing	₹ 45199994 thousand
ii) Non-performing	₹ 870672 thousand
<b>Total book value</b>	<b>₹ 46070665 thousand</b>

16. (a) Amortization of premium on investment during the year is ₹58073 thousand.

(b) The discount on securities is recognized as income at the time of maturity.

17. Computation of managerial remuneration:

Computation of managerial remuneration is exempted being a government company vide notification no. GSR463 (E) dated 5<sup>th</sup> June, 2015.

18. Percentage of Business Sector-wise:

₹ हजार में

	2015-16
बीमांकित किया गया कुल सकल भीमियम	120189700
ग्रामीण क्षेत्रों में की कई पॉलिसियों की संख्या	3169083
ग्रामीण क्षेत्रों में किये गये बीमा का सकल भीमियम	9235400
कुल सकल भीमियम में ग्रामीण व्यापार का %	7.68
सामाजिक क्षेत्र में आवरित किये गये जीवन की संख्या	122309814

19. भारत में मूमि एवं घर आदि (अनुसूची10) के अन्तर्गत अचल संपत्ति के ₹40526 हजार दास्तावेजों का कार्यान्वयन लंबित हैं। दास्तावेजों के कार्यान्वयन के लिए स्टॉप शुल्क और पंजीकरण खर्च इस वर्ष के लेखा में ले लिए गए हैं।
20. बकाया से और तक शीर्ष के अंतर्गत आने वाले शेष व्यक्तियों या निकायों द्वारा किये गये बिज़नेस, पुनर्बीमा सहित, पुष्टि/समाधान और परिणामी समायोजन के अधीन हैं , यदि कोई हा। हालांकि, सुलह/समाधान भ्रक्रिया में हैं। एक सावधानी के रूप में ₹500000 हजार का सावधानी तदर्थ भावधान, लेखा में दिया गया है जो भ्रबंधन के अनुसार पर्याप्त माना गया है।
21. (क) आईआरडीए के परिपत्र सं. आईआरडीए/एनएल/ओआरडी/एमपीएल/277/12/2011 दिनांक 23/12/2011 के अनुसार तीसरी पार्टी देयता बीमा (केवल देयता बीमा) डिक्लाइन पूल जोखिम बनाया गया है जो 01/04/2012 से भाावी है। व्यवसायिक वाहनों के लिए केवल देयता पॉलिसी जिन्हें आईआरडीए नियम के अंतर्गत के साथ ही संबंधित कम्पनी के बीमालेखन नीति के तहत अस्वीकार कर दिये जाते हैं उन्हें इस पूल के अंतर्गत आवरित किया जाता है।
- (ख) डिक्लाइन जोखिम पूल के तहत कम्पनी द्वारा किये गए व्यवसाय निम्नवत हैं :

विवरण	भीमियम (₹ '000 में)	उपगत दावे* (₹ '000 में)
भ्रत्यक्ष सकल	761248	245629
5% पर अनिवार्य अर्पण	38062	12281
75% पर डीआर पूल अर्पण	570936	1050523

\*उपगत दावे भीमियम के 184% हुए

(ग) डी आर पूल की राशि ₹209184 हजार (शुद्ध) भाप्त अंतिम नकदी निपटान (शुद्ध) के लिए गुगतान किया गया.

22. आतंकवाद पूल रेट्रो के लिए जीआईसी (पूल भ्रशासन) से भाप्त वर्ष 2015-16 के आकड़ों में वर्तमान वर्ष। की तीसरी तिमाही के आकड़े और चौथे तिमाही की अर्नतिम आकड़े को पुष्टि कर शामिल किया किया गया है।
23. आाि कर्ताओं से संबंधित लेखा, ऋण और अग्रिम, अंतर कार्यालय समायोजन, बीमा व्यवसाय में नये व्यक्तियों/निकायों से बकाया राशि, अस्पष्टीकृत बैंक डेबिट व केडिट, विविध लेनदारों, विविध देनदारों आदि के बकाया शेष सुलह और पुष्टि के अधीन हैं। सुलह एक लगातार भ्रक्रिया है यदि किसी समायोजन की अवश्यकता हो तो उसे पहचान के बाद किया जा सकता है।
24. सीएमएस बैंक कंपनी के खातों की सुलह को दिनांक 31.03.2016 पर बैंक स्टेटमेंट, जो पहचान की भ्रक्रिया में है, ₹330224 हजार (केडिट) का अंतर को दर्शाता है। कुल रुपये 437668 हजार के चेक बैंकों में जमा हैं, जिनकी अाी बैंक स्टेटमेंट से पहचान की जा रही हैं, जबकि वहाँ बैंक स्टेटमेंट में कुल रुपये 767892 हजार अज्ञात क्रेडिट है।

₹ in thousand

	2015-16
Total Gross Premium underwritten	120189700
No. of policies underwritten in rural areas	3169083
Gross premium underwritten in rural areas	9235400
% of Rural business to total Gross Premium	7.68
No. of lives covered in the Social sector	122309814

19. Land and House property in India under fixed assets (Schedule – 10) includes ₹40526 thousand for which executions of deed of conveyance are pending. Stamp duty and registration cost will be taken into account in the year of execution of Conveyance deeds.
20. The balances appearing under the head Due From and Due To persons or bodies carrying on insurance business including reinsurance thereon are subject to confirmation/reconciliation and consequential adjustments, if any. However, reconciliation are in the process. As an abundant caution adhoc provision of ₹500000 thousand has been made in the accounts which according to the management is considered to be adequate.
21. (a) As per IRDA circular no. IRDA/NL/ORD/MPL/277/12/2011 dated 23.12.2011 the Declined risk Pool has been created for standalone Third Party Liability Insurance (Act only insurance) with effect from 01-04-2012. The act only insurance policies of commercial vehicles which are declined under the norms of IRDA as well as underwriting policy of respective company are covered under the pool.
- (b) The business transacted by the company on account of Declined Risk Pool is as follows:

Paticulars	Premium (₹in '000)	Claims incurred*(₹in '000)
Gross Direct	761248	245629
Obligatory Cession at 5%	38062	12281
DR Pool cession at 75%	570936	1050523

\*Claims incurred have been accounted for at 184% of the premium

- (c) The provisional cash settlement (net) paid to the DR Pool amounting to ₹209184 thousand (net) received.
22. Terrorism pool retro figures received from GIC (Pool administrator) accounted in 2015-16 includes confirmed figures for the 3 quarters of the current year and provisional figure of the 4<sup>th</sup> quarter.
23. Balances in respect of Agents' account, Loans and Advances, Inter Office Adjustments, Amount due from/to other persons or bodies carrying on Insurance Business, Unexplained Bank Debit and Credit, Sundry Debtors, Sundry Creditors etc. are subject to reconciliation and confirmation. Reconciliation however being a continuous exercise, adjustments if any required to be made are carried out as and when identified.
24. CMS bank accounts reconciliation of the company as on 31.03.2016 shows a difference of ₹330224 thousand (credit) in the bank statement which is in the process of identification. Cheques aggregating ₹437668 thousand deposited in banks are yet to be identified from the bank statement while there are unidentified credits in bank statement aggregating ₹767892 thousand.



25. क) दिनांक 18.02.2002 से कंपनी की हांगकांग शाखा को रनऑफ ऑपरेशन के अंतर्गत रखा गया है। न्यूइंडिया एश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के समझौते दिनांक 27/12/2006 के अनुसार हांगकांग शाखा की सम्पत्तियों एवं देनदारियों को उन्हें स्थानांतरित कर दिया जायेगा, जोकि बीमा भाधिकरण हांगकांग की मंजूरी और स गी बकायें दावों के निपटान के विषय के अधीन है। हालाँकि भाधिकरण की मंजूरी भाप्त हो गई है लेकिन दावों के निपटान का कार्य भगति पर है।
- (ख) न्यूइंडिया एश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, हांगकांग शाखा के दिनांक 27/12/2006 के समझौते के अनुसार स गी सम्पत्तियों एवं देनदारियों के साथ कंपनी का स्थानांतरण उस कंपनी में कर दिया गया है जो बीमा भाधिकरण हांगकांग और स गी बकायें दावों के निपटान के अधीन है। भाधिकार की मंजूरी भाप्त हो गई है लेकिन दावों के निपटान का कार्य भगति पर है। दिनांक 31.03.2016 को बकाया देनदारी ₹61812 हजार है।
- (ग) सम्पत्त और देनदारियों के निपटान के कारण राशि में ला 1/हानि बंद आपरेशन के उपक्रम में हस्तांतरण के लिए जिम्मेवार होंगे।

26. संबंधित पार्टियों के विवरण निम्नलिखित हैं :

(क) भमुख भबंधन कार्मिक :

1. श्री के. सनथ कुमार (18 फरवरी, 2016 से ), अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
2. श्री के.पी. ब्रह्मा, (31 जुलाई, 2015 तक), निदेशक व महाप्रबंधक
3. श्री एम. वसंथ कृष्णा, निदेशक व महाप्रबंधक
4. श्रीमती एम. शशिकला, सीएफओ (1 दिसम्बर, 2015 से )
5. श्री पी.सी.सुबुधि, सीएफओ (30 नवम्बर, 2015 तक )
6. श्रीमती रीना माडिया, कंपनी सचिव

लेनदेन की भकृति :

- वेतन, ात्ता और अंशदान ₹6013 हजार
- ऋण और अग्रिम ₹ “शून्य हजार”

(ख) संस्थाएं जिन पर नियंत्रण मौजूद है:

1. नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, कर्मचारी ाविष्य निधि.
2. नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड (कर्मचारी) पेंशन फण्ड.
3. नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, कर्मचारी ग्रेच्यूटी फण्ड.  
(कंपनी द्वारा ट्रस्टी के रूप में कोई गी निवेश और लेनदेन शुरू नहीं किये गये).

27. भूमियम में कमी :

भत्यक्ष सकल अनर्जित भूमियम के भूमियम में कमी की गणना (1/12 महीने के आधार) पर अनर्जित शुद्ध भूमियम पहुंचने के लिए उसके शुद्ध भूमियम को व्यवहार में लाया जाता है। शुद्ध अनर्जित भूमियम की तुलना अगले वर्ष के अपेक्षित दावों (दावों से संबंधित लागत सहित) के साथ की जाती है। शुद्ध अनर्जित भूमियम अपेक्षित दावा लागत से अधिक हो तो भूमियम में कमी आती है।

अग्नि (+) ₹313541 हजार, मरीन (+) ₹528828 हजार और विविध (+) ₹1178392 हजार में उपरोक्त विधि के अनुसार असमाप्त जोखिम के लिए रिजर्व अपेक्षित दावा संबंधित और रखरखाव लागत सहित से अधिक है। इसीलिए कोई भूमियम कमी उत्तपन्न नहीं हुई।

नियुक्त एक्च्युरी द्वारा शुद्ध उपगत दावा अनुपात को भमाणित किया गया है।

28. कंपनी ने कर्मचारी ला 1 के संबंध में लेखांकन मानक (एएस) 15 को अपनाया है, जो निम्नलिखित है:

25. (a) The Hongkong branch of the company placed under Run-off operation with effect from 18.02.2002. As per agreement with New India Assurance Co. Ltd. dated 27.12.2006 the assets and liabilities of Hong Kong branch will be transferred to them subject to approval by the Insurance Authority of Hongkong and subject to settlement of all the outstanding claims. Though approval from said authority has since been obtained but settlement of all the claims are in progress.
- (b) As per agreement with New India Assurance Co. Ltd. dated 27.12.2006 Hong Kong branch of the company along with its assets and liabilities has to be transferred to said company subject to approval of the Insurance Authority of Hong Kong and subject to settlement of all the outstanding liabilities. Though approval from said authority has since been obtained but settlement of all the claims are in progress. The outstanding liability as on 31.03.2016 is ₹61812 thousand.
- (c) The amount of Gain/Loss on disposal of assets or settlement of liabilities attributable to the discontinuing operation will be accounted for on transfer of undertaking.

26. Related party disclosures are given below:

- (a) Key Management Personnel:
1. Sri K Sanath Kumar, Chairman-cum-Managing Director (from 18<sup>th</sup> February, 2016)
  2. Sri K P Brahma, Director & General Manager (upto 31<sup>st</sup> July, 2015)
  3. Sri M. Vasantha Krishna, Director & General Manager
  4. Smt. M Sashikala, CFO (from 1<sup>st</sup> December, 2015)
  5. Sri P. C. Subudhi, CFO (upto 30<sup>th</sup> November, 2015)
  6. Smt. Rina Madia, Company Secretary
- Nature of transactions:
- Salaries, allowances & contributions ₹6013 thousand.
  - Loans and Advances ₹ "Nil" thousand.
- (b) Entities over which control exist:
1. National Insurance Company Limited Employees' Provident Fund.
  2. National Insurance Company (Employees') Pension Fund.
  3. National Insurance Company Limited Employees' Gratuity Fund.
- (No investments and transactions have been undertaken by the company as a trustee).

## 27. Premium Deficiency:

For calculation of Premium Deficiency, the gross direct unearned premium is arrived at 1/12 (per month basis) and the same is applied on Net Premium to arrive at Net Unearned Premium. The Net Unearned Premium is compared with expected Net Incurred claim in the next year (including claims related cost). When Expected Claim Cost exceeds Net Unearned premium then Premium Deficiency arises.

On the basis of the above method the Reserve for Unexpired Risk exceeds the expected claim costs along with the related expenses and maintenance cost in respect of Fire (+) ₹313541 thousand, Marine (+) ₹528828 thousand and Miscellaneous (+) ₹1178392 thousand. Hence no premium deficiency arises.

The Appointed Actuary has duly certified the Net Incurred Claim Ratio.

28. The Company has adopted the Accounting Standard (AS) 15 Employees benefits in respect of following employee benefits.

28.1 कार्य योजना की वस्तुस्थिति निम्नवत है:

₹ हजार में

	ग्रेच्युटी	पेंशन	अवकाश नकदीकरण
<b>(क) देयता का वर्तमान मूल्य</b>			
वर्ष के भरं I में	6151567	16294533	3663723
आंतरिक लागत/ब्याज लागत	452060	1169563	261078
सेवा मूल्य	371783	732721	343505
एक्चुरियल (ला I)/हानि	1582817	5636804	685746
हित ला I गुतान	1001633	3350000	800504
वर्ष के अंत में	7556594	20483621	4153547
<b>(ख) संपत्ति योजना में परिवर्तन</b>			
वर्ष के भरं I में उचित मूल्य	5401341	9436934	( 0 )
भत्याशित आय	432107	754955	( 0 )
योगदान	750226	6857599	( 0 )
एक्चुरियल (ला I)/हानि	767922	-466588	( 0 )
हित ला I गुतान	1001633	3350000	( 0 )
वर्ष के अंत में उचित मूल्य	6349963	13232900	( 0 )
<b>(ग) देयताओं के उचित मूल्य का समाधान एवं सम्पत्ति योजना का वर्तमान मूल्य</b>			
वर्ष के अंत में उचित मूल्य	6349963	13232900	( 0 )
वर्ष के अंत में वर्तमान मूल्य	7556594	20483621	4153547
तुलन पत्र में दर्शायी गयी शुद्ध देयता	1206631	7250721	4153547
<b>(घ) ला I/हानि के विवरण में मान्य व्यय</b>			
वर्तमान सेवा खर्च	371783	732721	343505
ब्याज लागत	452060	1169563	261078
संपत्ति योजना में भत्याशित आय	432107	754955	( 0 )
वर्ष में मान्य एक्चुरियल ला I/हानि	814895	6103392	685746
ला I/हानि विवरण में मान्य खर्च	701131	4712169	1290328
अपरिशोधित व्यय	505500	2538552	( 0 )
<b>(ड.) संपत्ति योजना के निवेश की मुख्य श्रेणी</b>			
निश्चित आय/ऋण भति तृतियां	100%	100%	( 0 )
<b>(च) मान्यताएं</b>			
छूट की दर(%)	8.00	8.00	8.00
संपत्ति योजना पर आय (%)	8.00	8.00	-
मंहगाई दर (%)	4.50	4.00	4.50
अवशिष्ट कार्य जीवन (वर्ष)	11.00	8.00	11.00

28.1 The status of the plan is given below:

₹ in thousand

	Gratuity	Pension	Leave Encashment
<b>(A) Present value of obligation</b>			
At the beginning of the year	6151567	16294533	3663723
Internal Cost	452060	1169563	261078
Service Cost	371783	732721	343505
Actuarial (Gain)/Loss	1582817	5636804	685746
Benefits Paid	1001633	3350000	800504
At the end of the year	7556594	20483621	4153547
<b>(B) Change in Plan Assets</b>			
Fair value at the beginning of the year	5401341	9436934	( 0 )
Expected Return	432107	754955	( 0 )
Contributions	750226	6857599	( 0 )
Actuarial (Gain)/Loss	767922	-466588	( 0 )
Benefits Paid	1001633	3350000	( 0 )
Fair Value at the end of the year	6349963	13232900	( 0 )
<b>(C) Reconciliation of Fair Value of obligation and Present Value of Plan Assets</b>			
Fair Value at the year end	6349963	13232900	( 0 )
Present Value at the year end	7556594	20483621	4153547
Net (Liability) recognized in Balance Sheet	1206631	7250721	4153547
<b>(D) Expenses recognized in Statement of Profit/Loss</b>			
Current Service Cost	371783	732721	343505
Interest Cost	452060	1169563	261078
Expected return on Plan Asset	432107	754955	( 0 )
Actuarial gain/loss recognized in the year	814895	6103392	685746
Expenses recognized in Statement of Profit/Loss	701131	4712169	1290328
Unamortized expenses	505500	2538552	( 0 )
<b>(E) Major category of Investment of Plan Assets</b>			
Fixed Income/Debt Securities	100%	100%	( 0 )
<b>(F) Assumptions</b>			
Discount Rate(%)	8.00	8.00	8.00
Return on Plan Asset(%)	8.00	8.00	-
Inflation rate (%)	4.50	4.00	4.50
Residual Working life (years)	11.00	8.00	11.00

31/03/2016 के वर्तमान पेंशन मूल्य में सेवा/सेवानिवृति पर मृत्यु के बाद विधवा के मासिक पेंशन में महंगाई त्ता घटक को शामिल नहीं किया गया है। उक्त दायित्व के गुगतान को, जब यह राशि राजस्व खाते में जमा होती है, तब ही माना जाता है।

- 28.2 वर्तमान वर्ष में वेतन संशोधन, आई आर डी ए के परिपत्र संख्या IRDA/F&A/CIR/ACTS/077/04/2016 दिनांक 18.04.2016 और उसी के अनुवर्ती परिपत्र संख्या IRDA/F&A/LR/001/2016/8 दिनांक 19.04.2016 के जरिए, के लागू होने के कारण तीन वर्ष की अवधि के परिशोधन से अतिरिक्त ग्रेच्युटी और पेंशन देयता क्रमशः ₹758300 हजार और ₹3807828 हजार (बीमांकित मूल्य) उत्पन्न हुई है। अस्थगीकरण के कारण वर्ष का ला I ₹3044052 हजार कम किया गया होता।
- 28.3 विध्व निधि के लिए बीमांकित मूल्यांकन भाप्त नहीं किया गया है। यदि जब क पी ब्याज में कमी हो, तो कंपनी फंड में तरह के ब्याज का योगदान करती है। कंपनी ने राजस्व खाते में विध्व निधि के लिए रुपए 506410 हजार का योगदान (परि ाषित योगदान योजना) किया है।
- 28.4 वर्तमान वर्ष के लिए बीमारी अवकाश और छुट्टी यात्रा अनुदान का बीमांकित मूल्यान भाप्त नहीं किया गया है क्योंकि ये परि ाषित ला I योजनार्ये नहीं हैं। इसीलिए गत वर्ष की बकाया देनदारियों को पुनः लिखा गया है और परिमाणतः ला I में रूपए 964398 हजार से बढ़ोतरी हुई है।
29. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्दम विकास अधिनियम, 2006 के अनुसार जो पात्र एम एस एम ई कंपनी को माल और सेवा भदान करते हैं उनका पहचान अ पी बाकी हैं।
30. मासिक किराये के आधार पर अधिकृत या मासिक किरायेदार के रूप में परिचालन पट्टों को आपसी सहमति से नवीनीकरण/रद्द किया जाता है। पर दी गुण परिचालन की भकृति में पट्टों आपसी सहमति पर अक्षय / रद्द कर रहे हैं। पट्टे की शर्ते व्यक्तिगत समझौतों, जो परिसर किराएदारी अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, पर सही रहती हैं।
31. कम्पनी में स्वास्थ्य खंड के फ्री लुक अवधि के तहत वर्ष के दौरान जारी की गई पॉलिसियों के रद्द होने की सूचना भाप्त नहीं हुई है। इसलिए बीमांकक मूल्यांकन में इसे लेने की अवश्यकता नहीं है।
32. लेखांकन मानक 28 के अनुसार भबंधन की राय में कम्पनी के सम्पत्ति की कोई हानि नहीं हुई है।
33. कम्पनी के विािन्न कार्यालयों के अंतिम डाटा के लंबित रसीदे जिनका गुगतान सेवाकर देनदारियों से संबंधित है के विरूद्ध सेवाकर भाधिकरण ने अनुमानित रूप में अनुमति दे दी है। सेवा कर और एवेलमेण्ट का सेन्वेट केडिट का गुगतान संबंधित डाटा को वास्तविक देनदारियों के अंतिम रूप देने के समय किया जाता है। इस खाते को शेष फर्क का उचित समायोजन अगले वर्ष में किया जाता है।
34. वर्तमान कर में सम्मिलित हैं:

₹ हजार में

31.3.2016

संपदा कर

शून्य

आयकर (एमएटी)

शून्य

35. कम्पनी के पास आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत अग्रेसित काफी हानि एवं अनएवजर्वड मूल्यहास हैं जिनके कारण आस्थगित कर योग्य सम्पत्तियां बढ़ी हैं। तथापि सावधानी पूर्ण एवं लेखा मानक (एस 22) के अनुसार, विध्व के आयकर योग्य आय की अनिश्चितता के कारण वित्तीय विवरण में आस्थगति कर सम्पत्त का निर्धारण नहीं किया जा सका।

The present value of pension obligation as on 31.3.2016 does not include future DA component on monthly pension and widow pension on death in Service/after retirement. The said obligation is paid out as and when arise by debit to the revenue account.

- 28.2 Additional gratuity and pension liabilities of ₹758300 thousand and ₹3807828 thousand respectively (actuarial valuation) arising in the current year due to implementation of pay revision has been amortized over a period of three years vide IRDA circular no. IRDA/F&A/CIR/ACTS/077/04/2016 dated 18.04.2016 and subsequent letter no. IRDA/F&A/LR/001/2016/8 dated 19.04.2016. Had there been no such deferment, profit of the year would have been reduced by ₹3044052 thousand.
- 28.3 Actuarial valuation for Provident Fund has not been obtained. Whenever there is shortfall of interest, company makes contribution of such interest to the fund. The company has recognized the contribution towards Provident Fund (Defined Contribution Plan) in Revenue Accounts for ₹506410 thousand.
- 28.4 Actuarial Valuation for Sick Leave and Leave Travel Subsidy have not been obtained in the current year since these items have not been considered as defined benefit plans. As a result, the outstanding liabilities of previous year have been written back and consequently the profit has been increased by ₹964398 thousand.
29. In accordance with the requirement of Micro, small and Medium enterprises Development Act, 2006, the company is yet to identify the eligible MSME enterprises which are providing goods and services to the company.
30. Properties occupied on monthly rental basis or given on monthly renter are in the nature of operating leases renewable/cancellable at mutual consent. Lease terms are best on individual agreements which fall under Premises Tenancy Act.
31. During the year the company has not received any notice for cancellation of any policy issued under Health Segment having Free look period feature. Therefore, actuarial valuation was not required to be carried out.
32. In the opinion of management, there is no impairment of assets of the Company in terms of Accounting Standard (AS) 28.
33. Pending receipts of final data from various offices of the company relating to service tax liabilities, payment there against is made on provisional basis as permitted by the service tax authority. Actual liability is ascertained after finalization of data relating to collection, payment of service tax and availment of Cenvat credit. Difference remaining in these accounts is carried forward in subsequent year for proper adjustment.
34. Current Tax includes:

**₹ in thousand**

**31.3.2016**

Wealth Tax	Nil
Income Tax (MAT)	Nil

35. The Company has substantial carry forward losses and unabsorbed depreciation under the Income Tax Act, 1961 giving rise to deferred tax asset. However, as a matter of prudence the deferred tax asset has not been recognized in the financial statements as per requirement of Accounting Standard AS-22 (Accounting of Taxes on income) owing to uncertainty over future taxable income.

36. लेखा मानक (ए एस 20) के अनुसार भकटीकरण (₹ हजार में)

विवरण	वर्तमान वर्ष
शेयर होल्डर का शुद्ध ला I	1787742
शेयरों की गारित औसत संख्या	10,00,00,000
मूल व मिश्रित आय 10 रुपये प्रति शेयर	17.88

कम्पनी के पास कोई बकाया मिश्रित पोर्टेशियल इक्विटी शेयर नहीं है। परिणामतः प्रति शेयर पर कम्पनी की मूल एवं मिश्रित आय बराबर रही।

37. आईआरडीए के परिपत्र IRDA/ख IRDA/F&A/CIR/IFRS/038/03/2016 दिनांक 01/03/2016 के सम्बन्ध में, कंपनी ने वित्त वर्ष 2018-19 से हग छल्ल लागू करने का फैसला किया है। निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति ने हग AS के दिशा निर्देश व रणनीति के निर्धारण, हग AS योजना के कार्यान्वयन के विकास और निष्पादन की देख-रेख के लिए एक समर्पित कार्य बल का गठन करने के लिए भबंधन को सलाह दी है। तदानुसार एक कार्य बल का गठन कंपनी द्वारा किया गया है।

38. पॉलिसी धारकों द्वारा दावा न की गयी राशि का वर्षवार विश्लेषण : (₹ हजार में)

विवरण	वर्षवार विश्लेषण							
	1 से 6 माह	7 से 12 माह	13 से 18 माह	19 से 24 माह	25 से 30 माह	31 से 36 माह	36 माह से अधिक	कुल
(क) दावा निपटान किन्तु बीमाधारक/पॉलिसीधारक को किसी भी कारण से गुगतान न किया गया हो, विवाद/मुकद्दमेबाज़ी के अलावा	—	—	—	—	—	—	—	—
(ख) परिपक्वता अवाधि या आय पर बीमाधारक/पॉलिसीधारक पर बकाया राशि	—	—	—	—	—	—	—	—
(ग) किसी प्रकार के भीमियम/टैक्स या अन्य कोई अधि गार का अधिक संग्रहण जिसे पॉलिसी होल्डर्स को पॉलिसी के शर्तों के अधीन या नियम के अधीन या अधिकारी के निर्देशानुसार वापस किया जाना था परन्तु अ गी तक वापस नहीं किया गया।	312344	568	833	798	1293	1691	10548	328075
(घ) पॉलिसीधारक/बीमाधारक को जारी किया गया चैक किन्तु गुनाया नहीं गया।	403744	2365	1369	1610	1027	1637	7216	418967
	<b>716088</b>	<b>2933</b>	<b>2202</b>	<b>2408</b>	<b>2321</b>	<b>3328</b>	<b>17763</b>	<b>747042</b>

36. Disclosure as per Accounting Standard (AS 20) ₹ In thousand

Particulars	Current Year
Net Profit attributable to Shareholders	1787742
Weighted average number of Shares	10,00,00,000
Basic and diluted earnings per share of ₹10 each	17.88

The Company does not have any outstanding diluted potential equity share. Consequently, the basic and diluted earnings per share of the Company remain the same.

37. In terms of IRDA circular no. IRDA/F&A/CIR/IFRS/038/03/2016 dated 01.03.2016, the company has decided to implement Ind AS from the financial year 2018-19. The Audit Committee of the Board of Directors has advised the management to set up a dedicated task force for determining the Ind AS direction and strategy and overseeing the development and execution of Ind AS implementation plan. Accordingly a task force has been formed by the company.

38. Age-wise analysis of the Unclaimed Amount of Policyholders:

₹ In thousand

Particulars	Age-wise Analysis							Total
	1 to 6 Months	7 to 12 Months	13 to 18 Months	19 to 24 Months	25 to 30 Months	31 to 36 Months	Beyond 36 Months	
(a) Claims settled but not paid to the Policy holders/Insureds due to any reasons except under litigation from Insureds/Policyholders	—	—	—	—	—	—	—	—
(b) Sum due to the Insureds / Policy holders on maturity or otherwise	—	—	—	—	—	—	—	—
(c) Any excess collection of the Premium / Tax or any other charges which is refundable to the Policyholders either as terms of conditions of the Policy or as per the law or as may be directed by the authority but not refunded to so far.	312344	568	833	798	1293	1691	10548	328075
(d) Cheques issued but not encashed by the Policy holders / Insureds	403744	2365	1369	1610	1027	1637	7216	418967
	<b>716088</b>	<b>2933</b>	<b>2202</b>	<b>2408</b>	<b>2321</b>	<b>3328</b>	<b>17763</b>	<b>747042</b>



39. व्यय (पूर्वावधि मदों सहित) :

(₹ हज़ार में)

लेखा शीर्ष	31.03.2016 तक
कर्मचारी पारिश्रमिक और कल्याण सुविधायें	0
यात्रा, यातायात वं वाहन चालन व्यय	388
किराया, दर एवं कर	882
मरम्मत	136
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	710
संभेषण	522
विज्ञापन	22
अन्य	8071
विद्युत् शुल्क	368
कार्यालय रखरखाव	846
भोफेशनल एवं कांट्रेक्टर को ँगतान	243
<b>कुल</b>	<b>12188</b>

39. Expenditure includes Prior Period Items :

(₹ in thousand)

Head of Account	As on 31.03.2016
Employee Remuneration and Welfare benefits	0
Travel, conveyance and vehicle running expenses	388
Rents, Rates and Taxes	882
Repairs	136
Printing & Stationery	710
Communication	522
Advertisement	22
Others	8071
Electricity charges	368
Office up-keep & Maintenance	846
Payment to Professionals & Contractors	243
<b>Total</b>	<b>12188</b>

40. विा न्न सरकारी ढाधिकरणों द्वारा दंड कार्यवाई का विवरण :

(₹ हजार में)

क्रम सं.	ढाधिकारी	अनुपालन न होना/ उल्लंघन	दंड आदेश	दंड ढुगतान	दंड समाप्ति/ कम होना
1.	बीमा विनियामक एवं विकास ढाधिकरण	उल्लंघना	1500	1500	-
2.	सेवा कर ढाधिकारी	-	-	-	-
3.	आयकर ढाधिकारी	-	-	-	-
4.	अन्य कर ढाधिकारी (नगरपालिका निगम)	-	-	-	-
5.	ढवर्तन निदेशालय/ निर्णायक ढाधिकरण/ ट्रिब्यूनल या एफईएमए के अंतर्गत के अन्य ढाधिकारी	-	-	-	-
6.	कम्पनी के रजिस्ट्रार/नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल/कम्पनी लॉ बोर्ड/निगमित मामलों के विाग या कम्पनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कोई अन्य ढाधिकारी	-	-	-	-
7.	दावा निष्पादन सहित किसी मामले में, किन्तु ढतिपूर्ति को छोड़कर किसी न्यायालय/ ट्रिब्यूनल द्वारा दंड का आदेश	-	-	-	-
8.	सिक्क्यूरिटीज़ एवं एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया	-	-	-	-
9.	कम्पटीशन कमीशन ऑफ इंडिया	-	-	-	-
10.	कोई अन्य केन्द्रीय/राज्य/स्थानीय सरकार/ सांविधिक ढाधिकारी	-	-	-	-

41. ढबंधन की राय में, वित्तीय स्थिति को पहले से ही लेखा के वित्तीय विवरण में रखा गया है। इसलिए लंबित मुकदमों तथा अन्य से कोई महत्वपूर्ण ढााव पड़ने की संाावना नहीं है।

42. कम्पनी किसी लम्बी अवधि के अनुबंध में ढवेश कर निकट में घाटे का उम्मीद नहीं कर रहा है। कम्पनी ने किसी ढी व्युत्पन्न अनुबंध में ढवेश नहीं किया है।

43. शिक्षा और सुरक्षा निवेशक फण्ड में कोई ढी राशि हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं है।

40. Details of penal actions taken by various Government Authorities:

(₹ in thousand)

Sl. No.	Authority	Non-Compliance/ Violation	Penalty Awarded	Penalty paid	Penalty Waived/ Reduced
1.	Insurance Regulatory and Development Authority of India	Violation	1500	1500	-
2.	Service Tax Authorities	-	-	-	-
3.	Income Tax Authorities	-	-	-	-
4.	Any other Tax Authorities (Municipal Corporation)	-	-	-	-
5.	Enforcement Directorate/ Adjudicating Authority/Tribunal or any Authority under FEMA	-	-	-	-
6.	Registrar of Companies/NCLT/ CLB/Department of Corporate Affairs or any Authority under Companies Act, 2013.	-	-	-	-
7.	Penalty awarded by any Court/ Tribunal for any matter including claim settlement but excluding compensation.	-	-	-	-
8.	Securities and Exchange Board of India	-	-	-	-
9.	Competition Commission of India	-	-	-	-
10.	Any other Central/State/Local Government/Statutory Authority	-	-	-	-

41. In the opinion of the Management, there is no significant impact on its financial position in its Financial Statements due to pending litigations, save otherwise, which have already been provided for in the Accounts.
42. Management is not expecting any foreseeable losses on the long-term contracts it has entered into. The company has not entered into any derivative contracts.
43. No amount is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

44. निगमित सामाजिक दायित्व -

(क) सकल राशि का गुगतान किया जाना है : रूपये 171220 हज़ार

(ख) इस वर्ष खर्च की गयी राशि :

(₹ हजार में)

		नकद में	अ गी नकद में गुगतान किया जाना है	कुल
(i)	निर्माण / किसी गी संपत्ति का अधिग्रहण	0	(0)	0
(ii)	ऊपर (i) लिखे भयोजनों के अतिरिक्त	44309	126911	171220

निगमित सामाजिक दायित्व के खर्चों को भ्रबंधन खर्चों में शामिल किया और राजस्व खातों में आवंटित किया गया है.

45. आई आर डी ए द्वारा निर्धारित लेखांकन अनुपात :

क्रम सं.	निष्पादन अनुपात	गणना की विधि	2015-16		
			कुल	भारत	विदेश
1.	सकल भृत्यक्ष भूमियम वृद्धि दर (%)	जीडीपीआई (सी वार्ड)/जीडीपीआई (पी वार्ड)/जीडीपीआई (पी वार्ड)	6.53%	6.53%	5.30%
	क) अग्नि		-2.53%	-2.69%	10.58%
	ख) समुद्री माल		-7.41%	-7.54%	-2.84%
	ग) समुद्री माल के अतिरिक्त		-23.59%	-23.59%	-
	घ) मोटर निजी क्षति		0.38%	0.35%	8.23%
	ड.) मोटर तृतीय पक्ष		18.29%	18.31%	-3.42%
	च) इंजीनीयरिंग		-13.42%	-13.47%	-10.35%
	छ) कर्मकार क्षतिपूर्ति		-4.99%	-5.04%	27.14%
	ज) जन देयता		-24.69%	-24.69%	-34.63%
	झ) व्यक्तिगत दुर्घटना		70.39%	70.39%	-
	ञ) स्वास्थ्य बीमा		7.64%	7.63%	34.43%
	ट) उड्डयन		-6.19%	-6.31%	-2.82%
	ठ) ग्रामीण		-16.82%	-16.82%	-
	ड) विविध अन्य	-0.52%	-0.66%	19.50%	
2.	सकल भृत्यक्ष भूमियम से निवल मूल्य अनुपात	जीडीपीआई/निवल मूल्य	3.36		
3.	निवल मूल्य की वृद्धि दर (%)	(सी वार्ड का निवल मूल्य-पी वार्ड का निवल मूल्य)/ (पी वार्ड का निवल मूल्य)	-4.74%		

44. Corporate Social Responsibility -

(a) Gross amount required to be paid ₹171220 thousand

(b) Amount spent during the year:

(₹ in Thousand)

		In cash	Yet to be paid in cash	Total
(i)	Construction/acquisition of any asset	0	(0)	0
(ii)	On purposes other than (i) above	41809	126911	171220

The Corporate Social Responsibility expenses has been incorporated in Management Expenses and allocated to Revenue Accounts.

45. Accounting Ratios prescribed by IRDA:

Sr. No.	Performance Ratio	Method of Calculation	2015-16		
			Total	India	Foreign
1.	<b>Gross Direct Premium Growth Rate (%)</b>	(GDPI(CY)/GDPI(PY))/GDPI(PY)	6.53%	6.53%	5.30%
	a) Fire		-2.53%	-2.69%	10.58%
	b) Marine Cargo		-7.41%	-7.54%	-2.84%
	c) Marine other than cargo		-23.59%	-23.59%	-
	d) Motor Own Damage		0.38%	0.35%	8.23%
	e) Motor Third Party		18.29%	18.31%	-3.42%
	f) Engineering		-13.42%	-13.47%	-10.35%
	g) Workmen's Compensation		-4.99%	-5.04%	27.14%
	h) Public Liability		-24.69%	-24.69%	-34.63%
	i) Personal Accident		70.39%	70.39%	-
	j) Health Insurance		7.64%	7.63%	34.43%
	k) Aviation		-6.19%	-6.31%	-2.82%
	l) Rural		-16.82%	-16.82%	-
m) Misc. Others	-0.52%	-0.66%	19.50%		
2.	<b>Gross Direct Premium to Net worth ratio (Times)</b>	GDPI/Net worth	3.36		
3.	<b>Growth rate of Net Worth (%)</b>	[(Net worth of CY-Net worth of PY)] / Net Worth-PY	-4.74%		

क्रम सं.	निष्पादन अनुपात	गणना की विधि	2015-16		
			कुल	भारत	विदेश
4.	शुद्ध क्षतिधारण अनुपात (%)	शुद्ध भीमियम / (सकल भत्यक्ष भीमियम आय+पुनर्बीमा स्वीकृत)	90.07%	90.10%	82.28%
	क) अग्नि		70.57%	70.47%	77.78%
	ख) समुद्री माल		85.21%	84.78%	100.00%
	ग) समुद्री माल के अतिरिक्त		25.96%	25.96%	-
	घ) मोटर निजी क्षति		94.28%	94.34%	80.90%
	ड.) मोटर तृतीय पक्ष		93.28%	93.27%	100.00%
	च) इंजीनीयरिंग		69.22%	69.40%	57.79%
	छ) कर्मकार क्षतिपूर्ति		95.01%	95.00%	100.00%
	ज) जन देयता		95.00%	95.00%	100.00%
	झ) व्यक्तिगत दुर्घटना		95.00%	95.00%	-
	ञ) स्वास्थ्य बीमा		96.54%	96.54%	100.00%
	ट) उड्डयन		7.14%	4.41%	85.33%
	ठ) ग्रामीण		95.00%	95.00%	-
ड) विविध अन्य	72.82%	72.72%	86.16%		
5.	शुद्ध कमीशन अनुपात (%)	शुद्ध कमीशन / शुद्ध बीमालेखन भीमियम	5.55%	5.57%	-1.18%
	क) अग्नि		9.72%	9.90%	-2.51%
	ख) समुद्री माल		11.68%	12.04%	1.20%
	ग) समुद्री माल के अतिरिक्त		-20.92%	-20.92%	-
	घ) मोटर निजी क्षति		8.02%	8.05%	-0.69%
	ड.) मोटर तृतीय पक्ष		-0.28%	-0.28%	0.00%
	च) इंजीनीयरिंग		9.66%	9.96%	-12.96%
	छ) कर्मकार क्षतिपूर्ति		10.34%	10.36%	3.67%
	ज) जन देयता		13.66%	13.66%	1.40%
	झ) व्यक्तिगत दुर्घटना		10.27%	10.27%	-
	ञ) स्वास्थ्य बीमा		7.36%	7.36%	0.52%
	ट) उड्डयन		-17.42%	-28.94%	-0.33%
	ठ) ग्रामीण		11.92%	11.92%	-
ड) विविध अन्य	-0.48%	-0.54%	6.01%		
6.	भ्रबंधन खर्च से सकल भत्यक्ष भीमियम का अनुपात (%)	(भ्रबंधन के खर्च+भत्यक्ष कमीशन) / जीडीपीआई	34.78%		
7.	भ्रबंधन खर्च से शुद्ध बीमालेखन भीमियम का अनुपात (%)	(भ्रबंधन के खर्च+भत्यक्ष कमीशन)	37.41%		
8.	शुद्ध उपगत दावों से अर्जित भीमियम का (%)	शुद्ध उपगत दावे/शुद्ध अर्जित भीमियम	95.28%		

Sr. No.	Performance Ratio	Method of Calculation	2015-16		
			Total	India	Foreign
4.	<b>Net Retention Ratio (%)</b>	Net Premium/(Gross Direct Premium Income+ Reinsurance Accepted)	90.07%	90.10%	82.28%
	a) Fire		70.57%	70.47%	77.78%
	b) Marine Cargo		85.21%	84.78%	100.00%
	c) Marine other than cargo		25.96%	25.96%	-
	d) Motor Own Damage		94.28%	94.34%	80.90%
	e) Motor Third Party		93.28%	93.27%	100.00%
	f) Engineering		69.22%	69.40%	57.79%
	g) Workmen's Compensation		95.01%	95.00%	100.00%
	h) Public Liability		95.00%	95.00%	100.00%
	i) Personal Accident		95.00%	95.00%	-
	j) Health Insurance		96.54%	96.54%	100.00%
	k) Aviation		7.14%	4.41%	85.33%
	l) Rural		95.00%	95.00%	-
	m) Misc. Others		72.82%	72.72%	86.16%
5.	<b>Net Commission Ratio (%)</b>	Net Commission / Net Written premium	5.55%	5.57%	-1.18%
	a) Fire		9.72%	9.90%	-2.51%
	b) Marine Cargo		11.68%	12.04%	1.20%
	c) Marine other than cargo		-20.92%	-20.92%	-
	d) Motor Own Damage		8.02%	8.05%	-0.69%
	e) Motor Third Party		-0.28%	-0.28%	0.00%
	f) Engineering		9.66%	9.96%	-12.96%
	g) Workmen's Compensation		10.34%	10.36%	3.67%
	h) Public Liability		13.66%	13.66%	1.40%
	i) Personal Accident		10.27%	10.27%	-
	j) Health Insurance		7.36%	7.36%	0.52%
	k) Aviation		-17.42%	-28.94%	-0.33%
	l) Rural		11.92%	11.92%	-
	m) Misc. Others		-0.48%	-0.54%	6.01%
6.	<b>Expenses of Management to Gross Direct Premium Ratio (%)</b>	Expenses of Management+ Direct Commission)/GDPI	34.78%		
7.	<b>Expenses of Management to Net Written Premium Ratio (%)</b>	Expenses of Management+ Direct Commission)/NWPI	37.41%		
8.	<b>Net Incurred Claims to Net Earned Premium (%)</b>	Net Incurred Claims/Net Earned Premium	95.28%		



क्रम सं.	निष्पादन अनुपात	गणना की विधि	2015-16		
			कुल	भारत	विदेश
9.	संयुक्त अनुपात (%)	शुद्ध उपगत दावे/शुद्ध अर्जित भीमियम+ (भ्रबंधन के खर्च (शुद्ध कमीशन के साथ)/ शुद्ध बीमालेखन भीमियम	132.27%	131.79%	285.98%
10.	तकनीकी रिजर्व से शुद्ध भीमियम अनुपात	(यूआरआर भीमियम कमी हेतु रिजर्व बकाया दावों हेतु रिजर्व आईबीएनआर और आईबीएनईआर सहित/शुद्ध भीमियम		-0.34	
11.	शेष बीमांकन अनुपात	बीमांकन ला I या हानि / शुद्ध अर्जित भीमियम		-6.43%	
12.	भ्रचालन ला I अनुपात (%)	(बीमांकन ला I या हानि निवेश आय) / शुद्ध अर्जित भीमियम		0.20	
13.	देयता अनुपात पर नकद संपत्ति	नकद संपत्ति / पॉलिसी धारकों की देयताएं		1.60%	
14.	शुद्ध आय अनुपात (%)	कर पश्चात ला I / शुद्ध भीमियम		4.95%	
15.	निवल मूल्य अनुपात पर रिटर्न (%)	कर पश्चात ला I / निवल मूल्य		1.26*	
16.	वास्तविक शोधन क्षमता (एएसएम) से वांछित शोधन क्षमता अनुपात (आरएसएम)	एएसएम / आरएसएम		1.89%	
17.	एन पी ए अनुपात (%) सकल एन पी ए अनुपात शुद्ध एन पी ए अनुपात			0.69%	

\* भ्रमाणपत्र के अनुसार

46. आईआरडीए द्वारा निर्धारित वर्तमान वर्षों का कार्यकारी परिणाम का सारांश:

(₹ लाख में)

क्रम सं.	विवरण	भ्रथम वर्ष
		<b>2015-16</b>
	<b>परिचालन परिणाम</b>	
1.	सकल भ्रत्यक्ष भीमियम	1201898
2.	शुद्ध भीमियम (पुनर्बीमा का शुद्ध)	1117315
3.	निवेश से आय (हानियों का शुद्ध)	291659
4.	अन्य आय	2593
5.	कुल आय	1411567
6.	कमीशन (शुद्ध) (ब्रोकरेज सहित)	61986
7.	परिचालन व्यय	351504
8.	शुद्ध उपगत दावे	1028240
9.	असमाप्त जोखिम रिजर्व में परिवर्तन	38177
10.	परिचालन ला I/हानि	-68340

Sr. No.	Performance Ratio	Method of Calculation	2015-16		
			Total	India	Foreign
9.	<b>Combined Ratio (%)</b>	Net Incurred Claim/Net earned Premium+[Expenses of management (including net commission)/net written premium	132.27%	131.79%	285.98%
10.	<b>Technical Reserves to net premium ratio (Times)</b>	(URR + Reserve for premium deficiency + Reserve for outstanding claims including IBNR and IBNER) / Net Premium	1.34		
11.	<b>Underwriting balance ratio</b>	(Underwriting Profit/loss)/net earned premium	-0.34		
12.	<b>Operating profit ratio (%)</b>	(Underwriting Profit or loss + Investment Income)/Net earned Premium	-6.43%		
13.	<b>Liquid Assets to liabilities ratio (Times)</b>	Liquid Assets/Policy holders liabilities	0.20		
14.	<b>Net earnings ratio (%)</b>	Profit after tax/net premium	1.60%		
15.	<b>Return on net worth ratio (%)</b>	Profit after tax/Net Worth	4.95%		
16.	<b>Available Solvency Margin (ASM) to Required Solvency Margin (RSM) ratio (Times)</b>	ASM / RSM	1.26*		
17.	<b>NPA ratio (%)</b>				
	<b>Gross NPA Ratio</b>		1.89%		
	<b>Net NPA Ratio</b>		0.69%		

\*As per certificate

46. Summary of working results for the financial year 2015-16 as prescribed by IRDA :

(₹ in lakh)

Sl. No.	Particulars	1st year
	<b>OPERATING RESULTS</b>	<b>2015-16</b>
1.	Gross direct premiums	1201898
2.	Net premium (Net of reinsurance)	1117315
3.	Income from investments (net of losses)	291659
4.	Other income	2593
5.	Total income	1411567
6.	Commissions (Net) (Including brokerage)	61986
7.	Operating Expenses	351504
8.	Net Incurred Claims	1028240
9.	Change in Unexpired Risk Reserve	38177
10.	Operating profit/loss	-68340

(₹ लाख में)

क्रम सं.	विवरण	अथम वर्ष
	<b>परिचालन रहित परिणाम</b>	
11.	शेयर होल्डर के खाते में कुल आय	83390
12.	ला I/ (हानि) कर पूर्व	15050
13.	कर भावधान	127
14.	कर पश्चात् ला I/ (हानि)	14923
14. क	योग: ला I का ाग / एसोसिएट्स की हानि	2955
14. ख	कर पश्चात् ला I और ला I का ाग / एसोसिएट्स की हानि	17878
	<b>विविध</b>	
15.	पॉलिसी धारक का खाता :	
	कुल फण्ड	1493613
	कुल निवेश	1150486
	निवेश पर भापति	22.39%
16.	<b>शेयर होल्डर का खाता:</b>	
	कुल फण्ड	361074
	कुल निवेश	507241
	निवेश पर भापति	22.39%
17.	अदत्त इक्विटी पूँजी	10000
18.	निवल मूल्य	361074
19.	कुल परिसंपत्तियां	2887412
20.	कुल निवेश पर भापतियां	22.39%
21.	भाति शेयर पर आय (₹)	17.88
22.	भाति शेयर की बुक वैल्यू (₹)	361.07
23.	कुल ला ांश	4515
24.	भाति शेयर पर ला ांश (₹)	4.51

कृते निदेशक मंडल

कृते एस. घोष व कं. एलएलपी  
 सनदी लेखाकार  
 एफआरएन: 302184E/E300007

(सीए. आनन्दी साव)  
 भागीदार  
 सदस्यता संख्या 068308

कृते साहा गांगुली व सहायक  
 सनदी लेखाकार  
 एफआरएन: 302191E

(सीए समीर कुमार साहा)  
 भागीदार  
 सदस्यता संख्या 051392

के. सनथ कुमार

एम. वसन्त कृष्ण  
 पी. वेंकटरमैया  
 एम. शशीकला  
 रीना माडिया

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक  
 (DIN: 03444096)  
 निदेशक (DIN: 06960731)  
 निदेशक (DIN: 06701070)  
 मुख्य वित्तीय अधिकारी  
 कम्पनी सचिव

कोलकाता 26 जून, 2016

(₹ in lakh)

Sl. No.	Particulars	1st year
	<b>NON-OPERATING RESULT</b>	
11.	Total income under shareholders' account	83390
12.	Profit/ (loss) before tax	15050
13.	Provision for tax	127
14.	Profit/ (loss) after tax	14923
14. A	Add: Share of profit/loss of Associates	2955
14. B	Profit after tax and share of Profit/Loss of Associates	17878
	<b>MISCELLANEOUS</b>	
15.	Policy holders' Account:	
	Total funds	1493613
	Total investments	1150486
	Yield on investments	22.39%
16.	<b>Shareholders' Account:</b>	
	Total funds	361074
	Total investments	507241
	Yield on investments	22.39%
17.	Paid up equity capital	10000
18.	Net worth	361074
19.	Total assets	2887412
20.	Yield on total investments	22.39%
21.	Earnings per share (Rs.)	17.88
22.	Book value per share (Rs.)	361.07
23.	Total dividend	4515
24.	Dividend per share (Rs.)	4.51

For and on behalf of the Board of Directors

For S. Ghose & Co.LLP  
Chartered Accountants  
FRN 302184E/E300007

For Saha Ganguli & Associates  
Chartered Accountants  
FRN 302191E

K. Sanath Kumar Chairman-cum-Managing Director  
(DIN: 03444096)  
M. Vasantha Krishna Director (DIN: 06960731)  
P. Venkatramaiah Director (DIN: 06701070)  
M. Sashikala Chief Financial Officer  
Rina Madia Company Secretary

(CA. Anandi Shaw)  
Partner

(CA. Samir Kumar Saha)  
Partner

Membership No. 068308

Membership No. 051392

Kolkata, the 26<sup>th</sup> June 2016

फार्म एओसी-1

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ धारा 129 की उपधारा (3) को पढ़ने के पहले परंतुक के अनुसरण में सहायक / संबद्ध कंपनियों / संयुक्त उद्यमों की वित्तीय बयान की मुख्य विशेषताएं युक्त विवरण

भाग "क" एसोसिएट्स

(₹ '000 में)

क्र.सं.	विवरण	
1	सहायक कंपनी का नाम	शून्य
2	संबंधित सब्सिडियरी के लिए रिपोर्टिंग अवधि, यदि होल्डिंग कंपनी के प्रतिवेदन अवधि के अलग हो	लागू नहीं
3	विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि तक रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमय दर।	लागू नहीं
4	शेयर पूंजी	लागू नहीं
5	आरिखत निधि और अधिशेष	लागू नहीं
6	कुल संपत्ति	लागू नहीं
7	कुल देयताएँ	लागू नहीं
8	निवेश	लागू नहीं
9	टर्नओवर	लागू नहीं
10	कराधान से पहले लाभ	लागू नहीं
11	कराधान के लिए प्रावधान	लागू नहीं
12	कराधान के बाद लाभ	लागू नहीं
13	प्रस्तावित लाभांश	लागू नहीं
14	शेयरधारिता का %	लागू नहीं
<b>नोट:</b>		
1	सहायक कंपनी का नाम जिसक संचालन अभी प्रारंभ नहीं हुआ	शून्य
2	सहायक कंपनी का नाम जिसे वर्ष के दौरान नष्ट कर दिया है या बेचा गया है।	शून्य

कृते निदेशक मंडल

कृते एस. घोष व कं. एलएलपी  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन: 302184E/E300007

(सीए. आनन्दी साव)  
भागीदार  
सदस्यता संख्या 068308

कृते साहा गांगुली व सहायक  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन: 302191E

(सीए समीर कुमार साहा)  
भागीदार  
सदस्यता संख्या 051392

के. सनथ कुमार  
एम. वसन्त कृष्ण  
पी. वेंकटरमैया  
एम. शशीकला  
रीना माडिया

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक  
(DIN: 03444096)  
निदेशक (DIN: 06960731)  
निदेशक (DIN: 06701070)  
मुख्य वित्तीय अधिकारी  
कम्पनी सचिव

कोलकाता 26 जून, 2016

**FORM AOC - I**

(Pursuant to first proviso to sub- section (3) of section 129 read with rule 5 of Companies (Accounts) Rules, 2014)

Statement containing salient features of the financial statement of subsidiaries/associate companies/ joint ventures

**Part "A": Subsidiaries**

(₹ in '000)

SI No.	Particulars	
1	Name of the subsidiary	NIL
2	Reporting period for the subsidiary concerned, if different from the holding company's reporting period	N.A
3	Reporting currency and exchange rate as on the last date of the relevant Financial year in the case of foreign subsidiaries.	N.A
4	Share Capital	N.A
5	Reserves & Surplus	N.A
6	Total Assets	N.A
7	Total Liabilities	N.A
8	Investments	N.A
9	Turnover	N.A
10	Profit before taxation	N.A
11	Provision for taxation	N.A
12	Profit after taxation	N.A
13	Proposed Dividend	N.A
14	% of shareholding	N.A
<b>Notes:</b>		
1	Name of Subsidiaries which are yet to commence operations	Nil
2	Name of Subsidiaries which have been liquidated or sold during the year	Nil

For and on behalf of the Board of Directors

For S. Ghose & Co.LLP  
Chartered Accountants  
FRN 302184E/E300007

For Saha Ganguli & Associates  
Chartered Accountants  
FRN 302191E

K. Sanath Kumar  
Chairman-cum-Managing Director  
(DIN: 03444096)

M. Vasantha Krishna  
Director (DIN: 06960731)

P. Venkatramaiah  
Director (DIN: 06701070)

M. Sashikala  
Chief Financial Officer

Rina Madia  
Company Secretary

(CA. Anandi Shaw)  
Partner

(CA. Samir Kumar Saha)  
Partner

Membership No. 068308

Membership No. 051392

Kolkata, the 26<sup>th</sup> June 2016

**फार्म एओसी-1**

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ धारा 129 की उपधारा (3) को पढ़ने के पहले परंतुक के अनुसरण में सहायक / संबद्ध कंपनियों / संयुक्त उद्यमों की वित्तीय बयान की मुख्य विशेषताएं युक्त विवरण

**भाग "ख" एसोसिएट्स**

(₹ '000 में)

एसोसिएट्स/संयुक्त उपक्रम के नाम	हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए अफ़्क इंडिया लिमिटेड	इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर
1. नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र की तारीख	31.03.2016	31.12.2015
2. वर्ष के अंत तक कंपनी द्वारा आयोजित एसोसिएट/संयुक्त उद्यम के शेयर		
शेयर की संख्या	16625000	10000000
एसोसिएट्स/संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि	166250	28576
होल्डिंग की सीमा %	23.75%	20.00%
3. उल्लेखनीय प्रभाव के कारण का विवरण	शेयरधारिता द्वारा	शेयरधारिता द्वारा
4. क्यों सहयोगी/संयुक्त उद्यम समेकित नहीं होने के कारण ?	लागू नहीं	लागू नहीं
5. नवीनतम ऑडिट बैलेंस शीट के अनुसार शेयरधारिता के फलस्वरूप निवल मूल्य	137391	3986861
6. वर्ष के लिए लाभ/हानि		
i) समेकन पर विचार	-4393	299845
ii) समेकन पर विचार नहीं किया	-14103	1199379
<b>नोटस:</b>		
1. एसोसिएट्स/संयुक्त उद्यम का लाभ जो अभी तक परिचालन शुरू नहीं हुआ है	शून्य	शून्य
2. वर्ष के दौरान निर्णीत या बेचा गया एसोसिएट्स / संयुक्त उद्यम का नाम	शून्य	शून्य

**कृते निदेशक मंडल**

कृते एस. घोष व कं. एलएलपी  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन: 302184E/E300007

(सीए. आनन्दी साव)  
भागीदार  
सदस्यता संख्या 068308

कृते साहा गांगुली व सहायक  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन: 302191E

(सीए समीर कुमार साहा)  
भागीदार  
सदस्यता संख्या 051392

के. सनथ कुमार  
एम. वसन्त कृष्ण  
पी. वेंकटरमैया  
एम. शशीकला  
रीना माडिया

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक  
(DIN: 03444096)  
निदेशक (DIN: 06960731)  
निदेशक (DIN: 06701070)  
मुख्य वित्तीय अधिकारी  
कम्पनी सचिव

कोलकाता 26 जून, 2016

**FORM AOC-I**

(Pursuant to first proviso to sub-section (3) of Section 129 read with Rule 5 of Companies (Accounts) Rules, 2014)

Statement containing salient features of the Financial Statements of subsidiaries / associate companies/joint ventures

**Part "B": Associates**

**Amount (₹ in Thousand)**

NAME OF ASSOCIATES / JOINT VENTURES	HEALTH INSURANCE TPA OF INDIA LIMITED	INDIA INTERNATIONAL INSURANCE PTE LTD, SINGAPORE
1. Latest Audited Balance Sheet Date	31.03.2016	31.12.2015
2. Shares of Associate/Joint Ventures held by the Company on the year end		
No. of shares	16625000	10000000
Amount of Investment in Associates / Joint Venture	166250	28576
Extent of Holding %	23.75%	20.00%
3. Description of how there is significant influence	By shareholding	By shareholding
4. Reason why the associate / Joint venture is not Consolidated	N.A	N.A
5. Net worth attributable to Shareholding as per latest Audited Balance Sheet	137391	3986861
6. Profit / Loss for the year		
i) Considered in Consolidation	-4393	299845
ii) Not considered in Consolidation	-14103	1199379
<b>Notes:</b>		
1. Names of Associates / Joint Ventures which are yet to commence operations	NIL	NIL
2. Names of Associates / Joint Ventures which have been liquidated or sold during the year	NIL	NIL

For and on behalf of the Board of Directors

For S. Ghose & Co.LLP  
Chartered Accountants  
FRN 302184E/E300007

For Saha Ganguli & Associates  
Chartered Accountants  
FRN 302191E

K. Sanath Kumar Chairman-cum-Managing Director (DIN: 03444096)  
M. Vasantha Krishna Director (DIN: 06960731)  
P. Venkatramaiah Director (DIN: 06701070)  
M. Sashikala Chief Financial Officer  
Rina Madia Company Secretary

(CA. Anandi Shaw)  
Partner

(CA. Samir Kumar Saha)  
Partner

Membership No. 068308

Membership No. 051392

Kolkata, the 26<sup>th</sup> June 2016



